Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

9 सितम्बर, 2003

खण्ड 2, अंक 1

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 9 सितम्बर, 2003

	पृष्ठ संख्या
शोक प्रस्ताव	(1)1
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(1)7
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(1)28
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(1)35
घोषणाएं-	(1)64
(क) अध्यक्ष द्वारा—	(1)64
(i) चेयरपर्सनज़ के नामों की सूची	(1)64
(ii) याचिका समिति	(1)65

मूल्य : 62

(ख) सचिव द्वारा— (1)65

(i) राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी (1)65

(ii) संविधान (पचानवेवां संसोधन) विधेयक, 2003 (1)66

स्थगन प्रस्तावों/ध्यानाकर्षण प्रस्तावों इत्यादि की सूचनाएं (1)66

वाक-आउट (1)68

स्थगन प्रस्तावों/ध्यानाकर्षण प्रस्तावों इत्यादि की सूचनाएं (पुनरारम्भ) (1)68

वाक-आउट (1)69

स्थगन प्रस्तावों/ध्यानाकर्षण प्रस्तावों इत्यादि की सूचनाएं (पुनरारम्भ) (1)70

वाक-आउट (1)71

स्थगन प्रस्तावों/ध्यानाकर्षण प्रस्तावों इत्यादि की सूचनाएं (पुनरारम्भ) (1)71

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट (1)72

वाक-आउट (1)77

सदन की मेज पर रखे गए/पुन: रखे गए कागज पत्र (1)78

विशेषधिकार मामलों के संबंध में विशेषाधिकार समिति के प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना (1)80

(i) श्री जय प्रकाश बरवाला, एम०एल०ए० के विरूद्ध (1)81

(ii) श्री कर्ण सिंह दलाल, एम०एल०ए० के विरूद्ध (1)82

(iii) कैप्टन अजय सिंह यादव, श्री धर्मवीर सिंह तथा श्री जगजीत सिंह सागवान, एम०एल०एज० के विरूद्ध (1)82-83

(iv) डा० रघुबीर सिंह कादियान, एम०एल०ए० के विरूद्ध (1)83

सरकारी संकल्प (1)84

वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगे प्रस्तुत करना, चर्चा तथा मतदान (1)84

वर्ष 2003-2004 के लिए अनुपूरक अनुदान (पहली किस्त) प्रस्तुत करना (1)87

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

वर्ष 2003-2004 के लिए अनुपूरक अनुदान (पहली किस्त) पर चर्चा तथा मतदान (1)87

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 9 सितम्बर, 2003

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर -1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई । अध्यक्ष (श्री सलबीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की ।

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Chief Minister will make obituary references.

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, पिछले अधिवेशन और इस अधिवेशन के बीच के अर्से में इस प्रदेश के कुछ सम्मानित व्यक्तित्व और कुछ सम्मानित सदस्यों के परिजन इस संसार से चले गए हैं । मैं आपके माध्यम से उनके प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए इस सदन में शोक प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं ।

डॉ० सरूप सिंह, केरल तथा गुजरात के भूतपूर्व राज्यपाल

यह सदन केरल तथा गुजरात के भूतपूर्व राज्यपाल डॉ० सरूप सिंह के 3 अगस्त, 2003 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है ।

उनका जन्म 9 जनवरी, 1917 को हुआ । उन्होंने 1940 में दिल्ली विश्वविद्यालय से एम०ए० की डिग्री प्राप्त की । उन्हें 1953 में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से अंग्रेजी में डॉक्ट्रेट की उपाधि प्रदान की गई । वह 1940 से 1954 तक हिन्दू कॉलेज, दिल्ली में प्राध्यापक के पद पर रहे । इसके उपरान्त वह 1954 से 1956 तक करोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली के उप-प्रधानाचार्य तथा 1957 से 1965 तक प्रधानाचार्य रहे ।

वह कुरुक्षेत्र युनिवर्सिटी के अंग्रेजी विभाग के संस्थापक अध्यक्ष रहे । वह दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफैसर, प्रति कुलपति और कुलपति रहे । वह अमेरीका की युनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉस और युनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में विज़िटिंग प्रोफेसर भी रहे । वह 1975 में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य मनोनीत हुये ।

वह 1978 से 1984 तक राज्य सभा के सदस्य रहे । उन्होंने 1990 में केरल और 1990 से 1995 तक गुजरात के राज्यपाल के पद को सुशोभित किया ।

उनके निधन से देश एक प्रख्यात शिक्षाविद्, योग्य प्रशासक तथा अनुभवी सासंद की सेवाओं से वंचित हो गया है । यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है ।

श्री राम नारायण सिंह, भूतपूर्व संसद सदस्य

यह सदन श्री राम नारायण सिंह, भूतपूर्व संसद सदस्य तथा हरियाणा के शिक्षा राज्य मंत्री श्री बहादुर सिंह के बड़े भाई के 4 अगस्त, 2003 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है ।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

उनका जन्म 20 दिसम्बर, 1918 को हुआ । उन्होंने बी०ए०, एल०एल०बी० की डिग्रियां प्राप्त कीं । वह लोहारु के नवाब की रियासत में प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त हुए । वह 1956 में संयुक्त पंजाब में पंजाब सिविल सेवा के लिए चुने गये । 1974 में वह भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत हुए । वह करनाल, सोनीपत, जीन्द, और महेन्द्रगढ़ जिलों के उपायुक्त रहे । सेवानिवृत होने के उपरान्त वह 1976-1977 के दौरान हरियाणा कृषि उद्योग निगम के अध्यक्ष रहे । वह 1987 में लोक सभा के लिये निर्वाचित हुए ।

उनके निधन से देश एक सांसद और योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है ।

कंवर सूरजपाल सिंह, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री कंवर सूरजपाल सिंह के 12 मई, 2003 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है ।

उनका जन्म 11 अप्रैल, 1944 को हुआ । वह 1981 से 1983 तक हरियाणा राज्य भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष रहे । वह 1996 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये और 1996 से 1999 तक मंत्री रहे । उन्होंने देश-विदेशों का दौरा किया ।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है । यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है ।

श्री लीला कृष्ण, हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री लीला कृष्ण के 27 मार्च, 2003 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है ।

उनका जन्म 1 अप्रैल, 1933 को हुआ । वह 1984, 1991 और 2000 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये । वह 1991 से 1996 तक राज्य मंत्री रहे । उन्होंने गरीबों और दलितों के उत्थान के लिए कार्य किया । उन्होंने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मेलनों में भाग लिया ।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है । यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है ।

हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानी

यह सदन उन स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है, जिन्होंने देश की आजादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया ।

इन महान् स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं :-

1. श्री नारायण दास मल्होत्रा, गुड़गांव ।
2. श्री चिरंजी लाल, गांव छपार, जिला भिवानी ।

3. श्री डीगराम, गांव लूखी, जिला रेवाड़ी ।
4. श्री करतार सिंह, गांव रमाणा- रमाणी, जिला करनाल ।
5. श्री निहाल सिंह, गांव पुखरपुर, जिला गुडगांव ।
6. श्री रूधाराम, गांव माईकलां, जिला भिवानी ।
7. श्री रामगोपाल आर्य, सोनीपत ।
8. स्वामी ओमानंद सरस्वती, झज्जर ।
9. श्री लालमण, गांव नापला, जिला महेन्द्रगढ ।
10. श्री कंवल सिंह, झज्जर ।
11. श्री नांलाराम, गांव बामला, जिला भिवानी ।
12. श्री चुन्नी लाल, गांव किष्किधां , जिला भिवानी ।
13. श्री हरपाल सिंह गांव प्रहलादपुर, जिला गुडगांव ।
14. श्री शैनक राम टोहाना, जिला फतेहाबाद ।
15. श्री रघुबीर सिंह, गांव लाजूपुर, जिला फरीदाबाद ।
16. श्री बदलू राम, गांव गुलकनी, जिला जीन्द ।
17. श्री किशन सिंह, गांव करेला, जिला जीन्द ।
18. श्री खेमाराम, गांव किरढान, जिला फतेहाबाद ।
19. श्री रतीराम, गांव बैजलपुर, जिला फतेहाबाद ।
20. श्री शंकर लाल बागड़िया, गांव पीली मन्दोरी, जिला फतेहाबाद ।
21. श्री सावन राम शर्मा, पानीपत ।
22. श्री जगदीश चन्द्र, पानीपत ।

अध्यक्ष महोदय, श्री बुद्धराम मंडा, गांव बुढाखेड़ा, जिला हिसार का नाम भी 23वें नम्बर पर इस शोक प्रस्ताव में शामिल कर लिया जाये क्योंकि पहले यह नाम प्रिंट होने से रह गया है।

यह सदन इन महान स्वतंत्रता सेनानियों को शत-शत नमन करता है और इनके शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवदेना प्रकट करता है ।

हरियाणा के शहीद

यह सदन उन वीर सैनिकों को नमन् करता है, जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया ।

इन महान् वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार है :-

1. नायब सूबेदार धर्मबीर, गांव मीरपुर कोराली, जिला फरीदाबाद ।
2. नायक मान सिंह, गांव बहलपा, जिला गुड़गांव ।
3. सिपाही महावीर सिंह यादव, गांव किशनपुरा, जिला जींद ।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

4. सिपाही जसवंत सिंह, गांव मकड़ौली कलां, जिला रोहतक ।
5. सिपाही सत्यवीर सिंह, गांव पाली जिला महेन्द्रगढ़ ।
6. सिपाही पिंद्रपाल सिंह, गांव धीरपुर, जिला कुरुक्षेत्र ।
7. सिपाही पवन कुमार, गांव मोहम्मदपुर, जिला रिवाड़ी ।
8. सिपाही बृजमोहन, गांव झुंडसराय, जिला गुड़गांव ।
9. सिपाही रामदेव सिंह, गांव बलई, जिला फरीदाबाद ।
10. सिपाही अमीर सिंह, गांव बलम्भा, जिला रोहतक ।
11. सिपाही सुरेश कुमार, गांव सैम्भल, जिला रोहतक ।
12. सिपाही सत्यवान, गांव मंदौली, जिला भिवानी ।
13. सिपाही राकेश, गांव कौंट, जिला भिवानी ।
14. सिपाही अशोक कुमार, गांव लायपुर, जिला झज्जर ।
15. राइफलमैन देवेन्द्र सिंह, गांव शेखपुर भाजरा, जिला गुड़गांव ।
16. सिपाही दलबीर सिंह, गांव सिंदाना, जिला रोहतक ।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सम्मानित सदस्यों से कहूंगा कि जो मेरे पास रिपोर्ट आयी है उसके अनुसार इस शोक प्रस्ताव में एक नाम और शामिल कर लें । थल सेना के सिपाही ईश्वर सिंह राणा, गांव सोल्टी, जिला सोनीपत भी 26 अगस्त, 2003 को कारगिल सैक्टर में शहीद हुए हैं । मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि 17वें नम्बर पर यह नाम भी इस शोक प्रस्ताव में जोड़ दिया जाए ।

अध्यक्ष महोदय, यह सदन इन महान वीरों की शहादत पर इन्हें शत-शत नमन करता है और इनके शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों को प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है ।

पानीपत ट्रांसफार्मर हादसा

यह सदन 18 जुलाई, 2003 को पानीपत में हुए ट्रांसफार्मर विस्फोट से मरने वाले लोगों के दु:खद व आकस्मिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है । प्रत्येक मृतक के शोकाकुल परिवार को सरकार की ओर से एक लाख 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है ।

यह सदन शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है ।

मुम्बई बम विस्फोटों में मारे गये लोग

यह सदन 25 अगस्त, 2003 को मुम्बई में हुए बम विस्फोटों में मारे गए निर्दोष लोगों के दु:खद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है ।

यह सदन आतंकवादी घटनाओं की कड़ी निंदा करता है और शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है ।

नासिक कुंभ मेले में मारे गये श्रद्धालु

यह सदन 27 अगस्त, 2003 को नासिक के कुंभ मेले में भगदड़ के दौरान मरने वाले श्रद्धालुओं के दुःखद व आकस्मिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है ।

यह सदन शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है ।

दमन पुल दुर्घटना

यह सदन 28 अगस्त, 2003 को केन्द्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव में दमनगंगा नदी पर बने पुल के ढहने से मरने वाले लोगों के दुःखद व आकस्मिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है ।

यह सदन शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है ।

सामान्य

यह सदन हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष श्री सतबीर सिंह कादियान के पिता, **श्री गजे सिंह;**

हरियाणा विधान सभा की सदस्या श्रीमति सरिता नारायण के पिता, **श्री शिव कुमार ;**

हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री पूर्ण सिंह डाबड़ा के चचेरे भाई, **श्री शमशेर सिंह डाबड़ा** तथा

हरियाणा विधान सभा के सदस्य डॉ० मलिक चंद गम्भीर के बहनोई, **श्री कृष्णलाल चितकारा** के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है ।

यह सदन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (किलोई): अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे साथी विधायक श्री शादी लाल जी बत्रा के बहनोई श्री ओम प्रकाश अनेजा के रिवाड़ी में हुये दुखद निधन पर अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से गहरा शोक प्रकट करता हूं । मेरा निवेदन है कि उनका नाम भी इस शोक प्रस्ताव में शामिल कर लिया जाए ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है उनका नाम भी इसमें शामिल किया जाता है ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से केरल तथा गुजरात के भूतपूर्व राज्यपाल डॉ० सरूप सिंह के 3 अगस्त, 2003 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं । उनका जन्म 9 जनवरी, 1917 को हुआ। उन्होंने 1940 में दिल्ली विश्वविद्यालय से एम०ए० की डिग्री प्राप्त की । उन्हे 1953 में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से अंग्रेजी में डाक्ट्रेट की उपाधि प्रदान की गई । 1940 से 1954 तक हिन्दी कॉलेज, दिल्ली के प्राध्यापक के पद पर रहे । इसके उपरान्त वह 1954 से 1956 तक करोड़ीमल कॉलेज दिल्ली के उप प्रधानचार्य तथा 1957 से 1965 तक प्रधानाचार्य रहे। वह कुरुक्षेत्र यूनीवर्सिटी के अंग्रेजी विभाग के संस्थापक अध्यक्ष रहे । वह दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर,

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

प्रति कुलपति और कुलपति रहे । वह अमरीका की यूनीवर्सिटी ऑफ इलिनॉस और यूनीवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे । वह 1975 में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य मनोनीत हुए । वह 1978 से 1984 तक राज्य सभा के सदस्य रहे। उन्होंने 1990 में केरल और 1995 तक गुजरात के राज्यपाल पद को सुशोभित किया ।

उनसे हमारे परिवारिक संबंध थे । वे हमारे गांव के रहने वाले थे । मैं उनकी बचपन से ही बहुत इज्जत करता था और उनसे गाइडलाइंस लेता रहता था । उन्होंने हरियाणा का नाम विश्व में ऊंचा किया ।

उनके निधन से देश एक प्रख्यात शिक्षाविद, योग्य प्रशासक तथा अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है । मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं ।

मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से श्री राम नारायण सिंह भूतपूर्व संसद तथा हरियाणा के शिक्षा राज्य मंत्री श्री बहादुर सिंह के बड़े भाई के 4 अगस्त, 2003 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं ।

उनका जन्म 20 दिसंबर, 1918 को हुआ । उन्होंने बी०ए०एल०एल०बी० की डिग्रियां प्राप्त की । वह लोहारु के नवाब की रियासत में प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त हुए। वह 1955 में संयुक्त पंजाब में पंजाब सिविल सेवा के लिए चुने गये । 1974 में वह भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत हुए । वह करनाल, सोनीपत, जीन्द और महेन्द्रगढ़ जिलों के उपायुक्त रहे । सेवानिवृत होने के उपरान्त वह 1976-77 के दौरान हरियाणा कृषि उद्योग निगम के अध्यक्ष रहे । वह 1987 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए । उनके साथ भी हमारे परिवारिक संबंध थे । वे मेरे पिताजी के सहपाठी थे और बहुत ही ईमानदार अफसर थे। उनकी पूरे प्रदेश में बहुत इज्जत है। बाकी जितने नाम सदन के नेता ने पढ़े हैं मैं उनका समर्थन करता हूं उनको पढ़ा माना जाए ।

स्पीकर सर, सूबेदार रमेश पुत्र श्री रामेश्वर दयाल गांव साल्हावास 71 मीडियम रेजीमेंट हैं, उनका आज ही अंतिम संस्कार है वे भी शहीद हुए हैं इनका नाम भी इस शोक प्रस्ताव में शामिल कर लिया जाए ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है इनका नाम भी इसमें शामिल किया जाता है । माननीय सदस्यगण, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव हाऊस में रखे हैं और दिवंगत आत्माओं के प्रति विभिन्न पार्टियों ने जो विचार प्रकट किए हैं, मैं भी अपने आपको उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं । पिछले सैशन और इस सैशन के बीच में इस संसार से हमारे बीच में से बहुत सी महान विभूतियां चली गयी हैं ।

सबसे पहले मैं हरियाणा के ही उच्च कोटि के और विख्यात शिक्षाविद् डाक्टर सरूप सिंह का जिक्र करना चाहूंगा । उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति सहित कई उच्च पदों को सुशोभित किया । शिक्षा के क्षेत्र के साथ-साथ उनका प्रशासन में भी विशेष योगदान रहा । वे केरल तथा गुजरात के राज्यपाल भी रहे । उनके निधन पर मुझे गहरा शोक है ।

श्री राम नारायण सिंह, भूतपूर्व संसद सदस्य तथा हरियाणा के शिक्षा राज्य मंत्री श्री बहादुर सिंह के बड़े भाई के दुखद निधन पर भी मुझे गहरा शोक है । वे एक योग्य सांसद तथा प्रशासक थे ।

हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री कंवर सूरज पाल सिंह इसी सदन के भूतपूर्व सदस्य थे और एक अच्छे प्रशासक थे । वे तीन साल तक मंत्री भी रहे । उनके निधन पर मुझे गहरा शोक है।

श्री लीला कृष्ण जी, जो हमारे साथ ही इस सदन में निर्वाचित हुए थे, उनके निधन पर भी मुझे गहरा शोक है । वे तीन बार इस सदन के सदस्य रहे और समाज सेवा में उनका अपना ही एक नाम था ।

इसके अलावा मैं हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानियों एवं शहीदों, जिनका नाम मुख्यमंत्री जी ने अपने शोक प्रस्ताव में लिया है, उन सबके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं । कोई भी देश स्वतन्त्रता सेनानियों तथा वीर शहीदों की कुर्बानी को भुला नहीं सकता । देश की अखण्डता तथा आजादी को कायम रखने में स्वतन्त्रता सेनानियों तथा शहीदों की कुर्बानी प्रेरणा देती है ।

मैं इन स्वतन्त्रता सेनानियों तथा शहीदों को शत् शत् प्रणाम करता हूं । इसके अलावा मैं पानीपत ट्रांसफार्मर हादसे, मुम्बई बम्ब विस्फोट, नासिक कुम्भ मेले, दमन पुल दुर्घटना में मारे गए लोगों के दुखद एवं आकस्मिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं ।

अंत में मैं हरियाणा विधान सभा सदस्य श्रीमति सरिता नारायण के पिता श्री शिव कुमार, हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री पूर्ण सिंह डाबड़ा के चचेरे भाई, श्री शमशेर सिंह डाबड़ा तथा हरियाणा विधान सभा के सदस्य डॉ० मलिक चंद गम्भीर के बहनोई श्री कृष्ण लाल खितकारा के दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं । मैं परमपिता परमात्मा से दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं और उन शोक संतप्त परिवारों तक इस सदन की संवेदना पहुंचा दी जायेगी और अब मैं दिवंगत आत्माओं के सम्मान में उन्हें श्रद्धांजली देने के लिए दो मिनट का मौन धारण करने के लिए इस सदन के सभी सदस्यों को खड़ा होने के लिए अनुरोध करता हूं । (इस समय सदन ने सभी दिवंगत आत्माओं के सम्मान में खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया गया ।)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे ।

Filling up of Vacant Posts in HVPN

***1477. Shri Rajinder Singh Bisla :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of posts of L.M., A.L.M., L.D.C., U.D.C. and C.A., if any, lying vacant in the Haryana Vidyut Prasaran Nigam at present; and

[Shri Rajinder Singh Bisla]

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken to fill up these vacant posts ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम में लाइनमैन, ए०एल०एम०, नि०श्रे०लि०, उ०श्रे०लि० तथा सी०ए० (सर्कल सहायक) के पदों के सम्बन्ध में दिनांक 30.6.2003 तक के रिक्तियों की स्थिति का स्तर निम्न प्रकार है :-

क्रम संख्या	पद का नाम	रिक्ति
1.	लाइनमैन (एल०एम०)	20
2.	सहायक लाइनमैन (ए०एल०एम०)	शून्य
3.	निम्न श्रेणी लिपिक	105
4.	उच्च श्रेणी लिपिक	62
5	सर्कल सहायक (सी०ए०)	11
	योग	**198**

बी) रिक्त स्थान आवश्यकता अनुसार निगम के नियमों और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर लागू किये जाने निर्देशों के अनुसार भरे जाएंगे ।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय माजरा साहब से सदन के लिए यह जानकारी चाहूंगा कि कृपया ये बतायें कि उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम में और दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम में ग्रुप ए०, बी० और सी० की कितनी रिक्तियां हैं ?

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, जैसा कि माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम में कितनी रिक्तियां हैं तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि लाईन मैन की 274, सहायक लाईनमैन की 1378, एल०डी०सी० की 253 और यू०डी०सी० की 168 और सर्कल सहायक की 27 यानी कुल 2099 रिक्तियां हैं और इसी प्रकार से दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम में लाईन मैन की 416, सहायक लाईनमैन की 1704, एल०डी०सी० की 244 और यू०डी०सी०, की 201 और सर्कल सहायक की 12 यानी कुल 2577 रिक्तियां है । अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से बिसला जी ने कहा कि ग्रुप सी० में बताएं कि किन किन पदों की कितनी पोस्टें रिक्त हैं तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि ग्रुप सी० की 1032 रिक्तियां हैं उनके बारे में मैं कैटेगरी वाइज बताना चाहूंगा । अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से यह लिस्ट पढ़कर सुना देता हूं । अनुभाग अधिकारी के 5, मंडल लेखाकार के 13, सहायक लेखाकार का 1, सहायक

के 5, निम्न श्रेणी लिपिक के 105, अपर श्रेणी लिपिक के 62, निजी सहायक का 1, वरिष्ठ स्टैनो के 5, कनिष्ठ स्टैनो के 30, उपाधीक्षक के 2, स्टैनो टाइपिस्ट के 32, हिन्दी अनुवादक के 2, सूचना सहायक के 0, वरिष्ठ फोटोग्राफर के 0, अनुसंधान सहायक के 0, हिन्दी इंस्ट्रक्टर का 1, फार्मसिस्ट का 0, स्टैनो कम डी०ई०ओ० का 1, डाटा एंट्री ओपरेटर के 2, जूनियर प्रोग्रामर के 2, सर्कल अधीक्षक का तो एक पद फालतू है, प्रधान लिपिक के 12, सर्कल सहायक के 11, सी०डी०एम० के 3, सी०एच०डी० के 5, एच०डी०एम०/डी०एच०डी० के 15, प्रारूपकार के 35, जे०डी०एम० के 34, टैलीफोनिस्ट के 19, सहायक अनुसंधान अधिकारी का 1, पटवारी का 1, रीडर का 1, रैस्टोरर का 1, सिक्योरिटी हवलदार का 1, सिक्योरिटी गार्ड के 19, ड्राईवर हैड ऑफिस और फील्ड के 57, ड्राईवर पी०पी० के 0, फोतेदार का 1, पम्प ड्राईवर के 2, टी०टी०, ड्राईवर के 2, ओपरेटर के 2, टेलीप्रिंटर फैक्स के 7, स्टोर कीपर के 2, स्टोक वैरीफायर का 1, जे०ई० फील्ड, टैक्नीकल सहायक के 100, जे०ई०-1/सब स्टेशन के 44, जे०ई०-1/कैरीयर के 12, जे०ई०1/टैस्ट के 3, जे०ई०/टैस्ट के 6, जे०ई०/कैरियर/जे०ई०/फोन के 20, जे०ई० सिविल के 7, जे०ई० सब स्टेशन के 112, फोरमैन के 31 फोरमैन ग्रेड-I के 2, फोरमैन ग्रेड-II के 0, फोरमैन ग्रेड-III का 1, फोरमैन सब स्टेशन का 1, ए०एफ०एम० के 90, विशेष फोरमैन के 10, वरिष्ठ टैक्नीशियन के 4, टैक्नीकल ग्रेड-1 के 10, टैक्नीकल ग्रेड-II के 13, लाइनमैन के 20, फिटर ग्रेड-1 के 6, फिटर ग्रेड-II के 3, एस०ए०/ए०एस०एस०ए० के 135, हैल्पर ग्रेड-I के 9, टैलीफोन मैकेनिक के 27, रेडियो मैकेनिक के 6, अजो प्रिंटर के 2, फिरो प्रिंटर का 1, इलैक्ट्रिशियन का 1, इलैक्ट्रिकल मिस्त्री के 10, इलैक्ट्रिकल मिस्त्री पी०पी० के 3, कैरियर अटैंडेंट के 69 पद रिक्त हैं । इस प्रकार 1032 रिक्तियां ग्रुप सी में हैं ।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह निवेदन किया था कि इतनी भारी मात्रा में बिजली विभाग में पद खाली पड़े हैं और इन रिक्तियों की वजह से सारे विभाग के काम पर एडवर्स एफैक्ट पड़ता है । जिस पद पर काम करने वाले कर्मचारी नहीं हैं, उसके कारण आम आदमी को परेशानी होती है । इसलिए मैं आदरणीय माजरा जी से और आदरणीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इन खाली पदों को भरने बारे समय निर्धारित किया जाये और अतिशीघ्र ये सभी खाली पद भरे जायें ।

मुख्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन को इस बारे जानकारी देना चाहूंगा कि न सिर्फ बिजली विभाग में बल्कि दूसरे विभागों से भी जहां टैक्नीकल आदमियों की कमी है उनकी रिक्वायरमैंट हरियाणा सरकार ने मांगी है और जहां-जहां टैक्नीकल पद खाली हैं उनको भरने की प्रक्रिया सरकार ने बोर्ड के थ्रू शुरू कर दी है ।

Salient Features of Devi Rupak Scheme

*** 1482. Sh. Bhagi Ram :** Will the Minister of State for Health be pleased to state the benefits/salient features of Devi-Rupak Scheme launched by the State Government ?

स्वास्थय राज्य मंत्री (डॉ० एम०एल० रंगा) : श्री मान जी, देवी रूपक स्कीम की मुख्य विशेषताओं का विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

[डॉ० एम०एल० रंगा]

विवरण

चौधरी देवी लाल राष्ट्र उत्थान एवं परिवार कल्याण योजना-देवी रूपक

उद्देश्य

राज्य की जनसंख्या को स्थिर करने, पुरुष-स्त्री अनुपात में हो रही कमी पर अंकुश लगाने, एक बच्चे के सिद्धान्त को अपनाने तथा बच्चों के जन्म में अन्तराल रहने के उद्देश्य से प्रजनन योग्य दम्पतियों को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु यह योजना प्रारम्भ की गई है ।

प्रोत्साहन

परिवार नियोजन हेतु नसबन्दी/ नलबन्दी अपनाने वाले दम्पतियों को इस योजना के अधीन नसबन्दी/ नलबन्दी करवाने की तिथि से 20 वर्ष तक प्रोत्साहन राशि निम्न प्रकार देय होगी :-

क्रमांक	अपनाने की स्टेज	मासिक प्रोत्साहन राशि
1.	पहले बच्चे लड़की के जन्म पर	500/- रुपये
2.	पहले बच्चे लड़के के जन्म पर	200/- रुपये
3.	दूसरे बच्चे लड़की के जन्म पर (यदि पहला बच्चा भी लड़की हो)	200/- रुपये

पात्रता

सामान्य शर्तें

1. इस योजना का लाभ उठाने के लिए दम्पति को उस स्थानीय ग्राम पंचायत अथवा नगरपालिका में स्वयं को पंजीकृत करवाना होगा, जिसमें वह रह रहा है ।
2. पति-पत्नी दोनों में से कोई भी आयकर दाता नहीं होना चाहिए ।

(क) 25 सितम्बर, 2002 से पूर्व के विवाहित दम्पतियों के लिए

25 सितम्बर, 2002 को पति की आयु 45 वर्ष या इससे कम तथा पत्नी की आयु 40 वर्ष या इससे कम होनी चाहिए और दोनों में से किसी ने भी इस तिथि से पहले बंध्यकरण आप्रेशन न करवाया हो ।

बशर्ते किसी दम्पति के पास 25-9-2002 को एक ही बच्चा है और वह इस योजना को अपनाना चाहता तो दोनों मे से किसी एक को 26-1-2003 तक परिवार नियोजन का स्थाई उपाय अपनाना होगा । बशर्ते किसी दम्पति के पास 25-9-2002 को कोई बच्चा नहीं है, तो उन्हें इस योजना के अन्तर्गत 26-1-2003 तक स्वयं को पंजीकृत करवाना होगा और पहले बच्चे के जन्म के बाद तीन मास के अन्दर-अन्दर माता-पिता, दोनों में से किसी एक को परिवार नियोजन का स्थाई उपाय अपनाना होगा ।

(ख) 25-9-2002 को अथवा इस तिथि के बाद विवाह करने वाले दम्पतियों के लिए

1 विवाह की तिथि पर पति की आयु कम से कम 21 वर्ष और पत्नी की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए ।

2 पंजीकृत दम्पति के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि उनके विवाह की तिथि से कम से कम दो वर्ष की अवधि के अन्दर उनको पहला बच्चा न हो । इस योजना का लाभ उठाने के लिए पति-पत्नी, दोनों में से किसी एक को पहले बच्चे के जन्म के बाद तीन मास की अवधि के अन्दर-अन्दर परिवार नियोजन का स्थाई उपाय अपनाना होगा ।

3 यदि पहली लड़की के जन्म के बाद तीन मास की अवधि के अन्दर-अन्दर पति-पत्नी, दोनों में से कोई भी परिवार नियोजन का स्थाई उपाय नहीं अपनाता है, तो उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि पहले बच्चे के जन्म के पश्चात् कम से कम दो वर्ष तक उनकी दूसरा बच्चा न हो । दूसरी लड़की के जन्म के बाद तीन मास की अवधि के अन्दर-अन्दर पति-पत्नी, दोनों में से किसी एक को परिवार नियोजन का स्थाई उपाय अपनाना होगा ताकि वे इस योजना का लाभ उठा सकें ।

विशेष प्रावधान

(1) यदि योजना के अन्तर्गत पंजीकृत किये गये दम्पति को जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, तो इस योजना का लाभ उठाने के लिये पति-पत्नी, दोनों में से किसी एक को ऐसी प्रसूति के बाद तीन मास की अवधि के अन्दर-अन्दर परिवार नियोजन का स्थाई उपाय अपनाना होगा । यदि जुड़वा पैदा हुए दोनों ही बच्चे लड़कियां है, तो मासिक, प्रोत्साहन का मानदण्ड वही होगा, जो एक लड़की के लिए है । अन्य सभी स्थितियों में मासिक प्रोत्साहन का वही मापदण्ड लागू होगा जो एक लड़का पैदा होने पर लागू है ।

(2) यदि परिवार कल्याण के स्थाई उपाय अपनाने वाले दम्पति के इकलौते बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसे बंध्यकरण आप्रेशन सरकारी खर्च पर खुलवाने का अधिकार होगा । तथापि, आप्रेशन खुलवाने की तिथि से प्रोत्साहन राशि का भुगतान बंद हो जायेगा ।

(3) यदि दम्पति का यह इकलौता बच्चा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले शारीरिक रुप से शत्-प्रतिशत् विकलांग हो जाता है अथवा मंद बुद्धि हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी दम्पति को बंध्यकरण आप्रेशन खुलवाने का अधिकार होगा और इससे उसकी मासिक प्रोत्साहन की राशि पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(4) इस योजना का कोई भी लाभानुभोगी इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त की गई समस्त प्रोत्साहन राशि को लौटाने के पश्चात् स्वेच्छा से किसी भी स्टेज पर अपने खर्च पर बंध्यकरण आप्रेशन खुलवा सकता है । यदि कोई लाभानुभोगी सरकार को प्रोत्साहन की राशि लौटाये बिना ही आप्रेशन खुलवा लेता है, तो उससे प्रोत्साहन की राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित उसी प्रकार से वसूल की जायेगी जिस प्रकार से भू-राजस्व की बकाया राशि वसूल की जाती है ।

[डॉ० एम०एल० रंगा]

(5) पति-पत्नी, दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाने पर जीवित जीवन साथी को पुन: विवाह करने तक, प्रोत्साहन राशि मिलती रहेगी । जिवित जीवन साथी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अपने पार्टनर की मृत्यु की सूचना तीन मास की अवधि के अन्दर-अन्दर सम्बद्ध सिविल सर्जन को दे । जीवित जीवन साथी का यह कर्त्तव्य भी होगा कि वह अपने पुनर्विवाह की सूचना सिविल सर्जन तथा उस ग्राम पंचायत अथवा नगरपालिका समिति को तत्काल दे, जिसमें वह पंजीकृत किया गया हो और प्रोत्साहन राशि का भुगतान बंद करने का भी अनुरोध करें । यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो सरकार पुनर्विवाह की तिथि के बाद उसे भुगतान की गई समस्त राशि की वसूली उसी प्रकार से करने के लिए सक्षम होगी, जिस प्रकार से भू-राजस्व की बकाया राशि की वसूली की जाती है ।

(6) यदि पति-पत्नी, दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो जीवित बच्चा अथवा बच्चे (दोनों लड़कियां) इस योजना की समस्त अवधि के लिये प्रोत्साहन राशि का भुगतान प्राप्त करते रहेंगें। इकलौते बच्चे अथवा दोनों लड़कियों के कानूनी संरक्षक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह बच्चे अथवा बच्चों के माता-पिता की मृत्यु की सूचना तथा इकलौते बच्चे की स्थिति में बच्चे के नाम से खोले गये खाते का नम्बर तथा दो लड़कियों की स्थिति में नये खोले गये संयुक्त खाते का नम्बर सिविल सर्जन तथा उस पंचायत अथवा नगरपालिका समिति को दें, जहां उनके माता-पिता पंजीकृत थे ताकि प्रोत्साहन की भावी राशि उनके खाते में जमा हो सके ।

(7) राज्य सरकार इस योजना के अन्तर्गत नये पंजीकरण किसी भी समय बंद कर सकती है, परन्तु पंचायतों अथवा नगरपालिकाओं में उस तिथि तक पहले से पंजीकृत दम्पतियों के मासिक भुगतान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

स्वीकृति तथा वितरण प्राधिकारी

सम्बन्धित जिले का सिविल सर्जन पात्र दम्पतियों को मासिक प्रोत्साहन स्वीकृत करने तथा अदायगी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा ।

अदायगी का तरीका तथा अन्य शर्तें

1 योग्य दम्पति डाकघर में संयुक्त खाता खोलेंगे तथा तुरन्त इस बारे में सम्बन्धित सिविल सर्जन को सूचित करेंगे ।

2 सिविल सर्जन पात्रता आदि जांच करने के बाद पात्र दम्पति के खाते में मासिक प्रोत्साहन राशि जमा करेगा ।

3 पात्र-दम्पति इस योजना को जारी रहने तक अपना खाता खुला रखेंगे ।

4 पति-पत्नी दोनों की मृत्यु के अतिरिक्त यदि किसी अन्य कारण से संयुक्त खाता बन्द किया जाता है तब दी जाने वाली मासिक प्रोत्साहन राशि बन्द हो जायेगी ।

5 परिवार नियोजन के स्थाई उपाय अपनाने के बाद किसी भी अन्य कारण से दम्पति को बच्चा हो जाता है तो मासिक प्रोत्साहन की राशि का भुगतान तत्काल बन्द हो जायेगा ।

6 मासिक प्रोत्साहन की राशि की पात्रता परिवार कल्याण के स्थाई उपाय अपनाने की तिथि से प्रारम्भ होगी तथा प्रोत्साहन राशि का भुगतान परिवार कल्याण के स्थाई उपाय अपनाने की तिथि से सिविल सर्जन द्वारा सत्यापित करने के बाद किया जायेगा ।

योजना के अन्तर्गत पात्र दम्पतियों के लिए पंजीकरण का तरीका

1 इस योजना का लाभ प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले दम्पति अपना पंजीकरण फार्म ए व बी (दोहरी प्रतियों में) जैसा भी हो, भरेंगे।

2 भरा हुआ पंजीकरण फार्म स्थानीय ग्राम पंचायत/ नगरपालिका, जहां दम्पति निवास करता हो, को प्रस्तुत किया जायेगा ।

3 स्थानीय ग्राम पंचायत/ नगरपालिका फार्म में दिये गये तथ्यों की जांच करने के बाद दोनों फार्मों पर पंजीकरण संख्या अंकित करेगी । एक फार्म स्थानीय ग्राम पंचायत/नगरपालिका अपने पास रखेगी और दूसरा फार्म पर पंजीकरण संख्या तथा पंजीकरण करने की तिथि अंकित करने के बाद उसे सिविल सर्जन को प्रेषित करेगी ।

4 दम्पति इस पंजीकरण फार्म को सम्बन्धित सिविल सर्जन को रिकार्ड हेतु प्रस्तुत करेगा।

5 स्थानीय ग्राम पंचायत/ नगरपालिका इस योजना के लिये अलग अभिलेख रजिस्टर रखेगी ।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि यह जो देवी रूपक योजना हरियाणा सरकार ने हरियाणा में शुरू की है इससे गरीब आदमियों को लाभ हुआ है । क्या मंत्री जी के नोटिस में यह बात है कि यह योजना हरियाणा के अलावा किसी दूसरे राज्य में भी शुरू है । अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही अच्छी योजना है क्या हरियाणा सरकार ने दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उनके यहां यह योजना लागू करने बारे कोई सुझाव दिया है ।

डॉ० एम०एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी की यह मंशा रहती थी कि राष्ट्रीय उत्थान के लिए सामाजिक जिम्मेवारियों का निवारण पूरी तरह से किया जाये । उसी बात को ध्यान में रखते हुए हर राष्ट्रीय समस्या को सामाजिक समस्या मानकर ये कार्य करते रहे । आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसी बात को देखते हुए जनसंख्या वृद्धि, भ्रूण हत्या, लिंग विषम अनुपात जैसी समस्याओं को राष्ट्रीय समस्याएं माना है । इन राष्ट्रीय समस्याओं को सामाजिक समस्याएं मानकर एक ऐसी योजना मुख्यमंत्री जी के परामर्श से हमने बनाई है जिस योजना के तहत इन तीनों समस्याओं का समाधान हो जायेगा और इस योजना का नाम हमने देवी रुपक योजना रखा है । अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से हमारी आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, 1971 में 1 करोड़ 73 लाख थी, 1991 में 2 करोड़ 10 लाख थी और आज के दिन 2 करोड़

[डॉ० एम०एल० रंगा]

13 लाख के करीब हो गई है । इसी तरह से लिंग विषम अनुपात आज हरियाणा में एक हजार लड़कों के पीछे 861 लड़कियों तक पहुंच चुका है और भ्रूण हत्या की बुराई समाज में लगातार बढ़ती जा रही है । अध्यक्ष महोदय, इन सब बातों को देखते हुए, काफी विचारविमार्श करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श से हमने यह योजना तैयार की है । इस योजना के तहत शादी के दो साल बाद यदि कोई दम्पति एक लड़की के बाद परिवार नियोजन की योजना अपनाता है तो उसको 500 रुपये प्रति माह नगद दिए जायेंगे और यह राशि 20 साल तक दी जायेगी जो कि लाखों में बनती है । इस योजना के तहत यदि कोई दम्पति एक लड़के के बाद परिवार नियोजन करता है तो उसको 200 रुपये प्रति माह 20 साल तक नगद दिए जायेंगे । अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं बल्कि इस योजना के तहत यदि कोई दम्पति दो लड़कियों के बाद इस योजना को अपनाता है तो उसको भी 200 रुपये प्रति माह दिए जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की योजनाओं से जहां जनसंख्या वृद्धि में कमी आयेगी वहीं भ्रूण हत्याएं भी नहीं होंगी और इससे लिंग विषम अनुपात जो घटता जा रहा है वह भी ठीक होगा। मैं पूरे सदन को बताना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में हरियाणा पहला प्रदेश है जिसने इस योजना को अपनाया है और किसी दूसरे राज्य ने अपने यहां इस स्कीम को अभी नहीं अपनाया है । पिछले दिनों जब हमारी केन्द्रीय स्वास्थ्य कल्याण मंत्री जी से मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद पूरे भारत के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में आदरणीय केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस बात का उल्लेख किया कि सभी राज्यों को हरियाणा की इस देवी रूपक योजना को अपनाना चाहिए और हरियाणा का अनुकरण करना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि पहले भी नीतियां आई। चाहे एमरजेंसी में आई, किसी और प्रकार की आई । वे बन्दीकरण करते रहे लेकिन समस्या के समाधान के बारे में किसी ने नहीं सोचा । पहली बार यह हुआ है कि समाज में लड़कियों को किस प्रकार से सम्मान दिया जाये, भ्रूण हत्या को कैसे रोका जाये और जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोका जाये यह सब हमारी सरकार ने किया है ।

चौ० नफे सिंह राठी : स्पीकर साहब, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हरियाणा में मेल और फिमेल की वर्तमान दर क्या है और मेल और फिमेल की समानता के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ।

डॉ० एम० एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, लिंग विषम अनुपात के बारे में हरियाणा में आज 1000 लड़कों के पीछे 861 लड़कियां आ रही हैं । जहां तक 6 साल के बच्चों की बात आ रही है, 13 या 15 साल के बाद समाज के सामने जो चुनौती आएगी वह यह है कि उस समय यह संख्या 1000 के पीछे 820 से लेकर 837 के करीब आएगी । यह एक चिन्ता का विषय है। इस चिन्ता के विषय के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि चाहे एम०एल०एज० हैं या चाहे एम०पीज० हैं सभी से निवेदन है कि सरकार इस विषय के बारे में काफी काम कर रही है लेकिन जब हमारे चुने हुए प्रतिनिधि चाहे कोई पंच, सरपंच है या ब्लाक समिति के सदस्य हैं या जिला प्रमुख हैं, बैठकर इस सामाजिक बुराई के बारे में विचार नहीं करेंगे तब तक इस समस्या से निपटना उतना आसान नहीं है जितना दिखाई देता है । इसके लिए हम सब को मिलकर काम करना होगा । जिस प्रकार सभी ने मिल कर दहेज के खिलाफ और मदिरापान के खिलाफ लड़ाई लड़ी उसी प्रकार से इस बुराई के बारे में जब तक पीछे नहीं लगेंगे तब तक हम इस बुराई को दूर नहीं कर

पाएंगे । इस बुराई को दूर करने के लिए सरकार ने पहली बार अल्ट्रा साउंड के 727 पोलो क्लीनिक रजिस्टर किए हैं । स्पीकर साहब, पी०एन०डी०टी० एक्ट 1994 में बना और 1996 में पहली बार प्रचारित हुआ है । इस एक्ट के तहत अब तक 2494 केसिज बैनिफिट लेने वालों के रजिस्टर हुए हैं, जबकि ऐसे केस किसी दूसरे प्रान्त में रजिस्टर नहीं हुए । इसी प्रकार से लिंग भ्रुण के 17 केस रजिस्टर हुए यानि एफ०आई०आर० दर्ज हुई, ये केसिज कोर्ट में लम्बित हैं । इसी प्रकार से जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए और पंचायत के सम्मेलन बुलाए गए हैं और सरकार सेमीनार भी कर रही है। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि सरकार का विचार है कि एक लैजिस्लेटिव फोरम की एक संगोष्ठी करके इस बुराई के बारे में विचार किया जाए जिस पर चुने हुए जो नुमाइन्दे हैं वे अपने विचार रखें और उनके अच्छे सुझावों को लेकर हम समाज में, देहात में जाएं ताकि इस बारे गहन विचार किया जा सके ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अब तक कितने लोगों ने इस स्कीम का लाभ उठाया है । दूसरे मैं जानना चाहता हूं कि इस स्कीम पर जो व्यय हुआ है इसमें सेन्टर सरकार का भी कोई हिस्सा है या सिर्फ सारा खर्च प्रदेश सरकार ही वहन कर रही है ।

डॉ०एम०एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस योजना के तहत हमारे यहां पर 2494 केसिज रजिस्टर हो चुके हैं और इसमें से 180 केस परिवार नियोजन योजना के तहत अपनाए जा चुके हैं जिनमें से 16 केसिज में लड़कियों के बाद इस को अपनाया है और 164 केसिज में लड़कों के बाद इस स्कीम को अपनाया गया है । जहां तक खर्च की बात है, उस बारे में मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि पिछले बजट में इस काम के लिए सरकार की तरफ से 10 लाख रुपये रखे गए थे । साथ ही मैं यह भी इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस स्कीम का सारा खर्च प्रदेश सरकार स्वयं वहन कर रही है और इसमें केन्द्र सरकार की तरफ से हमें कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो रही ।

श्री रमेश खटक : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस योजना के तहत अब तक कितने केसिज रजिस्टर हो चुके हैं ।

श्री अध्यक्ष : खटक जी, आप बैठिये । इस सवाल का जवाब मंत्री जी दे चुके हैं ।

श्री भगवान सहाय रावत : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री ने देवी रूपक योजना के बारे में काफी डिटेल में बताया है और सरकार निश्चित रूप से इस योजना पर बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है, इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है । लेकिन इस शताब्दी में जो पुरूषों और स्त्रियों की अनुपात की संख्या में अन्तर आ रहा है वह एक चिंता का विषय है। जहां सरकार जनसंख्या को स्थिर करने के प्रति गंभीर है और इसके उपायों पर विचार कर रही है वहां मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा जो लड़कियों की भ्रूण हत्याएं की जाती है, उसके बारे में मंत्री जी बताएं कि इस विषय में सरकार द्वारा क्या सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।

डा० एम०एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मै पहले ही सम्मानित सदस्यों को इस विषय में जानकारी दे चुका हूं कि देवी रूपक योजना के तहत भ्रूण हत्या के केसों मे कमी आएगी। हमारे यहां जितनी भी अल्ट्रासाउंड मशीने हैं उन अल्ट्रासाउंड मशीनों का पंजीकरण हरियाणा प्रान्त में पहली बार किया है और 747 अल्ट्रासाउंड मशीनों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसमें हमने यह रखा है कि पी०एन०डी०टी० ऐक्ट के तहत यदि कोई लिंग की जांच के लिए जाता है

[डॉ० एम०एल० रंगा]

या कोई सलाह देता है या करता हुआ पकड़ा जाता है तो 1996 के पी०एन०डी०टी० ऐक्ट के तहत जो सजा थी उसमें 10 हजार रुपये जुर्माना और 3 महीने की सजा थी । पी०एन०डी०टी० ऐक्ट का संशोधन कर दिया गया है और पी०एन०डी०टी० ऐक्ट, 2003 के तहत इसमें 50 हजार रुपये का जुर्माना और छः महीने की सजा का प्रावधान रखा हुआ है । चाहे नगरपालिका का पार्षद है या हमारा जिला प्रमुख है हमने सभी को इस विषय में जानकारी दी है और इस देवीरूपक योजना का सरलीकरण भी इसी दृष्टि से कर रहे हैं । हमने उनसे यह कहा है कि अगर कहीं पर भ्रूण हत्या का कोई मामला उनके नोटिस में आता है तो वे उसके बारे में जानकारी दें । जानकारी प्राप्त करके हम छापे भी मारते हैं, वहां पर हमारी टीमें भी जाती हैं और इस कोर्ट केसिज भी करते हैं । जितने भी सम्मानित सदस्य यहां पर बैठे हुए हैं उनसे और दूसरे लोगों की भी यह सामाजिक जिम्मेदारी है कि यदि कोई ऐबोर्शन के लिए जाता है या कोई प्रेरित करता है तो निश्चित रूप से जो जाता है वह आमतौर पर खुद इसकी जानकारी नहीं देता है लेकिन समाज के हर आदमी की जिम्मेदारी है कि उसकी जानकारी डॉक्टर को दे, सिविल सर्जन को दे या तुरन्त हमें जानकारी दें ताकि इस जानकारी के तहत उसको ऐसा करने से रोका जा सके और उसके खिलाफ केस रजिस्टर किया जा सके ।

श्रीमति अनिता यादव : स्पीकर सर, आज एक हजार लड़कों के ऊपर 861 लड़कियां रह गई हैं यह बड़ी चिन्ता का विषय है । इस चिन्ता के विषय के अन्तर्गत, इस कड़ी के अन्तर्गत चीफ मिनिस्टर साहब मेरे क्षेत्र के अन्दर गए थे ।

श्री अध्यक्ष : आप क्वैश्चन पूछें ।

श्रीमति अनिता यादव : स्पीकर सर, मैं प्रश्न ही पूछ रही हूं । उस वक्त मैंने पूछा था कि हमारे साल्हावास क्षेत्र के जो लड़के कुंवारे रह जाएंगे ---------(विघ्न) ।

श्री अध्यक्ष : यह कोई क्वैश्चन नहीं है, आप क्वैश्चन पूछें ।

श्रीमति अनिता यादव : लिंग अनुपात की जो बात आएगी वह भी इसकी एक कड़ी है ।

श्री अध्यक्ष : आप इस बारे में क्या चाहती हैं ?

श्रीमति अनिता यादव : उन लड़कों की शादी हो जाएगी मेरे क्षेत्र में जो अनुपात है वह पैरलल आ जाएगा । मैं यह जानना चाहती हूं कि लड़कियों की कमी की वजह से जिन लड़कों की शादी नहीं होगी वह शादी कहां से होगी ?

श्री अध्यक्ष : आप इस बारे में कोई सुझाव दें या कोई सप्लीमैंट्री पूछें ताकि मंत्री जी उसके बारे में जवाब दे सकें ।

श्रीमति अनिता यादव : जो अनमैरिड हैं उनकी शादी होने के बाद जो पहला ईशू होगा पहले बच्चे के बाद मैं उन पर दबाव दे कर उनका आपरेशन करवाऊंगी ।

श्री अध्यक्ष : आप इस स्कीम से सहमत हैं या नहीं हैं ?

श्रीमति अनिता यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रही हूं कि यह जो घटता हुआ अनुपात है इस बारे में सरकार क्या कर रही है (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : बहन जी, आप बैठिये, यह कोई सवाल नहीं है आप बैठें ।

श्रीमति अनिता यादव : अध्यक्ष महोदय, ****** ******* *******

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये । (विघ्न) जो यह बोल रही हैं वह कुछ भी रिकार्ड न किया जाए ।

डा० एम०एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने पहल करते हुए हरियाणा के सभी एम०पीज०, सभी विधायकों, सभी जिला प्रमुखों सभी नगरपालिकाओं के अध्यक्षों तथा जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं सभी को पहली बार डी०ओ० लैटर लिख कर देवीरूपक योजना की जानकारी दी थी और उनसे सुझाव मांगे थे कि यदि इस योजना में वे कोई संशोधन करवाना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वे दें । अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस को यह भी अवगत करवाना चाहूंगा किसी भी माननीय सदस्य से इस बारे में अभी तक किसी प्रकार का कोई भी सुझाव नहीं आया है । अध्यक्ष महोदय, इस सब के बावजूद हरियाणा देश का पहला प्रान्त है जिसने पंचायती चुनावों में दो बच्चों की सीमा को रखा है जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता प्रदान की है । पूरे प्रदेश के अन्दर ही नहीं बल्कि देश और विदेश में भी हरियाणा प्रदेश के इस फैसले की सर्वत्र सराहना की जा रही है कि हरियाणा प्रान्त में इस प्रकार की योजनाबद्ध कार्यवाही की जा रही है । आदरणीय सदस्यगण जो भी सुझाव देंगे उनके सुझाव के अनुसार इसमें यदि किसी प्रकार की मोडिफिकेशन की जरुरत होगी या कुछ ऐड करना होगा तो वह किया जाएगा ।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, ****** ******* ********

श्री अध्यक्ष : फौजी साहब, ऐसे नहीं बोलते हैं, इनकी बात रिकार्ड न करें । फौजी साहब, आपसे ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी । (विघ्न)

मुख्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा ही अहम् मसला है इसकी जानकारी केवलमात्र हरियाणा विधान सभा के चुनिन्दा सदस्यों को ही नहीं पूरे प्रदेश और पूरे राष्ट्र के लोगों को पूरी तरह से मिले इसके लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं । इन्सान अतीत से सीखता है और भविष्य की कल्पना करता है । यह जो नई जनगणना हमारी हुई है उसमें लड़कों की संख्या 1000 और लड़कियों की संख्या 861 हुई है । इसके कारण पूरे राष्ट्र में हरियाणा प्रदेश की बदनामी हुई है । अब इसके लिए क्या प्रयास किए जाएं । एमरजैंसी में चुनिंदा लोगों को तो जबरदस्ती जेलों में डाल दिया गया था और सख्ती से नसबंदी शुरू की गई ताकि इस जनसंख्या को घटाया जाए अब इस बारे में विवरण दिया जाए तो सिर शर्म से झुक जाएंगे कि लोगों के साथ किस प्रकार से ज्यादतियां की गई थीं लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए थे । हम चाईना में गए थे, वहां पर एक बच्चा पैदा होने पर कई सुविधाएं दी जाती हैं और दूसरा बच्चा पैदा होने पर सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जाती हैं वे सारी सुविधाएं वापिस ले ली जाती हैं । हम ट्यूनेशिया गए थे वहां पर दो बच्चे पैदा करने वाले को नौकरी दी जाती है और तीसरा बच्चा हो जाए तो उसकी परमोशन रोक दी जाती है और उसके बाद भी अगर बच्चा पैदा हो जाए तो उसको सड़क पर छोड़ दिया जाता है और उसकी सारी सुविधाएं वापिस ले ली

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

जाती हैं । इन सारे हालात के दृष्टिगत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि केवल कानून की सख्ती से अगर जनसंख्या में कमी होती तो कांग्रेस के रिजिम में एमरजैंसी में हो जाती, चाईना में हो जाती और टयूनेशिया में हो जाती । इस तरह से वहां पर कानून है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा चाईना और टयूनेशिया में होता है । लेकिन हमने कानून का सहारा न लेकर लोगों को इन्सैंटिव देने का निर्णय लिया है । सभी बातों को मध्यनजर रखते हुए हमने देवी रूपक योजना लागू की है । जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री रंगा जी ने भी कहा है कि देवी रूपक योजना के बारे मे सभी धुनिंदा लोगों से उनकी राय लेनी थी और वे अपनी राय दे सकते हैं, उस पर भी विचार कर लिया जाएगा । अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले महीने 27 और 28 को श्रीनगर में इन्टर स्टेट कौंसिल की मीटिंग हुई थी मैने उसमें भी इस बात को रखा था, सारे राष्ट्र में उसकी प्रसंशा हुई थी, वहां पर हर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हुए थे और प्रधान मंत्री जी उस मीटिंग की अगुवाई कर रहे थे, सभी ने इसकी सराहना की थी, प्रशंसा की थी और प्रधान मंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया था कि पूरे राष्ट्र में इस तरह की स्कीमें लागू की जाएं । आज बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए बहुत ही घातक है । इस योजना को बनाने के पीछे कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं था । हम चाहते हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले और यह तभी संभव होगा जब जनसंख्या कम होगी । इस योजना के बारे में कोई भी अच्छा सुझाव सदन के सदस्य देना चाहें तो सरकार मानने में लेशमात्र संकोच नहीं करेगी । रचनात्मक सुझाव दें तो हम उनको मान सकते हैं । इसमें और भी कोई अच्छे सुझाव देंगे तो यह सरकार उस पर अमल करेगी ।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, देवी रूपक योजना के तहत सरकार ने जो कदम उठाये हैं, मैं समझता हूं कि इसमें कुछ योजनाएं अच्छी हैं, यह अच्छा प्रयास है और प्रसंशनीय है। इसमे तीन कैटेगरी अलाट की हैं । एक तो किसी के अगर पहले लड़की होती है और उसके बाद बच्चा पैदा न करे तो उसको 500 रुपये दिए जाएंगे । दूसरे, अगर किसी के पहला लड़का होगा और उसके बाद बच्चा पैदा न करे तो उसको 200 रुपए दिए जाएंगे । तीसरे अगर जिसके पहले लड़की है और दोबारा से लड़की हो जाती है तो उसको 200 रुपये दिए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो व्यक्ति अपने सारे जीवन में एक भी बच्चा पैदा नहीं करता है तो उसको भी इस योजना के तहत क्यों नहीं लाते हैं । क्या उसको भी हरियाणा सरकार कोई इन्सैंटिव देगी ?

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, यह कोई सवाल नहीं है आप अपना सवाल पूछें ।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल ही पूछ रहा हूं । जो आदमी सारी जिन्दगी एक भी बच्चा पैदा नहीं करता है तो उसमें उसका क्या कसूर है, वह राष्ट्र के हित के लिए कोई बच्चा पैदा नहीं करता है । वह देश की जनसंख्या कम करने में अपनी भागीदारी दे रहा है तो उसको भी 2000 या 5000 रुपये की सुविधा देनी चाहिए । अब देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने इतनी बड़ी कुर्बानी देश के लिए दी है तो इस सरकार को ऐसे आदमियों को भी कोई इन्सैंटिव देना चाहिए । आप मेरे इस सुझाव को भी अपनी स्कीम में जोड़ लें ।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : वह आदमी शादीशुदा होना चाहिए या अनमैरिड, आप इस बारे में भी बता दें ।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, ऐसे आदमियों को भी 5000 रुपए देने चाहिए । ऐसे फायदे को देखते हुए अगला शादी भी नहीं करवायेगा । वह अपने आप पर कंट्रेल कर लेगा।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाएं, नैक्स्ट क्वैश्चन ।

Construction of Bus-Stand in Karnal

*** 1528. Shri Jai Parkash Gupta :** Will the Minister for Transport be pleased to state whether the construction work of Bus-Stand in Sector 12, Karnal has been started; if so, the progress so far made in this regard ?

परिवहन मंत्री (श्री अशोक कुमार अरोड़ा) : सैक्टर 12 करनाल में नये बस अड्डे के निर्माण हेतु सिद्धान्त रूप में निर्णय लिया जा चुका है। आगामी कार्यवाही की जा रही है ।

श्री जय प्रकाश गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से परिवहन मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि करनाल में नये बस अड्डे का निर्माण कब तक शुरू कर दिया जाएगा ?

श्री अशोक कुमार : स्पीकर साहब, करनाल में क्योंकि रश बहुत बढ़ गया है इसलिए जनता की मांग को देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि वहां पर नया बस अड्डा बनाया जाए। । हुडा ने सैक्टर-12 में दस एकड़ जमीन बस अड्डे के लिए और साढ़े चार एकड़ जमीन वर्कशाप के लिए ट्रांसपोर्ट नगर जो हुडा का है, उसमें दी है । हम प्रयास करेंगें कि उस पर जल्दी ही काम शुरू हो जाए ।

श्री जय प्रकाश गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, जैसे इन्होंने बताया है कि करनाल में नया बस अड्डा बनाने के लिए हुडा ने करनाल के सैक्टर 12 में दस एकड़ जमीन और ट्रांसपोर्ट नगर में साढ़े चार एकड़ जमीन वर्कशाप के लिए दी है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से परिवहन मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अगर वहां पर नया बस अड्डा बनाने के लिए और वर्कशाप बनाने के लिए कहीं पर एक ही जगह पर जमीन उपलब्ध हो जाए तो क्या सरकार उस पर इकट्ठा ही बस अड्डा और वर्कशाप बनाने के बारे में विचार करेगी ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, गुप्ता जी का प्रश्न बहुत वाजिब है। आज जो प्रपोजल सरकार की तरफ से इस बस अड्डे और वर्कशाप को बनाने का लिया गया वह यह कि ये दोनों अलग-अलग बनाए जाएंगे । शायद भूमि न मिलने की वजह से ऐसा निर्णय लिया गया । मेरी जानकारी के मुताबिक करनाल का सैक्टर-12 जो आज भी तकरीबन शहर के हार्ट में है, को देखते हुए ही ऐसा निर्णय लिया गया है ताकि कल को फिर वही परिस्थिति पैदा न हो जाए । लेकिन सरकार इनके सुझाव पर अमल करेगी और हम प्रयास करेंगे कि और किसी अलग जगह पर इस बस अड्डे को और वर्कशाप को इकट्ठा ही बनाया जाए ताकि लोगों को भीड़भाड़ से दिक्कत न हो ।

Complaints of the Electricity Consumers

*** 1490 Shri Banta Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state the steps taken or proposed to be taken by the State Government to modernize the system of attending to the complaints of the electricity consumers; if so, the details thereof ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : राज्य में उपभोक्ता शिकायतों को दूर करने के लिए प्रणाली का आधुनिकीकरण करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं:-

1. जहां भी संभव हो शिकायत केन्द्रों पर पी & टी टेलीफोन की व्यवस्था करना ।
2. जिन शहरों में सुविधा उपलब्ध है उनमें शिकायतों को दर्ज करने के लिए पेजर सेवा की व्यवस्था करना ।
3. चुनिन्दा शहरों में मोबाइल शिकायत केन्द्र की सुविधा ।
4. जिला मुख्यालयों पर शिकायत दर्ज करने के लिए इन्टरएक्टिव वायस रिस्पोन्स सिस्टम की सुविधा प्रदान करना ।
5. उपभोक्ता सेवाओं को सुधारने के लिए फरीदाबाद तथा गुड़गांवा में बिजली सुविधा केन्द्र पहले ही कार्य कर रहे हैं। आगामी तीन महीनों में और अधिक बिजली सुविधा केन्द्रों की स्थापना करने की संभावना है ।

श्री बन्तराम बाल्मिकी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार द्वारा बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों पर ध्यान देने की प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए क्या पग उठाए गए हैं या उठाए जाने प्रस्तावित हैं ? और अगर कोई पग उठाए गए हैं तो कृपा करके उनका ब्यौरा दे दें ।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, मेरे माननीय साथी बन्तराम जी ने यह जानना चाहा है कि बिजली उपभोक्तओं की शिकायतों के निपटान के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं । अध्यक्ष महोदय, उतरी हरियाणा बिजली वितरण निगम में 1335 शिकायत सैंटर्ज खोले गये हैं और उनमें से 165 पर टेलीफोन की सुविधा दी गयी है । इसी प्रकार से दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम में 471 शिकायत सैंटर्ज खोले गये जिनमें से 128 पर टेलीफोन की सुविधा दी गयी है । इसी प्रकार से मोबाइल शिकायत केन्द्र चुनिन्दा नगरों में चालू किये गये हैं जैसे पंचकुला में । इसी प्रकार से जिला मुख्यालयों पर ट्राली माउन्टेड ट्रांसफार्मर की भी सुविधा प्रदान की गयी है यानी ट्राली में ही ट्रांसफार्मर रखे होते हैं ज्यों ही कहीं से इस बारे में कम्पलेंट आती है त्यों ही वह ट्राली वहां ले जाकर ट्रांसफार्मर बदल दिया जाता है । इसी प्रकार से जिला मुख्यालयों में इंटरएक्टिव वायस रिसपोंस की प्रणाली भी लागू की गयी है और प्रमुख शहरों फरीदाबाद, गुड़गांव में बिजली सुविधा केन्द्र शुरु किए गए हैं । फरीदाबाद, गुड़गांव और अभी पंचकूला, अम्बाला और करनाल में 3 से 6 महीनों में इसी प्रकार से बिजली सुविधा केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित हैं ।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय श्री माजरा जी से निवेदन करना और जानकारी हासिल करना चाहूंगा कि हरियाणा विधान सभा की पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी ने इस विभाग की स्पॉट स्टडी की थी और हमारे आदरणीय साथी भाई श्री अभय सिंह चौटाला जी ने और अन्य सभी सदस्यों ने एकमत निर्णय से यह सुझाव दिया था कि सारी स्टेट के अंदर जो कंप्लेंट सैंटर हैं उन पर कंप्लेंट बुक एक जैसी नहीं होती हैं कहीं लंबी होती हैं, कहीं छोटी होती है, यह सुझाव दिया था कि सारे हरियाणा के अंदर एक जैसी कंप्लेंट बुक हों, उनमें एक जैसे खाने हों, एक जैसे कॉलम हों । बाकायदा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम हो ताकि उपभोक्ता को यह

बताया जाए कि यह कंप्लेंट आई है और उसको कब अटैंड किया है । यह जो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी का सुझाव था क्या उसको लागू किया गया है या नहीं ?

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, बिसला जी ने जिस प्रकार यह सुझाव दिया है उससे पहले ही इस मामले पर गहराई से विचार विमर्श किया गया है और विशेषकर से कंप्लेंट सैंटर्स के बारे में कि किस प्रकार से कंप्लेंट्स दर्ज हों इस बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिस प्रकार से पुलिस का टैलीफोन का नंबर 100 है उसी प्रकार से बिजली का कंप्लेंट सैंटर टैलीफोन का नंबर भी एक कर दिया जाए । इस पर गहन अध्ययन किया जा रहा है कोशिश होगी कि इसे जल्दी से जल्दी लागू कर दिया जाएगा ।

श्री रणबीर सिंह मंदौला : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से उपभोक्ताओं की शिकायत के लिए जो आधुनिक शिकायत केन्द्र बनाए गए हैं यह इस प्रकार का बड़ा ही सराहनीय कदम है। मैं सी.पी.एस. महोदय से जानना चाहूंगा कि जैसे किसी शिकायत केन्द्र पर कोई उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराकर आता है उसकी शिकायत का निवारण कितने समय में होता है और जो अधिकारी या कर्मचारी निश्चित समयावधि में शिकायत का निवारण नहीं करता उस अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है । अब तक कितनी शिकायतों के खिलाफ इस प्रकार के ऐक्शन लिये गये हैं ?

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, मैंने अभी कंप्लेंट सैंटर्स के बारे में आपके माध्यम से बताया। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में बिजली के हर कंप्लेंट सैंटर पर बकायदा रजिस्टर रखे गये हैं और उनमें कंप्लेंटस दर्ज होती हैं । गांव के लोग जाकर कंप्लेंट दर्ज करते हैं और शहर के लोग टैलीफोन के माध्यम से करते हैं और उनकी कंप्लेंट पर एक दिन में ही कार्यवाही हो जाती है । यदि मेरे साथी विधायक के नोटिस में ऐसा कोई केस हो जिसमें कार्रवाई न हुई तो वे मेरे नोटिस में ला दें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सी.पी.एस. साहब से जानना चाहूंगा कि जैसा कि बिसला साहब ने बताया कि पी.यू.सी नें स्पॉट स्टडी विजिट किया था, मैं उस कमेटी का चैयरमैन था । हमने हिसार के अंदर देखा कि शहर के बीचों बीच 11 के०वी० की लाईन हैं और काफी कंजस्टिड हैं और 11 हजार वोल्ट की यह लाइनें दुकानों को क्रॉस करती हुई आती हैं । क्या सी०पी०एस० साहब इस प्रकार का सर्वे कराकर जो पुराने सब स्टेशन और शहर के बीचों बीच लाईनें हैं उनको बाहर निकालने की योजना बनाएंगे और यदि हां तो कब तक ?

श्री रामपाल माजरा :अध्यक्ष महोदय, यह सप्लीमैंट्री इस सवाल से रिलेटिड नहीं है । माननीय सदस्य इसे अलग से पूछ लें ।

श्री कृष्ण लाल पंवार : ठीक है ।

Developing of HUDA Sector in Pataudi

*** 1524 Shri Rambir Singh :** Will the Minister for Town & Country Planning be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to develop a sector by HUDA in Pataudi, District Gurgaon; if so, the details thereof ?

नगर तथा ग्राम आयोजना मन्त्री (श्री धीरपाल सिंह) : जी हाँ, श्री मान् हुड्डा द्वारा पटौदी में 255 एकड़ भूमि का चयन रिहायशी सैक्टर बनाने हेतू किया गया है, जो कि गुड़गावां - पटौदी एवम् पटौदी हैली मंडी सड़कों पर पड़ती है । भूमि अर्जन का कार्य जल्द ही आरम्भ किया जायेगा ।

श्री रामबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से सैक्टरों के बारे में एक बात पूछना चाहूंगा कि क्या गावों में भी ब्लॉक लेवल पर शहरों की तरह सैक्टर काटने की सरकार की कोई योजना है ?

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे विभाग को निर्देश दिए हैं कि जो सुविधाएं शहर के नागरिकों को मिलती हैं उसी ढंग की सुविधाएं गांव के लोगों को भी उपलब्ध कराई जायें और इसके लिए चयन करने का अधिकार खण्ड के आधार पर डी०सी० साहब को लिखकर हमारे विभाग ने भेजा हुआ है और कुछ गांवों में जमीन का चयन भी कर लिया है । आप कहें तो मैं बता देता हूं । पहले तो यह योजना थी कि पंचायत की भूमि खरीदेंगे लेकिन बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि पंचायत की भूमि क्यों खरीदी जाये इससे तो पंचायत के कार्यों में बाधा आयेगी और पंचायत की भूमि अगर खरीदी जायेगी तो उसके लिए हम पंचायत को मुआवजा देंगे । जैसे सड़के हैं, पानी है, बिजली की सुविधाए हैं, चिकित्सा के लिए कम्यूनिटी सैंटर हैं और दूसरी सब सुविधाओं को आधार मानकर हम गावों में ब्लॉक स्तर पर भूमि अर्जित करके इस काम को जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शुरू करवाने जा रहे हैं । माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं सदन को बताना चाहूंगा कि गुड़गांव के पिनांवा गांव का चयन पहली स्टेज पर किया गया है ।

श्री बलवन्त सिंह मायना : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि गावों के अन्दर सैक्टर बनाने की जो योजना है उसको मानते हुए मेरे हल्के के गांव रिटोली में ग्राम पंचायत ने जमीन को समतल करके पंचायत की तरफ से डी०सी० साहब को इस बारे लिखकर भेज रखा है, उस पर कब और कितने दिनों में कार्यवाही शुरू की जायेगी और ग्रामीणवासियों को डिवैल्पमैंट चार्जिज लेकर इस भूमि को देने का काम करेंगे या उस भूमि के लिए कोई दूसरे रेट रखने का काम करेंगे ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, गांवों की बढ़ती हुई आबादी के दृष्टिगत वहां के लोगों को मूलभूत सुविधाएं न मिलने की वजह से हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया है कि टाउन एण्ड कण्ट्री प्लानिंग विभाग द्वारा जिस तरह से अर्बन एरिया में सैक्टर काटे जाते हैं उसी प्रकार से गांवों में भी सैक्टर काटे जायेंगे । इसके लिए पहली स्टेज पर हमनें इस प्रदेश के 116 ब्लॉकों के लिए इस प्रकार के गांवों का चयन करने का निर्णय लिया है । जहां ये इस प्रकार के सैक्टर अवश्यंभावी हैं वहां के लिए सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जहां पर जगह नहीं है और जहां पर पंचायत की भूमि ली जायेगी उसको हम निशुल्क नहीं लेंगे बल्कि उस जमीन के लिए हम उस पंचायत को पैसे देंगे । गांवों में हम जो भी सैक्टर स्थापित करेंगे उनमें वे सारी सुविधाएं देंगे जो आज शहरों में बसने वाले लोगों को उपलब्ध होती हैं । इवन सीवरेज सिस्टम गांवों में स्थापित करके हम एक नई परम्परा कायम करने जा रहे हैं ताकि लोगों को मूलभूत जरूरियात उपलब्ध हो सकें । इसके लिए अगर अलग-अलग सदस्य अपने-अपने

गांवों के नाम तजवीज करेंगे तो इसमें दिक्कत और कठिनाई आयेगी । पहली स्टेज पर हम 116 गावों में यह योजना लागू कर रहे हैं । उसके बाद जहां कहीं जिस गांव में जरूरत होगी, सरकार उस गांव में उसी प्रकार से सैक्टर बनाएगी ।

15.00 बजे

Setting up of 66K.V. Sub-Station at Village Durana

*** 1516. Shri Jasbir Mallour :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up 66 K.V. Sub-station at village Durana, district Ambala; if so, the time by which it is likely to be set up ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : श्रीमान, जिला अम्बाला के दुराना गांव में एक नया 66 के०वी० उपकेन्द्र की स्थापना की छानबीन की जा रही है ।

श्री जसबीर मल्लौर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि बिजली के सुधारीकरण के लिए मेरे इलाके में लगभग 35 करोड़ रुपये की लागत के नए सब-स्टेशन लगाए गए हैं । तेपला में 220 के०वी०ए. का, दुखेड़ी में 66 के०वी०ए. का और सौंडा में भी सब-स्टेशनों का शिलान्यास किया गया है । मेरा पर्टीकूलर प्रश्न दुराना के 66 के०वी०ए० सब-स्टेशन के बारे में है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सब स्टेशन को जल्दी बनाया जाए क्योंकि इसके न बनने से वहां के इलाके के किसानों को और लोगों को कम वोल्टेज से नुकसान हो रहा है । पूर्व की सरकारों द्वारा दुराना में 66 के०वी०ए० सब स्टेशन के लिए दो बार पत्थर रखे गए थे उस समय भजन लाल जी मुख्यमंत्री थे लेकिन वे पत्थर रखे के रखे रह गए, उन पर काम चालू नहीं हुए । लोगों को इस सरकार से बहुत आशाएं हैं और उनका मानना है कि अब भी अगर यह सब स्टेशन नहीं बना तो यह फिर कभी बन भी नहीं सकता । इसलिए मेरा मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि इस सब स्टेशन को जरूर बनाया जाए ।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इसकी जांच पड़ताल चल रही है । जैसा मल्लौर साहब ने बताया कि दुखेड़ी में 66 के०वी०ए० सब-स्टेशन बन रहा है, स्वीकृत कर दिया गया है । दुखेड़ी से 9 किलोमीटर दूर सौंडा में भी 66 के०वी०ए० सब स्टेशन बन रहा है और यह गांव वहां से 12 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है इसलिए बिजली की तो इतनी समस्या नहीं है फिर भी इस सब स्टेशन के बारे में छानबीन चल रही है अगर वायबल होगा तो उस पर विचार कर लिया जाएगा । मल्लौर जी ने यह बात तो ठीक कही कि इनके समय में तो केवल पत्थर रखे गए थे, उन पर काम इस सरकार ने ही किए हैं । इनके द्वारा एक नहीं कई पत्थर गेरे गए थे । 1994 में मुलाना में पत्थर रखा गया था लेकिन उसका कार्य अब पूरा हुआ है । बालू में भी पत्थर रखा गया था लेकिन उसका काम अभी शुरु नहीं हुआ । इनके वक्त में छायसा में भी पत्थर रखा गया था लेकिन वह अब जाकर बना है । जहाजगढ़ में 1995 में पत्थर रखा गया था लेकिन उसका काम 19.1.2001 में पूरा हुआ है । चक्कू लदाना में भी पत्थर रखा गया था लेकिन उसका काम पूरा अब होने जा रहा है । (शोर) 10-10 साल पहले जो पत्थर रखे गए थे उन पर काम अब हुए हैं । बिजली के क्षेत्र में इतने क्रांतिकारी पग उठाए गए हैं जिसकी वजह से हरियाणा के किसानों

[श्री रामपाल माजरा]

को और हरियाणा प्रदेश के लोगों को पूरी बिजली मिली है और पूरी फ्रीक्वैंसी के साथ मिलती है । आज हरियाणा प्रदेश के लोगों का सीना गौरव से तन जाता है कि जब चौ० ओम प्रकाश चौटाला जी को पूरे हिन्दुस्तान में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सबसे बढ़िया स्वर्णिम अवार्ड मिला है, इससे अच्छी बात और क्या होगी ।

Construction of Distributary in Hathin Area

***1506. Shri Bhagwan Sahai Rawat :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct new distributary in Hathin Area from Gurgaon Canal ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : हाँ, श्रीमान जी ।

श्री भगवान सहाय रावत: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को बधाई देना चाहूंगा कि वहां के लोगों की समस्याओं को दृष्टिगत रखकर एक नई नहर के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, मैं यह जानना चाहूंगा कि यह केस किस स्टेज पर है, क्या इसकी प्रशासनिक स्वीकृति हो चुकी है, इसकी लागत क्या होगी, इसका काम कब प्रारम्भ होगा और कब तक समाप्त करने की सरकार की योजना है ?

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इससे 18 गांवों के लोगों को फायदा होगा, 18427 एकड़ जमीन की आबपाशी होगी । 3 करोड़ 52 लाख रुपये इस पर खर्च होगा । स्टैण्डिंग कमेटी जो हमारी टैक्नीकल कमेटी है उसमें इसका 15.5.03 को अनुमोदन हुआ है । (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) आर०आई०डी० एफ.-9 में इसका केस हम भेज रहे हैं । नहर महकमे की तरफ से यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी । हमारे साथी भगवान सहाय रावत जी बार बार कहा करते थे, इसको मंजूर करें और इसको बनाएं । कहते थे कि इसका काम कौन करेगा । हम फरीदाबाद में गए थे तो हमने इनसे कहा था कि यह काम चौ० ओम प्रकाश चौटाला जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं । उपाध्यक्ष महोदय, राव दान सिंह जी बैठे हुए हैं इनके यहां नारनौल का हामीदपुर बांध पानी से कभी नहीं भरा गया । यह बांध या तो चौधरी देवी लाल जी की सरकार के समय में भरा था या एक बार परमपिता परमात्मा की कृपा से भरा था या अब चौटाला साहब ने इस बांध में पानी डलवाने का काम किया है और इसको पूरा भरवाया है । भाई शेर सिंह जी भी यहां बैठे हुए हैं । इनके यहां भी कालूवा-कनाना ड्रेन में पहले पानी कभी नहीं चला लेकिन 40 साल बाद पहली बार हमारी सरकार ने कालूवा-कनाना ड्रेन में भी पानी चलाने का काम किया है। जिससे इनके यहां के किसानों को बहुत लाभ मिला और 800 एकड़ से लेकर 1500 एकड़ भूमि की आबपाशी हुई । उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के की कसान ड्रेन उल्टी चलती थी । 25 साल में यह ड्रेन हमारी सरकार के वक्त में पहली बार ठीक चल रही है । यही कारण है कि इस बार बाढ़ नहीं आई । उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से सिंचाई विभाग ने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं जो पहले की सरकारों के समय में नहीं किए गये ।

श्री भगवान सहाय रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माजरा साहब का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इतनी जल्दी नहर बनाने की स्कीम को स्वीकृत किया, बजट में अच्छी राशि का प्रावधान

किया जिसकी वजह से हमारे वहां के काफी गांवों के किसानों को लाभ होगा । इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि यह सब माननीय मुख्यमंत्री जी के अच्छे दिशा निर्देशों के कारण ही हुआ है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि सम्पूर्ण हरियाणा प्रदेश में पिछली सरकारों ने नहरों से संबंधित बहुत सी अनउपयोगी योजनाएं बनाई थीं और उन पर करोड़ रुपये खर्च भी किया था लेकिन उनसे किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि उनकी टेल पर पानी ही नहीं पहुंच रहा था। इसी प्रकार उटावड़ डिस्ट्रिब्यूटरी में पानी नहीं पहुंच रहा था इसलिए नई नहर बनाने की जरूरत पड़ी। उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकारों के समय में जो भी नहरें और ड्रेनें गलत तरीके से बनाई गई हैं और उनकी टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा क्या उनको भी मुख्यमंत्री जी ठीक करवायेंगे और इसके लिए जो जिम्मेवार हैं, उनकी जिम्मेवारी फिक्स करेंगे ?

मुख्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को इस बात की जानकारी देना चाहूंगा कि अतीत की सरकारों ने कुछ इस प्रकार के गलत निर्णय किसी व्यक्ति विशेष को लाभान्वित करने के लिए लिये थे । ऐसी कितनी ही डिस्ट्रिब्यूट्रीज हैं जो एक व्यक्ति विशेष के फार्म हाउस तक पानी पहुंचाने के लिए पिछली सरकारों के समय में बनाई गई थीं और उन पर करोड़ों रुपये खर्च किया गया था । ऐसी कितनी ही डिस्ट्रिब्यूट्रियां हैं जिनको पक्का करते समय पिछली सरकारों ने आगे से ऊंची कर दी और बीच से निवाण कर दी ताकि टेल तक पानी न पहुंचे और एक आदमी विशेष तक पानी पहुंच सके । उपाध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार ने सत्ता सम्भालने के बाद निर्देश दिए हैं कि इस तरह की जो भी गलत डिस्ट्रिब्यूट्रियां बनी हैं, जिनसे किसानों को कोई लाभ नहीं हो रहा और जिन पर करोड़ों रुपये खर्च हो गया था उनको दोबारा से तोड़कर ठीक किया जाये ताकि किसानों के खेतों की सिंचाई हो सके तथा हम अपने सीमित साधनों का सदउपयोग कर सकें । सभी डिस्ट्रिब्यूट्रीज का सदउपयोग होना जरूरी है । हमारी सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि पानी का अभाव है इसलिए सभी डिस्ट्रिब्यूट्रियां पक्की हों । पिछली सरकार के मुखिया इस समय सदन में नहीं हैं । उन्होंने अपने समय में निर्णय लिया था कि पक्के खाले टूट जाने पर उनकी मुरम्मत किसान करेंगे, सरकार नहीं करेगी । यह उनका व्यवहारिक निर्णय नहीं था । उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने उनके इस तरह के गलत निर्णयों को बदल दिया है तथा स्वयं डिस्ट्रिब्यूट्रियां ठीक करवाने का निर्णय लिया है । (शोर एवं व्यवधान) इस तरह के फैसले उस वक्त नहीं थे। उपाध्यक्ष महोदय, कच्चे खालों को संवारने के लिए कुछ हिस्सेदार समय पर नहीं पहुंचते। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, खालों को पक्का करने के बारे जो फैसला चौधरी बंसी लाल जी का था वह व्यवहारिक नहीं था इसलिए हमने उस फैसले को बदल दिया। अब जितनी भी खालें टूटी पड़ी हैं उनकी मरम्मत सरकार करेगी और जो खालें बिना बने हुए हैं उन सब खालों को सरकार पक्का करेगी ताकि थोड़े पानी से ज्यादा सिंचाई हो सके । हम व्यवहार कुशल लोग हैं और हमारे निर्णय व्यवहारिक होते हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सकें । हम किसी व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए इस प्रकार के निर्णय नहीं लेते जिससे प्रदेश के लोगों के सामने परेशानियां खड़ी हो जाएं । हमने इस प्रकार की परेशानियों को दूर करने के लिए और बिगड़े हुए माहौल को ठीक करने के लिए कदम उठाए हैं । इस मामले में आपको सरकार का सहयोग और समर्थन करना चाहिए न कि उसमें बाधक बनने का प्रयास करें ।

Amount spent on the Modernisation of police

*** 1523 Shri Hamid Hussain :-** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the year wise amount spent for the modernization of police during the last 10 financial years; and

(b) the total amount earmarked for the modernization of police during the year 2003-04 ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : वांछित उत्तर विधान सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

क्र० सं०	वर्ष	धनराशि खर्च की गई
1.	1993-94	39,75,042/-
2.	1994-95	42,88,100/-
3.	1995-96	98,07,000/-
4.	1996-97	69,17,000/-
5.	1997-98	2,03,92,300/-
6.	1998-99	1,24,09,913/-
7.	1999-2000	1,18,30,831/-
8.	2000-2001	55,07,91,166/-
9.	2001-2002	50,54,16,954/-
10.	2002-2003	45,88,96,176/-

(ख) हरियाणा राज्य का हिस्सा रुपये 44.20 करोड़ प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है (रुपये 22.10 करोड़ केन्द्रीय हिस्सा और रुपये 22.10 करोड़ राज्य का हिस्सा) । यह धनराशि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच 50-50 प्रतिशत हिस्से में बंटी है । वर्ष 2003-2004 के दौरान आधुनिकीकरण में रुपये 45.71 करोड़ और इसके अतिरिक्त 15.34 करोड़ की योजना बनाई गई है जो भारत सरकार को भेजी जाएगी । भारत सरकार द्वारा यह धनराशि दिसम्बर 2003 तक जारी कर दी जाएगी ।

श्री हामिद हुसैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चौधरी बंसी लाल जी के समय में और चौधरी भजन लाल जी के समय में और मौजूदा सरकार के समय में यानि तीनों सरकारों के समय में कितनी नई गाड़ियां-जीप-कार आदि उपलब्ध करवाई गई, कृपया मंत्री जी यह ब्यौरा देने का कष्ट करें ।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर साहब, पुलिस को मॉड्र्नाइजेशन करने के बारे में जो सूचना सदन को पटल पर रखी गई अगर उसको सभी माननीय साथी पढ़ेंगे तो लगेगा कि

कितना बजट मोर्डेनाइजेशन पर खर्च किया गया है । कभी पहले यह बजट केवल मात्र 37 लाख रुपये होता था जो आज 55 करोड़ तक चला गया है । यह एक बड़ी भारी उपलब्धि है । जहां तक मेरे साथी ने पूछा कि भजन लाल के समय में पुलिस को कितनी नई जीप-कारें दी गई, तो मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि श्री भजन लाल के समय 205 नई गाड़ियां पुलिस को दी गई थीं और इसी प्रकार से बंसी लाल जी के समय में 362 नई गाड़ियां पुलिस को उपलब्ध करवाई गई थीं । वर्तमान सरकार ने अपने चार साल के शासन काल में 1198 नई गाड़ियां उपलब्ध करवाई हैं जिनमें जीप, कार व दूसरे व्हीक्लज हैं ।

श्री भगवान सहाय रावत : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय रामपाल माजरा जी ने भाई हामिद हुसैन के सवाल के जवाब में बताया कि भजन लाल जी के समय में, बंसी लाल जी के समय में और वर्तमान सरकार के समय में कितनी नई गाड़ियां पुलिस को दी गई, उस बारे में सदन को विस्तृत जानकारी दी । साथ ही यह भी बताया कि इन तीनों सरकारों में तुलनात्मक दृष्टि से पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए कितना खर्च किया गया । उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं यह जानना चाहता हूं कि इस आधुनिकीरण के साथ कितने नए मकान पुलिस वालों के लिए वर्तमान सरकार ने बनाए हैं और पिछली सरकारों ने कितने मकान बनवाए थे। इसी के साथ साथ मंत्री जी यह भी जानकारी सदन को देने की कृपा करें कि वर्तमान सरकार के समय में और पिछली सरकारों के समय में कितने थानों का निर्माण किया गया है ?

श्री राम पाल माजरा : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने अपने चार साल के शासनकाल में पुलिस वालों के लिए 3600 मकान बनाए हैं और 20 नए थानों का निर्माण किया है जबकि पिछले 8 वर्ष के शासनकाल में जिसमें भजन लाल जी और बंसी लाल जी की सरकार का भी शासनकाल शामिल है, यानि इनकी दोनों सरकारों के समय में केवल मात्र 1600 मकान बनाए गए थे और केवल 14 थानों की बिल्डिंग बनाई गई थीं ।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं कि सारे देश में हरियाणा पुलिस को प्रथम श्रेणी की और अच्छी व सक्षम व सुसज्जित बनाने का प्रयास कर रहे हैं । मै आप के माध्यम से सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा पुलिस को अच्छा बनाने का जो प्रयास है इसे चालू रखा जाना चाहिए क्योंकि हरियाणा प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जिसके चारों तरफ कई प्रदेशों की सीमाएं लगती हैं जिसके कारण यहां का एरिया बहुत ही सैन्सटिव है । हमारा हरियाणा प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी के नजदीक होते हुए यहां पर किस प्रकार से हीनियस क्राईम करके लोग थोड़ी देर में यू०पी०, राजस्थान व दूसरे प्रदेशों में स्लिप कर जाते हैं । फोर्स को जहां पूर्ण रूप से आधुनिकीकरण करने के साथ साथ पुलिस के जो कोर्स हैं, उस बारे में मेरा कहना है कि जो हमारे इन्सपैक्टर या सब इन्सपैक्टर हैं यानि जो एस०एच०ओ० के रूप में काम करते हैं उनको नौकरी में भर्ती करने के बाद साल दो साल की अवधि के बाद उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि उन्हें आधुनिक पैपन के बारे में और सोसायटी की कन्सैप्ट के बारे में, क्रिमिनल की क्या सोच है, उस बारे में जानकारी दी जाए ताकि वे ठीक ढंग से काम कर सकें । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार का क्या कोई ऐसा विचार है कि ऐसे पदों पर काम करने वालों को दो तीन साल के बाद पुलिस ट्रेनिंग कालेज के अन्दर भेजा जाए ताकि उनकी पूर्ण रूप से ज्ञानवृद्धि हो सके । (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर साहब, मॉडरेनाईजेशन या मकान बनाने के लिए, पुलिस लाईन या थाने बनाने के लिए पैसा खर्च किया गया है । जिप्सी और अच्छे ऐक्विपमैंट्स खरीदने के लिए पैसा खर्च किया गया है । इसी प्रकार से हमारा एक बहुत बड़ा सैंटर चौधरी देवी लाल मैमोरियल सैंटर, भौंडसी में चालू किया गया है जिसका शिलान्यास उप-प्रधान मंत्री लाल कृष्ण अडवानी जी ने किया था । वहां पर ट्रेनिंग सैंटर है जहां पर रिफरैशर कोर्सिज करवाए जाते हैं और जो मॉडर्न ऐक्विपमैंट्स हैं उनकी ट्रेनिंग दी जाती है । वहां पर रिफरेशर कोर्सिज करवाए जाते रहे हैं । जो नये नये वैपनज हैं उनके लिये भी इसी प्रकार के कोर्सिज करवाए जाते हैं। इण्टरमीडियेट, लोअर कोर्सिज आदि कोर्स वहां पर करवाए जाते हैं । इसी प्रकार से ट्रेनिंग के बारे में हमारे यहां पर अच्छे कोर्सिज शुरू किए गए हैं ।

चौ० नफे सिंह राठी : स्पीकर सर, मैं माननीय सी.पी.एस. महोदय से एक जानकारी चाहता हूं । वैसे तो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने हरियाणा पुलिस में काफी भर्तियां की हैं, उनको सुविधाएं दी हैं। अब भी सिचुऐशन यह है कि दिल्ली में 205 लोगों पर एक पुलिस वाला है, चण्डीगढ़ में 293 पर एक है, पंजाब में 446 पर एक है और हरियाणा में 555 पर एक है । अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पुलिस की नई भर्ती करवाने का सरकार का कोई प्रस्ताव विधाराधीन है ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, नफे सिंह राठी जी ने जो प्रश्न किया है यह बहुत ही वाजिब है । आज बढ़ी हुई जनसंख्या के दृष्टिगत हमें पुलिस की नफ़री बढ़ाना भी अत्यावश्यक है । दिल्ली के मुकाबले में हमारे यहां पर बहुत कम अनुपात है इसके लिए हमनें कई मर्तबा केन्द्र की सरकार से इस मामले में प्रार्थना भी की है और निवेदन भी किया है कि हमें इस बात की अनुमति प्रदान की जाए । हमने इसका विवरण भी दिया है ताकि उसके दृष्टिगत हमारी संख्या भी उसमें बढ़े । जिस प्रकार से आज सी.आई.एस.एफ. की जो पुलिस है वह हमारे सैक्रेटेरियेट और दफ्तरों की रखवाली के लिए तैनात रहती है और उसका पैसा भी हमें देना पड़ता है । अब हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया है कि हम इसी प्रकार की अपनी एक और फोर्स खड़ी करेंगे ताकि इण्डस्ट्रीज को और हमारे दूसरे दफ्तरों, बैंको को भी रखवाली के लिए हमारी अपनी फोर्स मिल सके । अभी इसके लिए जो पैसा हम देते हैं उससे हमारे अपने बच्चों को रोजगार मिले और दूसरे हमारी अपनी फोर्स हो ताकि एक मौके पर यदि कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए वह फोर्स भी हम विदड्रा कर सकें । इसके लिए हमारी सरकार विचार ही नहीं कर रही है बल्कि हम सदन में ऐसा बिल भी ला रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : अब क्वैश्चन ऑवर समाप्त होता है ।

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Construction of Road for Providing Passage to Heavy Vehicles

*** 1484 Shri Padam Singh Dahiya ;** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a road in the territory of Haryana for

providing of passage to the heavy vehicles, which has been banned by the Hon'ble Supreme Court to pass through Delhi; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) नहीं, श्रीमान जी ।

(ख) उपरोक्त (क) के दृष्टिगत, प्रश्न ही नहीं उठता ।

Construction of Roads

* 1491. **Shri Lila Ram** : Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the following roads.

1. from village Keork to village Rasulpur;
2. from village Guna to Dilluwari;
3. from village Ujlana to Kultan; and
4. from village Barot to Kurukshetra road ?

(कृषि मंत्री श्री जसविन्द्र सिंह सन्धू) : नहीं, श्रीमान जी ।

Minimising difference in Male-Female Ratio

*** 1496. Shri Sita Ram :** Will the Minister of State for Health be pleased to State—

(a) whether it is a fact that the difference in male and female ratio has increased in the State; and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken to minimize the said difference ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डा० एम०एल० रंगा) :

(क) हां, श्रीमान,

(ख) प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम-1994 एंव गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक, अधिनियम-2002 (संशोधित एक्ट 2002) दिनांक 18-2-96 तथा 14-2-03 से राज्य में क्रमशः लागू है । इस एक्ट के अन्तर्गत स्वास्थ्य मन्त्री हरियाणा की अध्यक्षता में स्टेट सुपरवाईजरी बोर्ड का गठन करने के साथ-साथ बहु सदस्यीय राज्य एंव जिला समुचित प्राधिकारी की नियुक्ति एवं जिला सलाहकार समितियों का गठन किया गया है । सर्वेक्षण उपरान्त अब तक 747 जैनेटिक क्लीनिक पंजीकृत किये गये हैं । राज्य में पी०एन०डी०टी० एक्ट के प्रावधानों की उल्लंघना करने पर 17 केस/ शिकायतें दायर तथा 1 एफ० आई० आर० दर्ज की गई है एवं 33 अल्ट्रासाउंड मशीनें सील तथा जब्त की गई हैं । सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों में विस्तार कर जन साधारण को जागरुक किया जा रहा है ।

Number of Cases of Murder/Dacoity etc. registered in the State

***1522 Shri Pawan Kumar, Will the Chief Minister be pleased to state—**

(a) the number of cases of murder, dacoity, looting, burglary and theft registered in the State during the current financial year upto 30th June together with the number of cases of such incidents registered during the said period of the last year; and

(b) the percentage of cases solved out of the cases registered during this year as referred to in part 'a' above ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) व (ख) सूचना सदन के पटल में रखी जाती है ।

सूचना

(क) हत्या, डकैती, लूट, गृह भेदन तथा चोरी की घटनाओं की संख्या ;

अपराध का शीर्ष	दर्ज मुकदमों की संख्या	
	1.4.2002 से 30.6.2002	1.4.2003 से 30.6.2003
हत्या	232	180
डकैती	16	22
लूट	110	86
गृह भेदन	733	672
चोरी	1505	1350

(ख) उपरोक्त भाग (क) में से सफल हुए मुकदमों का प्रतिशत :

अपराध का शीर्ष	1.4.2002 से 30.6.2002	1.4.2003 से 30.6.2003
हत्या	81.89	72.77
डकैती	87.50	72.72
लूट	78.18	75.58
गृह भेदन	45.56	44.04
चोरी	50.63	48.29

Outstanding amount of Sugarcane

*** 1519 Shri Sher Singh** : Will the Minister for Cooperation be pleased to state :—

(a) Wheather any amount of farmers is outstanding on account of sugarcane supplied to the Sugar mills of Meham and Jind during the crushing season 2002-2003; if so, since when; and

(b) the steps taken or proposed to be taken to make the outstanding payment of sugarcane to the said farmers ?

सहकारिता मन्त्री (श्री करतार सिंह भड़ाना) : (क) तथा (ख) तालिका पटल पर रखी गई है ।

तालिका

(क) जी हां, श्रीमान, दिनांक 8-9-2003 को (कुल 37.18 करोड़ की धनराशि में से) 2.43 करोड़ रुपये की धनराशि सहकारी चीनी मिल महम के प्रति 25 अप्रैल से 6 मई, 2003 के दौरान खरीदे गए गन्ने की अदायगी बकाया है । उसी तरह (27.58 करोड़ रुपये की धनराशि में से) 3.59 करोड़ रुपये की धन राशि सहकारी चीनी मिल जीन्द के प्रति 5 अप्रैल से 20 अप्रैल, 2003 के दौरान खरीदे गए गन्ने की अदायगी बकाया है ।

(ख) गन्ने की कीमत की अदायगी के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) चीनी गिरवी रखकर बैंकों से कैश क्रैडिट लिमिट में ऋण के रूप में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की गई है ।

(ii) राज्य सरकार द्वारा 13.50 करोड़ रुपये सहकारी चीनी मिल महम के लिए तथा 10 करोड़ रुपये सहकरी चीनी मिल जीन्द के लिए कर्ज के रूप में दिए गए हैं । अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जा रही है ।

(iii) सहकारी चीनी मिलों के कार्यपरिणामों में, विशेष रूप से चीनी की रिकवरी में सुधार लाया गया है ।

(iv) चीनी की बिक्री के लिए अतिरिक्त कोटा प्राप्त करने का मामला माननीय प्रधानमन्त्री के स्तर पर उठाया गया हैं ।

(v) चीनी का निर्यात करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

(vi) चीनी की बिक्री दरों में सुधार लाने के प्रयास किए गए हैं ।

Running of Channels of WJC System

*** 1486. Shri Tejvir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state the steps taken or proposed to be taken by the State Government to ensure continuous running of channels of WJC system when sufficient supply of water is available in Yamuna River ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हथनीकुण्ड बैराज के डाउन स्ट्रीम पर पश्चिमी यमुना नहर जल वाहक प्रणाली की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है ।

Reformation of Power

*** 1483. Shri Ram Bhagat :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the position of Haryana State in the Country in the reformation of power ; and

(b) the rate of tariff on which the electricity is being supplied to the farmers in the State in comparison with other States ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

(क) दिसम्बर, 2002 के दौरान भारत सरकार (विद्युत मन्त्रालय) द्वारा देश में सब से अच्छा सुधार करने वाले राज्यों में हरियाणा को तीसरा स्थान दिया गया है ।

(ख) हरियाणा तथा अन्य प्रमुख राज्यों में वर्तमान कृषि टैरिफ निम्न प्रकार है :-

हरियाणा में कृषि उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ

दिनांक 1.9.2001 से

(ए) **मीटर द्वारा दी गई बिजली आपूर्ति**

100 फीट तक	65 पैसे/यूनिट
101 से 150 फीट तक	53 पैसे/यूनिट
151 से 200 फीट तक	46 पैसे/यूनिट
200 फीट से अधिक	38 पैसे/यूनिट

(बी) **बिना मीटर बिजली आपूर्ति**

100 फीट तक	104/- रुपये प्रति बी.एच.पी./माह
101 से 150 फीट तक	78/- रुपये प्रति बी.एच.पी./माह
151 से 200 फीट तक	63/- रुपये प्रति बी.एच.पी./माह
200 फीट से अधिक	48/- रुपये प्रति बी.एच.पी./माह

विभिन्न राज्यों में मीटर पर दी गई कृषि टैरिफ

क्रम संख्या	राज्यों के नाम	लागू टैरिफ
1	2	3
1.	हरियाणा	ट्यूबवैल की गहराई पर निर्भर करते हुए 38 पैसे से 65 पैसे प्रति यूनिट तक (औसतन 46 पैसे प्रति यूनिट)
2.	देहली	75 पैसे प्रति यूनिट
3.	राजस्थान	90 पैसे प्रति यूनिट जमा 45/-रुपये प्रति माह की दर से निश्चित प्रभार ।
4.	उत्तरांचल	70 पैसे/यूनिट जमा 120/- रुपये प्रति के०वी०ए० प्रति माह की दर से मांग खर्च ।
5.	उत्तर प्रदेश	60 पैसे प्रति यूनिट जमा 10/- रुपये प्रति बी०एच०पी० प्रति माह की दर से निश्चित खर्च ।
6.	पंजाब	57 पैसे प्रति यूनिट ।

1	2	3
7.	हिमाचल प्रदेश	50 पैसे प्रति यूनिट ।
8.	आसाम	600 यूनिटों से कम के लिए 100 पैसे प्रति यूनिट तथा 600 यूनिटों से अधिक के लिए 270 पैसे प्रति यूनिट ।
9.	बिहार	70 पैसे प्रति यूनिट ।
10.	चण्डीगढ़	100 पैसे प्रति यूनिट जमा सर्विस किराये बदले 3/- रुपये प्रति बी.एच.पी. प्रति मास की दर से डिमांड प्रभार ।
11.	गुजरात	50 पैसे प्रति यूनिट जमा 10/- रुपये प्रति बी.एच.पी. प्रति मास की दर से निश्चित प्रभार ।
12.	कर्नाटक	40 पैसे प्रति यूनिट जमा 20-40 रुपये प्रति बी.एच.पी. प्रति माह की दर से निश्चित प्रभार ।
13.	केरल	65 पैसे प्रति यूनिट जमा 6/- रुपये प्रति के डब्ल्यू० प्रतिमाह की दर से निश्चित प्रभार ।
14.	मध्य प्रदेश	240 पैसे प्रति यूनिट ।
15.	महाराष्ट्र	100 पैसे प्रति यूनिट जमा 10/- रुपये प्रति मास की दर से सर्विस प्रभार ।
16.	उड़ीसा	110 पैसे प्रति यूनिट ।
17.	तमिलनाडु	50 पैसे प्रति यूनिट ।
18.	पश्चिमी बंगाल	173 पैसे प्रति यूनिट ।

Providing of Relief in payment of Electricity Bills

*** 1485. Shri Ramesh Rana :** Will the Chief Minister be pleased to state whether the State Government has provided any relief to the farmers towards the payment of electricity bills for the unprecedented drought faced by the State in the year 2002-2003 and also in this current year, if so, the details of such relief ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हां, श्रीमान ! सूखा पीड़ित किसानों को निम्नलिखित राहतें दी गई थी :—

(क) जहां खरीफ फसल का नुकसान 50 प्रतिशत से अधिक तथा 75 प्रतिशत तक था, वहां 1.6.2002 से 30.9.02 तक की अवधि के लिए कृषि उपभोक्ताओं के बिजली के बिल मार्च, 2003 तक स्थगित किए गये थे तथा उपभोक्ताओं को बकाया बिलों का बिना सरचार्ज के भुगतान अप्रैल, 2003 तक करने की अनुमति दी गई थी ।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

(ख) जहां खरीफ फसल का खराबा 75 प्रतिशत से अधिक था, ऐसे कृषि उपभोक्ताओं की 1.6.2002 से 30.9.2002 तक की समस्त बिजली बिलों की राशी माफ कर दी गई थी।

(ग) भीषण सूखे के प्रभाव से निपटने के लिए बिजली निगमों ने जून से सितम्बर, 2003 तक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 10.2 प्रतिशत अधिक बिजली दी ।

(घ) सूखे की अवधि के दौरान किसानों को राहत देने के लिए वर्ष 2002-2003 के दौरान विशेष सरचार्ज माफी स्कीमें प्रारम्भ की गई थीं तथा 161.35 करोड़ रुपये की धनराशि का सरचार्ज माफ किया गया था।

Cases of SARS

***1499 Shri Ajay Singh Yadav :** Will the Minister of State for Health be pleased to state :—

(a) Whether any case of Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) has been detected in the State during the year 2002-2003 till to date; and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken to control the said disease ?

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (डा० एम. एल. रंगा) :

(क) हरियाणा राज्य में वर्ष 2002-2003 तथा अब तक सार्स की बिमारी का कोई भी केस नहीं पाया गया ।

(ख) इस बिमारी के नियन्त्रण हेतु स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित गाईड लाईनज का अनुसरण किया जा रहा है । सिविल सर्जनज़ को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि यदि कोई इस बिमारी से ग्रसित केस ज्ञात होता है तो उसके उपचार हेतु अपेक्षित कदम उठाते हुए पृथक वार्ड की स्थापना करेंगे और उसका उपचार/रक्षण/प्रतिरक्षण भी निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सुनिश्चित करेंगे ।

Opening of Juvenile Justice Homes

*** 1501. Shri Karan Singh Dalal. :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open Reformatory School and Jevenile Justice Home in each district of the State; if so, the details thereof ?

मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला : जी नहीं।

Construction of a Bridge on Dudiwala Distributary

***1531. Shri Jagjit Singh Sangwan. :** Will the Chief Minister be pleased to State —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the bridge over Dudiwala distributary R.D. No.15750, in District Bhiwani ; and

(b) if so, the time by which the said bridge is likely to be constructed?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) नहीं, श्रीमान जी ।

(ख) उपरोक्त (क) के अनुसार प्रश्न ही नहीं उठता ।

Number of Cases of Road Accidents registered in the State

*** 1521. Shri Ram Kumar Katwal. :** Will the Chief Minister be pleased to state the number of cases of road accidents registered in the State during the year 2002 together with the number of persons killed/injured in the said accidents ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है ।

सूचना

गत वर्ष 2002 के दौरान राज्य में सड़क दुर्घटनाओं से सम्बन्धित दर्ज किए गए मुकदमों, मरनें वाले व्यक्तियों तथा घायल हुए व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	सड़क दुर्घटनाओं में दर्ज मुकदमों की संख्या	मरने वाले व्यक्तियों की संख्या	घायल हुए व्यक्तियों की संख्या
2002	8808	3028	8433

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Labour contract for lifting of wheat Bags

158. Sh. Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to state whether the State Government have received any complaint/suggestion for inviting of tenders by Food & Supply Department for the allotment of labour contract for lifting of wheat bags in district Faridabad for the year 2003-2004; if so, the details thereof ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : खरीद एजैंसियों द्वारा खाद्यानों की खरीद हेतु श्रम तथा परिवहन के ठेके एक जिला स्तरीय कमेटी द्वारा आबंटित किये जाते हैं । इस कमेटी के अध्यक्ष जिला उपायुक्त हैं, खरीद एजैंसियों के कार्यालय अध्यक्ष इसके सदस्य हैं तथा जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक इसके सदस्य सचिव हैं । ठेकों के आबंटन के लिए निविदाएं समाचार पत्रों के माध्यम से आमंत्रित की जाती हैं और ठेकों का आबंटन सबसे कम बोली देने वाले व्यक्ति/एजैंसी को दिया जाता है ।

फरीदाबाद जिले के श्रम के ठेके दिनांक 12-3-2003 को आबंटित किये गये थे । इस बारे में श्री करण सिंह दलाल, विधायक द्वारा की गई एक शिकायत मुख्य सचिव, हरियाणा के माध्यम से दिनांक 4-3-2003 को प्राप्त हुई थी जिस में उन्होंने श्रम के ठेके सरकार के चहेतों को दिये जाने के बारे में सन्देह व्यक्त किया था । यह शिकायत उपायुक्त, फरीदाबाद को उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी गई थी ।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

फरीदाबाद जिले में आबंटित किये श्रम एवं परिवहन के ठेकों को एक व्यक्ति श्री सुखबीर सिंह पुत्र श्री रतन सिंह ने माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में सिविल याचिका नं० 4157 वर्ष 2003 के द्वारा चुनौती दी थी । माननीय न्यायालय ने मंडल आयुक्त, गुड़गांव को फरीदाबाद जिले के श्रम व परिवहन ठेकों से संबंधित समस्त रिकार्ड को कब्जे में लेने के आदेश दिये थे । तद्पश्चात् माननीय न्यायालय के सम्मुख समस्त रिकार्ड पेश किया गया जिस का अध्ययन करने व दोनों पक्षों को सुनने उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 24.3.2003 द्वारा इस सिविल याचिका नं० 4157 वर्ष 2003 को खारिज कर दिया ।

Old Age Pension

159. Sh. Karan Singh Dalal. : Will the Minister of State for Social Welfare be pleased to state the district-wise number of persons geting old age pension in the State during the year 2002-2003 ?

समाज कल्याण राज्य मन्त्री (चौ० रिसाल सिंह) : वर्ष 2002-03 के दौरान राज्य में वृद्धावस्था पैंशन प्राप्त कर रहे व्यक्तियों का जिलावार संख्या का विवरण इस प्रकार से है :—

क्रम संख्या	जिला	वर्ष 2002-03 के दौरान राज्य में वृद्धावस्था पैंशन प्राप्त कर रहे व्यक्तियों की संख्या (as on 31.3.2003)
1	2	3
1.	अम्बाला	41788
2.	पंचकूला	12341
3.	यमुनानगर	40725
4.	कुरुक्षेत्र	35720
5.	कैथल	46780
6.	करनाल	47882
7.	पानीपत	31348
8.	सोनीपत	60393
9.	फरीदाबाद	50724
10.	गुड़गावां	52159
11.	रेवाड़ी	31913
12.	नारनौल	42472
13.	जीन्द	60075
14.	रोहतक	44869
15.	झज्जर	41819
16.	भिवानी	62995

1	2	3
17.	हिसार	57988
18.	फतेहाबाद	37000
19.	सिरसा	46830
	कुल	845821

Outstanding Bills of Haryana Bhawan Canteen

160. Sh. Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to state whether any amount of the canteen of Haryana Bhawan, New Delhi is outstanding against M.L.As. and Ex- M.L.As. of Haryana upto 2002-2003 ; if so, the details thereof ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : जी हां, श्रीमान जी । हरियाणा के विभिन्न विधायकों तथा पूर्व-विधायकों के विरूद्ध हरियाणा भवन, नई दिल्ली की कैंटीन से सम्बन्धित वर्ष 2002-03 तक 37.704.85 रूपए की राशि बकाया है (सूची सलंग्न) ।

सूची

मन्त्रियों/ विधायकों/ पूर्व-मन्त्रियों/ पूर्व-विधायकों के विरूद्ध हरियाणा भवन, नई दिल्ली में वर्ष 2002-2003 तक उधार की बकाया राशि।

क्रमांक	नाम	राशि
1	2	3
1.	श्रीमति मेघावी कीर्ति, पूर्व विधायक	376.15
2.	श्री रोशन लाल आर्य, पूर्व विधायक	325.00
3.	श्री राव नरबीर सिंह, पूर्व विधायक	5.50
4.	श्री राव इन्द्रजीत सिंह, विधायक	195.95
5.	श्री राम रतन, पूर्व विधायक	128.65
6.	श्री राजेश कुमार शर्मा, पूर्व विधायक	136.60
7.	श्री रघु यादव, पूर्व विधायक	1533.95
8.	श्री मोहम्मद ईलयास, मन्त्री	3062.70
9.	स्व० श्री हरफूल सिंह, पूर्व विधायक	17.75
10.	श्री हरनाम सिंह, पूर्व विधायक	52.45
11.	श्री एच० एस० चट्ठा, पूर्व विधायक	52.85
12.	श्री गुरदयाल सिंह, पूर्व विधायक	424.25
13.	स्व० श्री गंगा राम, पूर्व विधायक	12.80
14.	राव धर्मपाल, विधायक	30.45
15.	श्री धर्मवीर सिंह, विधायक	2910.50
16.	श्री देसराज, पूर्व विधायक	174.80

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

1	2	3
17.	श्री डी० डी० अस्तरी, पूर्व विधायक	143.80
18.	श्री छत्तर पाल सिंह, पूर्व विधायक	11538.45
19.	श्री चन्दा सिंह, पूर्व विधायक	202.10
20.	श्री बूटा सिंह, पूर्व विधायक	63.90
21.	श्री भले राम, पूर्व विधायक	108.60
22.	श्री भागी राम, विधायक	631.85
23.	श्री बनारसी दास, पूर्व विधायक	780.50
24.	श्री बलबीर सिंह सैनी, पूर्व विधायक	144.05
25.	श्री बचन सिंह, पूर्व विधायक	79.20
26.	श्री अजमत खान, पूर्व विधायक	1646.25
27.	श्री आत्मा सिंह गिल, पूर्व विधायक	69.85
28.	स्व० श्री असलम खान, पूर्व विधायक	281.85
29.	श्री पीरू राम, पूर्व विधायक	36.45
30.	श्री प्रताप सिंह ठाकरान, पूर्व विधायक	21.05
31.	स्व० श्री प्रताप सिंह दौलता, पूर्व विधायक	44.00
32.	राव निहाल सिंह, पूर्व विधायक	64.85
33.	स्व० श्री मुनी लाल, पूर्व विधायक	909.40
34.	श्री मनी राम, पूर्व विधायक	453.20
35.	श्री मक्खन सिंह, पूर्व विधायक	151.45
36.	श्री एम० एल० पीपल, पूर्व विधायक	103.40
37.	श्री किताब सिंह, पूर्व विधायक	14.05
38.	श्री श्रीकिशन हुडा, पूर्व विधायक	26.55
39.	श्री कैलाश चन्द शर्मा, पूर्व विधायक	645.70
40.	श्री जसवन्त सिंह, पूर्व विधायक	124.70
41.	श्री जय नारायण, पूर्व विधायक	62.95
42.	श्री जगदीश नैयर, पूर्व विधायक	93.05
43.	स्व० श्री जगन नाथ, पूर्व विधायक	536.50
44.	स्व० श्री ईश्वर सिंह, पूर्व विधायक	37.70
45.	श्री रमेश कौशिक, पूर्व विधायक	591.80
46.	श्री सरदूल सिंह, पूर्व विधायक	52.55

1	2	3
47.	श्री सतबीर सिंह मलिक, पूर्व विधायक	42.55
48.	श्री सुभाष कत्थाल, पूर्व विधायक	16.15
49.	श्रीमति शांति राठी, पूर्व विधायक	35.20
50.	श्री संत कुवर, पूर्व विधायक	1537.45
51.	श्री सुरेन्द्र भदान, पूर्व विधायक	14.30
52.	श्री सुभाष बत्रा, पूर्व विधायक	469.70
53.	स्व० श्री सूरज पाल, पूर्व विधायक	16.50
54.	स्व० श्री स्वामी आदित्य वेश, पूर्व विधायक	146.55
55.	स्व० श्री टेक राम, पूर्व विधायक	104.15
56.	स्व० श्री बिरेन्द्र सिंह, पूर्व विधायक	400.60
57.	श्री वेद पाल, पूर्व विधायक	24.50
58.	श्री जगजीत सिंह, विधायक	75.90
59.	श्री करतार सिंह भडाना, मन्त्री	49.90
60.	श्री नरेन्द्र शर्मा, पूर्व विधायक	89.00
61.	श्री जसवन्त सिंह बावल, पूर्व विधायक	133.10
62.	श्री हजार चन्द, पूर्व विधायक	177.75
63.	श्री दीना राम, विधायक	100.65
64.	श्री दरियाव सिंह, विधायक	296.45
65.	श्री बिरेन्द्र सिंह, पूर्व विधायक	3315.45
66.	श्री भूपिन्द्र सिंह हुडा, विधायक	40.15
67.	श्री धर्मपाल, विधायक	45.10
68.	श्री आर० एस० कादयान, विधायक	227.70
69.	श्री रणबीर सिंह, विधायक	310.95
70.	राव दान सिंह, विधायक	82.60
71.	श्री रमेश कुमार खटक, विधायक	116.60
72.	डा० आनन्द शर्मा, पूर्व विधायक	130.30
73.	स्व० स्वामी अग्निवेश, पूर्व विधायक	305.60
	कुल	**37704.85**

M.B.A. and M.C.A Courses in Palwal and Hodal

161. Sh. Karan Singh Dalal : Will the Minister of State for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to start M.B.A. and M.C.A. courses in the College at Palwal and Hodal in near future ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौ० बहादुर सिंह) : नहीं, श्रीमान जी ।

Setting up Bus stop/ 'Queue' Shelter

164. Shri Jagjit Singh : Will the Minister for Transport be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up/establish a Bus Stop /Queue Shelter at village Atela Khurd, Tehsil Charkhi Dadri, District Bhiwani; if so, the steps taken or proposed to be taken to set up the said Bus/Queue Shelter ?

परिवहन मन्त्री (श्री अशोक कुमार अरोड़ा) : जी हां, श्री मान जी । विभाग इस वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य शुरू करवाने की कोशिश करेगा।

Kitlana Distributary

166. Shri Jagjit Singh. : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to raise the level of Kitlana Distributary from R.D. No. 0 to 20 in Tehsil Charkhi Dadri, District Bhiwani;

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to double the linning of the aforesaid distributary to check the seepage; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to increase the capacity of Pump House or install additional Pump House at Burji No.20 of Kitlana distributary; if so, the details thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) नहीं, श्रीमान जी ।

(ख) नहीं, श्रीमान जी । यद्यपि बुर्जी 0 से 8000 तक की लाईनिंग की मुरम्मत का कार्य पूरा किया जा चुका है और वहां पर रिसाव की कोई समस्या नहीं है । शेष भाग जोकि बुर्जी 8000 से 20000 तक है की मुरम्मत का कार्य प्रगति पर है ।

(ग) नहीं, श्रीमान जी ।

Number of HIV/AIDS Patients

165. Shri Shadi Lal Batra. : Will the Minister of State For Health be pleased to state —

(a) the gender-wise number of HIV/AIDS patients in the State ;

(b) whether the Government intends to supply medicines free of cost to the poor patients ;

(c) whether any facility is available in the State to test the effectiveness of medicines on HIV/AIDS patients under treatment ;

(d) whether the Government is considering to lift ban on confidentiality of diagnose of HIV/AIDS;

(e) whether Government is planning to exempt from sale tax and other taxes applicable on medicines required for HIV/AIDS; and

(f) whether any Grant has been received from any agency by the Government during the last four years; if so, the details thereof for the control of aforesaid disease ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डा० एम० एल० रंगा) :

(क) HIV Testing हरियाणा में रक्त कोषों (Blood Banks) और स्वैच्छिक परामर्श एवं जाँच केन्द्रों (VCTCs) मे होती हैं । यह Blood Banks में 1993 से और VCTCs में मार्च 2000 से हो रही हैं । इससे पहले 1986 से मैडिकल कालेज रोहतक में ही केवल HIV Testing की जाती थी ।

Blood Banks में HIV Positive की स्थिति : (प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार)

Sr. No.	Year	Number of Units Screened	HIV Positive
1.	1993 to 1999	264694	82
2.	2000	81232	354
3.	2001	84328	418
4.	2002	77755	343
5.	Jan to July 2003	42731	134
	Total	**550740**	**2072**

VCTS में HIV Positive की स्थिति : (प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार)

Sr. No.	Year	Sample Tested	HIV Positive
1.	Rohtak Med. College from 1986 to present date	170933	632

[डा० एम०एल० रंगा]

Sr. No.	Year	Sample Tested	HIV Positive
2.	2000-01	5924	206
3.	2001-02	6528	242
4.	2002-03	8610	405
5.	April to July 2003	4095	286
Total	**From 1986**	**196090**	**1771**

अभी तक कुल HIV Positive	Sample Tested	HIV Positive
	746830	3843

HIV Postive की लिंग के अनुसार जानकारी उपलब्ध नही हैं । HIV Positive में से कुछ एड्स में तबदील हो गए हैं जिनका विवरण निम्न है :—

लिंग के अनुसार एड्स रोगी (प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार)

Sr. No	Year	Male	Female	Total
1.	Up to Dec. 1999	58	12	70
2.	2000	59	13	72
3.	2001	63	13	76
4.	2002	49	4	53
5.	Up to July 2003	34	08	42
	Total	**263**	**50**	**313**

जनवरी, 2003 तक एड्स मृतकों की संख्या - 19

(ख) एंटी रिट्रो वायरल दवाईयां काफी महँगी होने के कारण सरकार उन्हें मुफ्त में नहीं दे रही है परंतु सरकार गरीब मरीजों के लिए मुफ्त में गुप्त (STD) रोगों की दवाईयाँ, मौकातन्त्र संक्रमणों (OI) की दवाईयाँ देती है तथा बीमार व्यक्ति का ईलाज करते समय उनके संपर्क में आए स्वास्थ्य कर्मचारियों/चिकित्सा अधिकारियों को Post Exposure Prophylaxis (PEP) की दवाईयाँ दी जाती हैं परन्तु Anti retroviral दवाईयाँ नहीं दी जाती हैं ।

(ग) दवाईयों के प्रभाव को जानने के लिए विश्व स्तर पर कई तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं परंतु अभी तक हरियाणा मे किसी भी सरकारी संस्था में HIV/AIDS की दवाईयों के प्रभाव की क्षमता जानने के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) HIV/AIDS जाँच रिपोर्ट को गोपनीय रखने के बारे में केन्द्रीय सरकार की नीति बनाई हुई हैं और इसमें राज्य सरकार की कोई दखल नहीं है ।

(ङ) HIV एड्स के लिए Anti retroviral दवाईयों पर बिक्री करों तथा अन्य करों की छूट देने का मामला सरकार के विचाराधीन है ।

(च) ग्रांट का पूर्ण ब्यौरा इस प्रकार है ।

Sr. No.	Year	Fund received from NACO (in Lacs)
1	1999-2000	270.00
2	2000-2001	246.50
3	2001-2002	266.00
4	2002-2003	265.00

Grant given to Medical College, Rohtak

180. Shri Shadi Lal Batra : Will the Minister of State for Health be pleased to state—

(a) the head-wise amount of grant released to the Medical College, Rohtak during the last four years.

(b) the department-wise number of sanctioned posts for aforesaid college at present; and

(c) the total number of posts out of the posts referred to in part 'b' above are lying vacant together with the date since when these are lying vacant ?

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (डा० एम०एल० रंगा) :

(क) सूचना अनुबन्ध "ए" में दी जाती है ।

(ख) सूचना अनुबन्ध "बी" से "एफ" में दी जाती है ।

(ग) सूचना अनुबन्ध "बी" से "एफ" में दी जाती है ।

अनुबन्ध (ए)

पिछले चार वर्षों का प्राप्त हैडवाईज अनुदान का विवरण

(राशि लाखों में)

	1999-2000			2000-2001		
	नान प्लान	प्लान	कुल जोड़	नान प्लान	प्लान	कुल जोड़
1	2	3	4	5	6	7
वेतन	2161.30	68.19	2229.49	2085.07	103.43	2188.50
महंगाई भत्ते	874.11	27.35	901.46	840.48	44.12	884.60
मैडीकल भत्ते	42.88	2.37	45.25	46.16	2.88	49.04

[डा० एम०एल० रंगा]

1	2	3	4	5	6	7
यात्रा भत्ता	8.96	1.29	10.25	9.97	1.85	11.82
छात्रवृति	210.92	22.25	232.17	220.51	34.90	255.41
कार्यालय खर्चा	51.92	68.15	120.07	54.17	102.09	156.26
मैटीरियल एण्ड सप्लायर्स	329.80	136.18	465.98	329.64	194.80	524.44
मशीनरी एंड औजार	27.60	518.35	546.15	19.21	636.91	656.12
परिवहन के रखरखाव के लिए तेल	9.95	-	9.95	10.49	-	10.49
ओ०सी०	108.03	-	108.03	118.38	-	118.38
एम०एम० डब्ल्यु	107.98	-	107.98	88.06	-	88.06
ग्रांट इन एड	-	155.40	155.40	-	358.00	358.00
कुल जोड़	**3933.65**	**999.53**	**4935.18**	**3822.14**	**1478.98**	**5301.12**

(राशि लाखों में)

	2001-2002			2002-2003		
	नान प्लान	प्लान	कुल जोड़	नान प्लान	प्लान	कुल जोड़
वेतन	2074.86	112.68	2187.54	2134.08	86.70	2220.78
महंगाई भत्ते	939.45	50.10	989.55	1099.31	46.22	1145.53
मैडीकल भत्ते	47.47	3.39	48.86	49.89	1.45	51.34
यात्रा भत्ता	14.04	0.80	14.84	13.29	0.75	14.04
छात्रवृति	219.45	21.00	244.45	184.38	30.38	214.70
कार्यालय खर्चा	69.91	119.09	189.00	88.51	95.24	183.75
मैटीरियल एवं सप्लार्यस	260.96	154.11	415.07	414.71	108.84	523.55
मशीनरी एंड औजार	13.68	589.20	602.88	44.29	1369.22	1413.51
परिवहन के रखरखाव के लिए तेल	12.00	-	12.00	12.75	-	12.75
ओ०सी०	82.29	-	82.29	139.81	-	139.81
एम०एम० डब्ल्यु०	109.58	-	109.58	105.00	-	105.00
रेमु.	0.03	-	0.03	-	-	-
ग्रांट इन एड	-	499.39	499.39	-	324.00	324.00
एम०थी०	-	-	-	3.10	-	3.10
चैजिज़	-	-	-	25.02	-	25.02
कुल जोड़	**3841.72**	**1549.76**	**5391.48**	**4314.14**	**2062.80**	**6376.94**

अनुबन्ध (बी)

विभागानुसार आचार्यों एवं अध्यापकों के पदों का विवरण

क्रमांक	विभाग का नाम	आचार्य			अध्यापक		
		स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	शरीर रचना	1	1	-	12	5	7
2.	शरीर विज्ञान	1	1	-	12	7	5
3.	सूक्ष्म जीव विज्ञान	1	1	-	6	4	2
4.	जीव रसायन शास्त्र	1	1	-	11	7	4
5.	औषध निर्माण विज्ञान	1	1	-	7	3	4
6.	विकृति विज्ञान	2	2	-	11	9	2
7.	सामालिक एवं निवारक औषधि	2	2	-	9	9	-
8.	न्यायिक आयुर्विज्ञान	1	1	-	5	5	-
9.	यूरोलोजी	1	-	1	2	1	1
10.	कार्डियोलोजी (हृदय रोग)	1	-	1	2	1	1
11.	आन्त्रशोथ विज्ञान	-	-	-	2	-	2
12.	न्यूरोलोजी	1	-	1	2	-	2
13.	न्यूरोसर्जरी	1	1	-	2	1	1
14.	हृदय शल्य चिकित्सा	1	-	1	2	1	1
15.	बर्न एण्ड प्लास्टिक सर्जरी	1	-	1	2	1	1
16.	नेफरोलोजी	1	-	1	2	-	2
17.	क्लीनिकल हिमाटोलोजी	1	-	1	2	-	2
18.	न्युक्लियर मैडीसन	1	-	1	2	-	2
19.	सर्जीकल आनकोलोजी	1	-	1	2	-	2
20.	निश्चेतन विज्ञान	2	1	1	14	12	2
21.	नेत्र रोग विभाग	2	2	-	10	10	-
22.	रेडियोलोजी	2	1	1	7	5	2
23.	मैडीसन	4	3	1	14	11	3
24.	प्रसूति एवं स्त्री रोग	2	2	-	10	8	2
25.	शल्य चिकित्सा	4	1	3	15	13	2
26.	अस्थि चिकित्सा	2	2	-	8	6	2

[डा० एम०एल० रंगा]

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	शिशु रोग	2	2	-	8	5	3
28.	चर्म रोग	1	1	-	2	2	-
29.	नाक, कान, गला	1	1	-	6	5	1
30.	शिशु शल्य चिकित्सा	1	1	-	3	1	2
31.	मनोरोग	1	1	-	5	5	-
32.	रेडियोथेरेपी	1	1	-	4	4	-
33.	क्षय एवं छाती रोग	1	1	-	3	3	-
34.	ब्लड बैंक	-	-	-	1	1	-
35.	इम्यूनोलोजी	-	-	-	1	1	-
36.	वक्ष चिकित्सा	6	5	1	16	9	7
37.	फार्मेसी (अध्यक्ष)	1	-	1	11	8	3
	कुल	52+1	36	16+1	233	163	70
			मिली-जुली श्रेणी				
निदेशक		1	1	-			
डीन		1	1	-			
चिकित्सा अधीक्षक		1	1	-			
प्रशासकीय अधिकारी		1	1	-			

आचार्यों एवं अध्यापकों के रिक्त स्थानों/ पदों का विवरण

क्रमांक	विभाग का नाम	रिक्त पद	कब एवं किस कारण रिक्त है
1	2	3	4
आचार्य			
1.	कार्डियोलोजी	1	मई 1998 (जब से स्वीकृत हुए तब से रिक्त है)
2.	न्यूरोलोजी	1	जनवरी, 1992 -यथोपरि-
3.	नैफरोलोजी	1	मई, 1993 यह पद गैस्ट्रोलोजी से नैफरोलोजी में स्थानान्तरण हो गया है ।
4.	क्लीनिकल हिमाटोलोजी	1	अगस्त, 1999 जब से यह पद स्वीकृत हुआ है तब से रिक्त है ।
5.	नुकलियर मैडिसन	1	जुलाई, 2001 -यथोपरि-
6.	अनस्थीजियोलोजी	1	डा० बलबीर छाबड़ा के दिनांक 30-6-2002 को सेवानिवृति के बाद रिक्त है ।
7.	कार्डियक सर्जरी	1	मई 1998 (यह पद जब से स्वीकृत हुआ है तब से रिक्त है ।)

1	2	3	4
8.	बर्न एण्ड प्लास्टिक सर्जरी	1	1984 (जब से स्वीकृत हुआ है तब से रिक्त है।)
9.	रेडियोलोजी	1	मार्च, 2003 में एक अध्यापक की पदोन्नति के कारण ।
10.	सर्जीकल आनकोलोजी	1	जुलाई, 2000 (जब से स्वीकृत हुआ है तब से रिक्त है)।
11.	सर्जरी	3	डा० जे० एस० भार्गव की सेवा निवृत्ति के कारण 31-8-1998, डा० जे० सी० ढल और डा० अमृत लाल अरोड़ा, एक पद पदोन्नित के कारण।
12.	मैडीसन	1	30-9-1999 डा० एस०के० महाजन की सेवा निवृति के कारण ।
13.	हैड आफ फार्मेसी.	1	30-6-2000 से डा० आर०डी० बुद्धिराजा की सेवा निवृति के कारण ।
आचार्य दन्तक विभाग/ कालेज			
14.	औरथोडोन्टिक्स	1	डा० वी०के० ग्रोवर की दिसम्बर 1996 में मृत्यु के कारण ।
15.	प्रोस्थोडोन्टिक्स	1	सितम्बर, 1989 में डा० वाई०सी० चावला की सेवानिवृति ।
अध्यापक			
1.	अनाटोमी	7	3-9-99 डा० प्रेम लता चावला की सेवानिवृति व दिसम्बर, 2001 में डा० सुनीता मलिक का त्यागपत्र व डा० महेश का त्याग पत्र तथा नई स्वीकृत पद 2000, स्वैच्छिक सेवानिवृति डा० पांडे, मार्च, 94, फरवरी, 1992 में पदोन्नति के कारण और डा० के० गोपीनाथन की जून, 1998 में स्वैच्छिक सेवानिवृति के कारण ।
2.	फिजियोलॉजी	5	डा० सुमन जैन और डा० शिशिर दत्त के जुलाई, 2001 व मार्च, 2003 में त्याग पत्र के कारण, डा० सुष्मा सूद के अगस्त, 2000 में पदोन्नति के कारण और जून 2000 में एक पद के सर्जन के कारण और डा० राजीव बन्धु के कार्यभार ग्रहण न करने बारे ।
3.	माइक्रोबायोलोजी	2	सितम्बर 2000 में डा० वीना गुप्ता के त्याग पत्र के कारण और नई, 2000 में एक पद के सर्जन के कारण ।
4.	बायोकैमिस्ट्री	4	नवम्बर, 2000 में डा० आर० के० सेठ की मृत्यु के कारण और दिसम्बर 2000 में डा० एस० के० अग्रवाल की ऐच्छिक सेवानिवृति के कारण, जुलाई 2000 में डा० आर० के० नागपाल की सेवानिवृति

[डा० एम०एल० रंगा]

1	2	3	4
			के कारण और जुलाई, 2003 में डा० वीना सिंह की आचार्य के पद पर पदोन्नति के कारण ।
5.	फार्माकोलोजी	4	मार्च, 2002 में डा० ललित कुमार के त्यागपत्र के कारण और दिसम्बर, 2002 में डा० एम० सी० गुप्ता की आचार्य के पद पर नियुक्ति के कारण और जनवरी 2002 में डा० स्वर्ण सुधीर की सेवानिवृति के कारण और डा० मोनिका टंडन के कार्यभार न ग्रहण करने के कारण ।
6.	पैथोलोजी	2	जून, 2000 में एक पद के सृजन के कारण और सितम्बर, 2002 में डा० उमा सिंह की आचार्य के पद पर नियुक्ति के कारण ।
7.	यूरोलोजी	1	अक्तूबर, 1998 में डा० एस० पी० यादव के त्याग पत्र के कारण ।
8.	कार्डियोलोजी	1	डा० भानू मुगल के कार्यभार ग्रहण न करने के कारण ।
9.	गैस्ट्रोएन्ट्रोलोजी	2	वर्ष 1989 में सर्जन से ही ।
10.	न्यूरोलोजी	2	जून, 1998 में डा० जी०पी० वर्मन और डा० यशपाल के त्यागपत्र के कारण ।
11.	न्यूरोसर्जरी	1	मार्च, 1998 में डा० यशबीर दीवान के त्याग पत्र के कारण ।
12.	पीडियाट्रिक सर्जरी	2	मई, 2001 में डा० सुशील बुद्धिराजा के त्याग पत्र के कारण और डा० देवेन्द्र कुमार के कार्यभार ग्रहण न करने पर डा० के० एन० रत्तन की आचार्य के पद पर पदोन्नति ।
13.	कार्डियक सर्जरी	1	जून, 2001 में डा० संजीव की सेवाएं समाप्त करने के कारण ।
14.	बर्नज एवं प्लास्टिक सर्जरी	1	दिसम्बर 2001 में डा० रवि महाजन के त्यागपत्र के कारण ।
15.	नैफरोलोजी	2	सितम्बर 2002 में सृजन से ।
16.	क्लीनिकल हेमाटोलोजी	2	अगस्त 1999 में सृजन से ।
17.	न्यूक्लीयर मैडीसन	2	जुलाई 2001 में सृजन से ।
18.	सर्जिकल आनकोलोजी	2	जून 2001 में सृजन से ।
19.	एनिस्थिजीयोलोजी	2	नवम्बर 2001 में डा० रूचि गुप्ता के त्यागपत्र के कारण और दिसम्बर 1998 में डा० सरला हुड्डा की पदोन्नति के कारण ।
20.	रेडियोलोजी	2	जून 1999 में डा० विनोद शर्मा की सेवाएं समाप्त करने के कारण और मई 2001 में डा० ऐरी की पदोन्नति के कारण ।

1	2	3	4
21.	मैडीसन	3	मई 2000 में डा० ए० के० सूद को आचार्य के पद पर पदोन्नति के कारण और सितम्बर 2000 में डा० आभा दुआ के स्थानांतरण के कारण और डा० रोहित अग्रवाल के कार्यभार ग्रहण न करने के कारण।
22.	ओब्सट एवं गायनी	2	वर्ष 2000 में डा० प्रवीण मोहन के त्यागपत्र के कारण और अगस्त 2002 में डा० मधुलिका सूद की मृत्यु के कारण ।
23.	सर्जरी	2	फरवरी 2000 में डा० आर० के० कड़वासरा के आचार्य के पद पर नियुक्ति के कारण और डा० सूबेदार सिंह की सेवा निवृति के कारण ।
24.	ओरथोपिडिक्स	2	मई 1999 में डा० आई०एम० सिंघल के त्याग पत्र के कारण और दिसम्बर 2002 में डा० आर०सी० तिवाथ की आचार्य के पद नियुक्ति के कारण ।
25.	पीडियाट्रिक्स	3	दिसम्बर 2002 में डा० गीता गठवाला की आचार्य के पद पर नियुक्ति और मई 2000 में एक नए पद का सजून और अप्रैल 2002 में डा० सीमा के त्याग पत्र के कारण ।
26.	ई०एन०टी०	1	अगस्त 2002 में डा० एस०पी० गुलाटी को आचार्य के पद पर पदोन्नति ।
अध्यापक	डैन्टल		
27.	औपरेटिव डेन्टेसरी	2	फरवरी 2002 में डा० आर०के० तिवारी के त्यागपत्र के कारण और डा० रूचि कुमार के कार्यग्रहण न करने के कारण ।
28.	औरयोडोनटिक्स	1	मार्च 2002 में डा० संध्या महेश्वरी के त्यागपत्र के कारण ।
29.	पदोस्थोडोंटिक्स	1	सितंबर 2002 में डा० पुनीत कच्यूरिया के त्यागपत्र के कारण ।
30.	कम्युनिटी डैंटीसट्री	1	जनवरी 2003 में डा० शिखा तिवारी के त्यागपत्र के कारण ।
31.	ओरल सर्जरी	1	फरवरी 2003 में डा० आर० एस० बेदी के पदोन्नति के कारण ।
32.	ओरल एनाटोमी	1	31-3-2003 को डा० विजयरानी ग्रोवर की सेवा निवृति के कारण ।
33.	फार्मेसी	3	जुलाई 1995 में श्री पी०एस० गहलोत के फार्मेसी से रेडियोलोजी विभाग में स्थानान्तरण के कारण, डा० ए०एन० कालिया के महर्षि दयानन्द युनिवर्सिटी में चयन होने के कारण और सजून के कारण ।

Haryana Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY Chandigarh

[डा० एम०एल० रंगा]

अनुबन्ध (सी)

संस्था में स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किए गए विभागानुसार वर्ग - 2 फुटकर पदों की सूची।

क्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5
1.	चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय			
	(1) उपचिकित्सा अधीक्षक	3	2	1
2.	एस०पीएम० विभाग			
	(1) चिकित्सा अधिकारी	3	3	-
	(2) एपीडेमियोलोजिस्ट	1	1	-
3.	सी०एच०सी० डीघल			
	(1) चिकित्सा अधिकारी	5	4	1
4.	पी० एच०सी० बेरी			
	(1) चिकित्सा अधिकारी	2	1	1
5.	पोस्ट मार्टम प्रोग्राम विभाग			
	(1) चिकित्सा अधिकारी	2	2	-
6.	ब्लड बैंक			
	(1) ब्लड ट्रांसफ्यूजन अधिकारी	1	1	-
	(2) सहायक ब्लैड ट्रांसफ्यूजन अधिकारी	1	1	-
7.	पैथोलोजी विभाग			
	(1) चिकित्सा अधिकारी	1	1	-
8.	पी०एच०सी० चिड़ी			
	(1) चिकित्सा अधिकारी	1	1	-
9.	अत्याहत विभाग			
	(1) चिकित्सा अधिकारी	5	5	-
10.	दन्तक कालिज रोहतक			
	(1) दन्तक सर्जन	1	1	-
निदेशक कार्यालय				
	(1) वित्तीय सलाहकार	1	1	-
	(2) लेखा अधिकारी	1	1	-
	(3) सहायक जिला न्यायवादी	2	2	-
		30	27	3

वर्ग - 2 फुटकर पदों का विवरण

क्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त	कब से रिक्त
1	2	3	4	5	6
	हड्डी रोग विभाग				
1.	हैड ओक्यूपेशनल थेरापिस्ट	1	-	1	1997
2.	ओरथोटिस्ट	1	1	-	
3.	प्रोस्थेटिस्ट	1	1	-	
4.	ओक्यूपेशनल थेरापिस्ट	1	1	-	
5.	फिजियोथेरापिस्ट	3	1	2	1978
	रेडियोलोजी व रेडीयोथेरापी विभाग				
6.	फिजीसिस्ट	2	-	2	1991
	कान, नाक व गला विभाग				
7.	स्पीच थेरापिस्ट	2	-	2	1993 व 1995
	ग्लुकोज विभाग				
8.	हैड ग्लुकोज मैनुफैक्चरिंग युनिट	1	-	1	2002
9.	चीफ एनालिस्ट	1	1	-	
10.	चीफ फार्मासिस्ट	1	-	1	1978
11.	मैनुफैक्चरिंग फार्मासिस्ट	1	-	1	1978
	रसोई विभाग				
12.	सीनियर डाईटीशियन	1	-	1	2002
13.	डाईटीशियन	1	-	1	1995
	मनोरोग विभाग				
14.	एनालिटिकल साईकोलोजिस्ट	1	1	-	
15.	क्लीनिकल साईकोलोजिस्ट	2	-	2	1985 व 1999
16.	साईकट्रिक सोशल वर्कर	2	-	2	1985

[डा० एम०एल० रंगा]

1	2	3	4	5	6
नेत्र रोग विभाग					
17.	ऑरथोपटिस्ट कम ओपेटोमिट्रिस्ट (अराजपत्रित)	3	3	-	
18.	रिफ्रक्शनिस्ट	1	-	1	
फार्माकोलोजी विभाग					
19.	फार्मासिस्ट इन फार्माकोलोजी	1	-	1	1992
एस० पी० एम० विभाग					
20.	स्टेटिस्टीशियन	1	-	1	1985
न्यूक्लियर मैडीसन विभाग					
21.	न्यूक्लियर मैडीसन स्पेशलिस्ट	1	-	1	1998
शिशु रोग विभाग					
22.	चाईल्ड साईकोलोजिस्ट	1	-	1	1985
23.	बायोकैमिस्ट (एक-एक पद शिशु रोग, बायोकैमिस्ट्री व प्रसूति रोग विभाग के लिए स्वीकृत)	3	1	2	1985 व 2001
भण्डारण विभाग					
24.	चीफ स्टोर ऑफीसर	1	-	1	1985
	फुटकर पद (अनुबंध आधार पर)				
25.	सिस्टम एनालिस्ट	1	-	1	1989
26.	बायोस्टेटिशियन	1	1	-	
27.	मैडिकल रिकार्ड आफिसर	1	1	-	
28.	प्रोग्रामर	1	-	1	1989
29.	वार्डन गर्ल्ज हास्टल (नियमित)	1	-	1	2003
	फुटकर कर्मचारी (पदोन्नति द्वारा)				
30.	उप प्रशासनिक अधिकारी	1	-	1	
31.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	1	-	1	2002
32.	अधीक्षक (राजपत्रित)	3	1	2	2002
		44	14	30	

विभागानुसार सीनियर रेजिडेंटस की रिक्तियों की स्थिति

क्रमांक	विभाग का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए		रिक्त
			टन्योर	तदर्थ	
1	2	3	4	5	6
1.	निश्चेतन विभाग	13	7	6	-
2.	अस्थाइत विभाग	4	-	4	-
3.	कान, नाक व गला	2	1	1	-
4.	मैडिसन विभाग	18	3	7	8
5.	प्रसूति विभाग	9	7	2	-
6.	नेत्र विभाग	8	5	3	-
7.	शिशु रोग विभाग	7	4	3	-
8.	रेडियोलोजी विभाग	6	2	4	-
9.	रेडियोथिरापी	4	3	1	-
10.	हड्डी रोग विभाग	7	4	3	-
11.	सामान्य सर्जरी	12	6	5	1
12.	चर्म एवं प्लास्टिक सर्जरी विभाग	1	-	1	-
13.	कार्डियक सर्जरी	2	-	-	2
14.	न्यूरो सर्जरी विभाग	2	-	2	-
15.	शिशु शल्य चिकित्सा विभाग	2	-	1	1
16.	चर्म रोग विभाग	3	2	1	-
17.	कार्डियोलोजी विभाग	1	-	-	1
18.	एस०पी०एम० विभाग	2	1	1	-
19.	छाती रोग विभाग एवं क्षय रोग	2	1	1	-
20.	मनोरोग विभाग	4	1	1	2
21.	गैसट्रो एनट्रोलोजी	1	-	-	1
22.	यूरोलोजी विभाग	2	-	2	-
23.	न्यूरोलोजो विभाग	1	-	-	1
24.	सर्जिकल ओनकोलोजो विभाग	2(2)	+(1)	-	1
25.	न्यूक्लियर मैडिसन	2	-	-	2
26.	नेफरोलोजी विभाग	2	2	-	2
27.	क्लीनिकल हेमटोलोजी विभाग	1	-	-	1
	कुल	120	48	49	23

[डा० एम०एल० रंगा]

विभागानुसार डिर्मोस्टेट्रस की रिक्तियो की स्थिति

क्रमांक	विभाग का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए		रिक्त पद
			दन्योर	तदर्थ	
1	2	3	4	5	6
1.	एनाटमी विभाग	9	4	5	-
2.	बायोकैमस्ट्री विभाग	7	4	2	1
3.	फिज्योलोजी विभाग	6	3	3	-
4.	पैथोलोजी विभाग	10	6	4	-
5.	माईक्रोबायोलोजी विभाग	5	4	1	-
6.	इम्यूनोलोजी विभाग	1	-	1	-
7.	फारमाकोलोजी विभाग	6	1	5	-
8.	फोरन्सिक मैडिसन विभाग	4	2	2	-
9.	ब्लैड बैंक	2	2	-	-
10.	दन्तक कालिज	24	18	3	3
	कुल	74	44	26	4

अनुबन्ध (डी)

श्रेणी - III (नर्सिंग स्टाफ) का विवरण

क्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त	कब से रिक्त
1	2	3	4	5	6
1.	नर्सिंग अधीक्षक	2	-	2	1. मार्च, 2001 2. जुलाई, 2002
2.	प्रिंसीपल ट्यूटर	1	1	-	-
3.	ट्यूटर	7	6	1	अप्रैल, 2002
4.	पब्लिक हैल्थ ट्यूटर	2	-	-	यह पद भारतीय नर्सिंग कौन्सिल द्वारा स्लेबस-1986 तथा सेवाविदुति ।
5.	मैट्रन	4	4	-	-
6.	नर्सिंग सिस्टरज	93	92	1	1996
7.	स्टाफ नर्स	482	460	22	1998

अनुबन्ध (इ)

ग्रुप-III कर्मचारियों से सम्बन्धित पदों का विवरण

क्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए	वर्तमान विभाग में नियुक्ति	रिक्त पद	टिप्पणी	कब से रिक्त है
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अधीक्षक	04	03	शैक्षणिक शाखा-1 सहशाखा - 8 सेल -I -1 दन्तक विभाग -1	1	1 पदोन्नति से भरा गया।	30-8-2003
2.	उप- अधीक्षक	02	02	स्थापना शाखा- II -1 सेल-II -1	-	-	-
3.	निजी सहायक	03	03	निदेशक आफिस-1 डीन -1 चिकित्सा आफिस -1	-	-	-
4.	वरिष्ठ आशुलिपिक	05	03	दन्तक विभाग - 2 लेखा शाखा - 1	2	2- पदोन्नति द्वारा	1992
5.	कनिष्ट आशुलिपिक	05	04	मनोरोग विभाग -1 निशचेतन विभाग-1 सेल-I -1 चर्मरोग विभाग -1	1	1- पदोन्नति द्वारा	1994
6.	सहायक/ लेखाकार/कनिष्ट ओडिटर/पैकिंग सहायक	45	45	-	शून्य	-	-
7.	खजान्ची	06	05	लेखाशाखा -3 दन्तक -1 स्थापना शाखा - I-1	1	पदोन्नति द्वारा	जून, 2003
8.	आशुलिपिक	55	39	-	16	4 पद पदोन्नित द्वारा रिक्त 12 पद सीधी भर्ती द्वारा	1998 से
9.	लिपिक/लिपिक-कम टाइपिस्ट/दरोगा-कम लिपिक	78	55	23	4 पद पदोन्नित द्वारा 19 पद सीधी भर्ती द्वारा, 10 प्रतिशत कट प्रतिबन्ध होने के कारण		2000
10.	काउंटर सुपरवाईजर-कम मैस कलर्क	01	01	1- लड़कों का होस्टल	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	अनुभाग अधिकारी	04	04	1- दन्तक विभाग 3- लेखा शाखा	-	-	-
12.	लायब्रेरियन	02	02	2-लाईब्रेरी	-	-	-
13.	सहायक लायब्रेरियन	02	-	-	2	सीधी भर्ती द्वारा सरकार के प्रतिबन्ध के कारण	2000
14.	मेडिकल रिकार्ड टेक्निशियन	04	04	4-मेडिकल रिकार्ड आफिस	-	-	-
15.	मेडिकल रिकार्ड क्लर्क	05	01	1-यथोपरि	4	सीधी भर्ती द्वारा सरकार के प्रतिबन्ध के कारण	2000
16.	स्टेटिस्टीकल सहायक	01	-	-	1	सीधी भर्ती द्वारा सरकार के प्रतिबन्ध के कारण	2000
17.	स्टोर आफीसर	01	01	1- सैन्ट्रल स्टोर	-	-	-
18.	सीनियर स्टोर कीपर	05	05	1- सैन्ट्रल स्टोर 1- लाण्ड्री विभाग 1- अनाटमी विभाग/ लड़को का होस्टल 1- सम्पदा शाखा 1- आर्थोपैडिक विभाग	-	- -	- -
19.	स्टोर कीपर/ स्टोर-कीपर-कम क्लर्क	29	22	2- सैन्ट्रल स्टोर 1- फार्मसी विभाग 1- फोरन्सिक विभाग 1- एस. पी. एम. विभाग 1- पैथोलोजी विभाग 1- फीजियोलोजी विभाग 1- माइकोबायोलोजी विभाग 1- सी०एस०ए०डी० विभाग 1- सर्जरी विभाग 1- डाक्टरों का होस्टल 1- ग्लकोज़ प्लांट 1- परिवहन विभाग 1- पी०पी०पी० यूनिट 2- दन्तक विभाग 4- लेखा अनुभाग 2- किचन्ज विभाग	7	- (सरकार के प्रतिबन्ध के कारण) 3 पद 10 प्रतिशत् कट के कारण	2000

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	रिसैप्शनिस्ट	12	10	7- रिसैप्शन 2- सी०आर० आफिस 1- विश्राम सदन	2	1- सीधी भर्ती द्वारा 1-10 प्रतिशत् कट द्वारा	1995 अप्रैल,2002
21.	कम्प्यूटर	2	2	2-एस०पी०एम० विभाग (डीक्षल एवं कचूरा)	-	-	-
22.	डी०पी०ई०	2	2	2-स्पोर्ट्स विभाग	-	-	-
23.	होस्टल सुपरवाईज़र	4	2	1-लड़कों का होस्टल 1-लड़कियों का होस्टल	2	सीधी भर्ती के कारण	1995
24.	लेडी हाउस-कीपर	2	2	1-नर्सिंग होस्टल 1-लड़कियों का होस्टल	-	-	-
25.	अधीक्षक गर्ल्ज होस्टल	1	-	-	1	सीधी भर्ती के द्वारा	अप्रैल,2003
26.	सीनियर मल्टी पर्पज हैल्थ-सुपरवाईजर	1	1	1- सैनीटेशन विभाग	-	-	-
27.	मल्टी पर्पज हैल्थ सुपरवाईजर (मेल)	11	6	3- सैनीटेशन 2- एस०पी०एम० विभाग 1- डी०पी०पी० यूनिट	5	पदोन्नति द्वारा	2000
28.	मल्टी पर्पज हैल्थ वर्कर (मेल)	9	4	4-एस०पी०एम० विभाग, डीक्षल एवं चिड़ि सहित	5	सीधी भर्ती द्वारा (सरकार के प्रतिबन्ध के कारण)	2000
29.	मल्टी पर्पज हैल्थ वर्कर (फिमेल)	24	16	14-एस०पी०एम० विभाग, बेसी, डीक्षल एंव चिड़ि सहित 2- पैरा प्लीजिक विभाग	8	सीधी भर्ती द्वारा	3 पद 2000 से 5 पद 2002 से
30.	लैब टैकनीशियन	147	119	3-मैडीसन/ आनकोलोजी सर्जरी 1- सर्जरी 1- ग्लकोज विभाग 2- नेत्र रोग विभाग 1- चर्म रोग विभाग/ शिशु रोग विभाग	28	सीधी भर्ती द्वारा (सरकार के प्रतिबन्ध के कारण)	22 पद 2000 से 6 पद 2003 से

[डा० एम०एल० रंगा]

1	2	3	4	5	6	7	8
				1- शिशु रोग विभाग 2- प्रसूति रोग विभाग 1- मनोरोग विभाग 1- रेडियोथैरेपी विभाग 1- नैफरोलोजी विभाग 6- दन्तक कालेज 36- पैथोलोजी विभाग 13- माईक्रोबायोलोजी विभाग 2- अनाटमी विभाग 3- फोरन्सिक विभाग 3- फिजीयोलोजी 3- फार्मेसी विभाग 3- फार्माकोलोजी 4- एस०पी०एम० विभाग 15- ब्लड बैंक 16- बायोकैमिस्ट्री		
32.	सीनियर तकनीशियन	8	8	3- पैथोलोजी 1-माइक्रोबायोलोजी 1-अनाटमी 1- फार्मेसी 1- दन्तक कालेज 1- क्षय एवं छाती रोग	-	-	-
33.	टैक्नीकल सहायक	7	2	2- फिजीयोलोजी	5	सीधी भर्ती 1988 द्वारा (सरकार के प्रतिबंध के कारण)	
34.	सीनियर रेडियोग्राफर	10	10	7- रेडियोलोजी 1- रेडियोलोजी 1- दन्तक विभाग	-	-	-
35.	रेडियोग्राफर	24	23	1- दन्तक 4- रेडियोथिरिपी 2- ए०पी०एम० 16- रेडियोलोजी	1	सीधी भर्ती 2003 द्वारा (सरकार के प्रतिबंध के कारण)	
36.	सीनियर डार्क रूम सहायक	3	3	3- रेडियोलोजी	-	-	-
37.	डार्क रूम सहायक	6	3	3- रेडियोलोजी	3	सीधी भर्ती जनवरी, 2003 द्वारा (सरकार के प्रतिबंध के कारण)	

1	2	3	4	5	6	7	8
38.	सीनियर थियेटर मास्टर	1	1	1- एमरजेंसी ओ०टी०	-	-	-
39.	थियेटर मास्टर	4	4	1-एस०ओ०टी०	-	-	-
				2- प्रसूति विभाग	-	-	-
				1- एमरजेंसी ओ०टी०			
40.	जूनियर थियेटर मास्टर	37	28	6-एमरजेन्सी ओ०टी०			
				5-एस०ओ०टी			
				7- निश्चेतन विभाग	9	4-10 प्रतिशत कट	1999
				1- सी०एस०एस०डी०		1-पदोन्नति द्वारा	
				2- ई०एन०टी०		1- सीधी भर्ती द्वारा	
				1- अत्याहित विभाग			
				3- नेत्र रोग विभाग			
				3- प्रसूति विभाग			
41.	टी०बी० हैल्थ विजिटर	2	2	2- टी०बी० एवं छाती रोग	-	-	-
42.	म्यूजियम कीपर	2	2	1- फोरेंसिक मैडिसन			
				1- पैथोलोजी विभाग	-	-	-
43.	टैक्नीकल सुपरवाईजर	1	-	-	1	सीधी भर्ती द्वारा	1999
44.	केस वर्कर	1	1	1- एस०पी०एम० विभाग-		-	-
45.	मैक्सीलो फेसियल प्रोसथिसिस मैकेनिक	1	-	-	1	सीधी भर्ती द्वारा	1999
46.	डेन्टल मैकेनिक	7	3	3- डेंटल कॉलिज	4	सीधी भर्ती द्वारा	1999
47.	डेन्टल हाईजेनिष्ट	3	2	2- डेंटल कॉलिज	1	सीधी भर्ती द्वारा	1999
48.	हिस्टोपैथोलोजी तकनीशियन	2	-	-	2	सीधी भर्ती द्वारा	1999
49.	थैयरसाईड सहायक	8	-	-	8	सीधी भर्ती द्वारा	1999
50.	सहायक डेन्टल मैकेनिक	1	-	-	1	सीधी भर्ती द्वारा	1999
51.	मीडिया वर्कर	1	-	-	1	सीधी भर्ती द्वारा	1999
52.	न्यूक्लियर मैडिसन टैक्नोलोजिस्ट	2	-	-	2	सीधी भर्ती द्वारा	1999 व 2000
53.	साईटो टैक्नोलोजिस्ट	1	-	-	1	सीधी भर्ती द्वारा	1999
54.	प्रफ्यूजनिस्ट	1	-	-	1	सीधी भर्ती द्वारा	1999
55.	ई०एन०जी० पोटंटेशन	1	-	-	1	सीधी भर्ती द्वारा	1999

[डा० एम०एल० रंगा]

1	2	3	4	5	6	7	8
56.	सीनियर फोटोग्राफर	1	-	-	1	सीधी भर्ती द्वारा	1999
57.	फोटोग्राफर	3	1	1- मैडिकल इलूस्ट्रेशन विभाग	2	सीधी भर्ती द्वारा	1999
58.	जूनियर फोटोग्राफर	1	-	-	1	सीधी भर्ती द्वारा	1999
59.	फोटो आर्टिस्ट	1	1	1- फोटोग्राफी विभाग	-	-	-
60.	फोटोग्राफर-कम आर्टिस्ट	1	-	-	1	पदोन्नति	1999
61.	आर्टिस्ट	3	2	2- फोटोग्राफी विभाग	1	सीधी भर्ती द्वारा	2002
62.	जूनियर आर्टिस्ट	1	1	1- फोटोग्राफी विभाग	-	-	-
63.	मॉडलर	2	1	1-एनाटमी विभाग	1	सीधी भर्ती द्वारा	1999
64.	प्रोजक्सनिस्ट	2	2	1- फोटोग्राफी विभाग 1- पी०पी०पी० यूनिट	-	-	-
65.	सहायक फोटो आर्टिस्ट	1	-	-	1	सीधी भर्ती द्वारा	1999
66.	फोर मैन	1	-	-	1	सीधी भर्ती द्वारा	31.8.2003
67.	मैकेनिक	4	2	1- सैन्ट्रल वर्कशाप 1- लान्ड्री विभाग	2	सीधी भर्ती द्वारा	2000
68.	एयर कन्डीशनर कम-रेफ्रीजिरेटर मैकानिक	3	3	2- सेन्ट्रल वर्कशाप 1- निश्चेतन विभाग	-	-	-
69.	इलैक्ट्रीकल वैल्डर	1	-	-	1	सीधी भर्ती द्वारा	2001
70.	कारपेन्टर	2	1	1-सेन्ट्रल वर्कशाप	1	सीधी भर्ती द्वारा	2000
71.	गैस वैल्डर	1	1	1- सेन्ट्रल वर्कशाप	-	-	-
72.	इलैक्ट्रीशियन-कम रिवाईडर	1	-	-	1	सीधी भर्ती द्वारा	31-8-2003
73.	इलैक्ट्रीशियन	1	1	1- सेन्ट्रल वर्कशाप	-	-	
74.	आटोक्लेव मैकेनिक	1	1	1- सेन्ट्रल वर्कशाप	-	-	
75.	केसमैन	2	1	1- सेन्ट्रल वर्कशाप	1	सीधी भर्ती द्वारा	1998
76.	पेन्टर	2	2	2- सेन्ट्रल वर्कशाप	-	-	
77.	फीटर	1	-	-	1	सीधी भर्ती द्वारा	1999
78.	डिप्टी एनालिस्ट	1	1	1- ग्लुकोज प्लांट	-	-	-
79.	सुपरवाईजर सी.एस.एस.डी.	1	1	1- सी०एस०एस०डी० विभाग	-	-	-
80.	सहायक सुपरवाईजर सी.एस.एस.डी.	4	1	1- सी०एस०एस०डी० विभाग	3	सीधी भर्ती द्वारा	2-2001 से 1-2002

1	2	3	4	5	6	7	8
81.	बुआयलर मैकेनिक (सी.एस.एस.डी.)	4	4	4- सीएस0एस0डी0 विभाग	-	-	-
82.	स्टूलाईजेशन तकनीशियन (सी.एस.एस.डी.)	3	1	1-सी0एस0एस0डी0 विभाग	2	सीधी भर्ती द्वारा	1-1999 से 1-2000
83.	बुआयलर सहायक (अटैंडेंट) सी.एस.एस.डी.	3	3	3-सी0एस0एस0डी0 विभाग	-	-	-
84.	लांड्री-कम-बुआयलर इंचार्ज (सी.एस.एस.डी.)	1	-	-	1	सीधी भर्ती द्वारा 2003	
85.	प्रोस्थेटिक टैक्नीशियन	2	1	1-आर्टिफिशियल लिम्ब मेकर एवं आर्थोपेडिक वर्कशाप	1	सीधी भर्ती द्वारा मार्च 1, 2001	
86.	प्लास्टर तकनिशियन	3	3	3-आर्टिफिशियल लिम्ब मेकर एवं आर्थोपेडिक वर्कशाप	-	-	-
87.	आर्टिफिशियल लिम्ब मेकर	1	1	1- यथोपरि-	-	-	-
88.	इलैक्ट्रोनिक लिम्ब मैकर	1	1	1- यथोपरि-	-	-	-
89.	वैल्डर कम इलैक्ट्रोप्लेटर	1	1	1- यथोपरि-	-	-	-
90.	वुड लिम्ब मेकर	1	1	1- यथोपरि	-	-	-
91.	मैथट फेशियल तकनीशियन	1	-	-	1	सीधी भर्ती 1998 (यह पद 3/98 में विज्ञापित हो चुका है)	
92.	जूनियर फिजीयोथिरापिस्ट	1	-	-	1	- यथोपरि - 1998	
93.	जूनियर फिजीयो ओक्यूपेशनल थिरोपिस्ट	1	-	-	1	-यथोपरि - 1998	
94.	जूनियर ओक्यूपेशनल थिरापिस्ट	1	1	1-आर्टिफिशियल लिम्ब सेन्टर एवं आर्थोपेडिक वर्कशाप	-	-	-
95.	टर्नर	1	1	1-आर्टिफिशियल लिम्ब सेन्टर एवं आर्थोपेडिक वर्कशाप	-	-	-
96.	लेदर लिम्ब मेकर	2	1	1- यथोपरि	1	सीधी भर्ती द्वारा 8-4-03	
97.	मेटल लिम्ब मेकर	1	1	1- यथोपरि	-	-	-
98.	प्लास्टिक लिम्ब मेकर	1	-	-	1	सीधी भर्ती द्वारा 2003	
99.	फुट प्रोस्थेटिक तकनीशियन	1	1	1-आर्टिफिशियल लिम्ब मेकर एवं आर्थोपेडिक वर्कशाप	-	-	-
100.	ट्रांसपोर्ट आफिसर	1	-	-	1	सीधी भर्ती द्वारा 1999	
101.	चालक	32	25	22 - परिवहन विभाग 1- पी.एच.सी.डीधल 1- सी.एच.बेरी 1- पी.एच.सी. चिड़ी	7	3-10 प्रतिशत कट 25 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 1999 एवं 2000 से 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	

[डा० एस०एल० रंगा]

1	2	3	4	5	6	7	8
102.	डिस्पेंसरी अधीक्षक		1	1	1- ड्रग स्टोर	-	-
103.	सीनियर फार्मासिस्ट		5	5	1- एस०ओ०डी० एवं टीकाकरण विभाग 2- आपातकालीन विभाग 1- प्रचेज विभाग 1- मनोरोग विभाग		
104.	फार्मासिस्ट		23	20	1- प्रचेज विभाग 1- एम.ओ.डी. 1- मनोरोग विभाग 3- आपातकालीन 4- ड्रग स्टोर 2- डीस्पैंसरी 2- पी.एच.सी.डीघल 1- सी.एच.बेरी 2- पी.एच.सी. चिड़ी 2- एस. पी .एम 1- ग्लुकोज प्लांट	3	सीधी भर्ती द्वारा 1999 (एक पद कोर्ट केस के कारण रिक्त है)
105.	टेलर (4000-6000 रुपये)		3	2	1- सेन्ट्रल वर्कशाप 1- आर्थोपेडिक वर्कशाप	1	सीधी भर्ती द्वारा 1995 (कोर्ट केस के कारण)
106.	टेलर (3050-4590 रुपये)		1	1	1- एस०ओ०डी०	-	-
107.	सोशल वर्कर		3	3	1- एस०पी०एम० 1- चर्म रोग विभाग 1- ब्लैड बैंक विभाग	-	-
108.	होरटिकल्चर सुपरवाईजर		1	-	-	1	पदोन्नति द्वारा 2002
109.	गैसटेटनर आपरेटर		1	1	1- एम.एस. आफिस	-	-
110.	आफथालमिक सहायक		2	2	2-नेत्र रोग विभाग	-	-
111.	एनिमल हाउस कीपर		2	1	1- पैथोलोजी विभाग	1	सीधी भर्ती द्वारा 1999
112.	गैस रूम आपरेटर		4	3	3- गैस मनीफील्ड विभाग	1	सीधी भर्ती द्वारा 1999 (विज्ञाप्ति की हुई है ।)
113.	जीरोक्सीटि		1	1	1-लाईब्रेरी	-	-
114.	सहायक सुरक्षा अधिकारी		2	2	2-सुरक्षा विभाग	-	-
115.	हैड कुक		1	-	-	1	सीधी भर्ती द्वारा 1998
116.	कम्पयूटर आपरेटर		1	1	1-कम्पयूटर सैक्शन	-	-

1	2	3	4		5	6	7	8
117.	डाटा इन्ट्री आपरेटर		4	4	01- कम्प्यूटर सेक्शन 1- पी.ए. सैक्शन 1- लेखा शाखा 1- एम.एस.आफिस/ फोटोग्राफी विभाग	-	-	-
118.	ई.सी.जी. टक्नीशियन		7	5	5-सेन्ट्रल ईसीजी विभाग	2	सीधी भर्ती द्वारा 2000	
119.	ई. ई. जी. टक्नीशियन		1	1	1- न्यूरोलोजी विभाग	-	-	-
120.	हैल्थ एजुकेटकर-कम-पब्लिसिटी आफिसर		1	1	1- नेत्र रोग विभाग	-	-	-
121.	ब्लॉक एकुसटेंशन एजुकेटर		2	-	-	2	सीधी भर्ती द्वारा 1997 (विज्ञापित की हुई है)	
122.	लेबोरेटरी अटैंडेन्ट		60	56	2- ओरेथोपेडिक विभाग 6- बायोकेमेस्ट्री 3- क्लिनिकल पैथालोजी 5- मैडिसन विभाग 2- फारमाकोलाजी 2- फिजीयोलोजी 1- लीगल सैल 2- प्रसूति विभाग 1- सर्जरी विभाग 1- प्रवेज की काउंटर 1- शिशु शल्य चिकित्सा विभाग 5- पेथोलोजी विभाग 3- ब्लैड बैंक 1- ग्लुकोज प्लांट 1- ई0एन0टी0 विभाग 1- एनाटमी विभाग 1- बी0एन0डी लैब 3- दन्तक कालिज 1- एम0एस0आफिस 1- लेखा शाखा 4- माईक्रोबायालोजी विभाग 1- पी.ए. सेल 1- रेडियोथैरपी विभाग 3- फार्मेसी विभाग 1- एस0पी0एम0 विभाग 1- क्षय एवं छाती रोग विभाग	0	10 प्रतिशत कट	-
	कुल		848	642		206		

[डा० एस०एल० रंगा]

अनुबन्ध (एफ)

पंडित भगवत दयाल शर्मा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की स्थिति ।

क्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त	10 प्रतिशत कटौती	स्पष्ट रिक्तियां
1.	हैड स्वीपर/ स्वीपर	321	277	44	32	12
2.	चौकीदार/ गेट मैन	55	43	12	5	7
3.	ओ० टी० अटेंडैंट/ सी० एस० एस० डी० अटेंडैंट/ एक्सरे अटेंडैंट	156	124	32	16	16
4.	अन्य चतुर्थ श्रेणी	720	505	215	72	143
	कुल	1252	949	303	125	178

निम्न चतुर्थ श्रेणी पद सरकार के यादी क्रमांक 1/32/97-2 एच०बी०-4 दिनांक 24-12-2002 द्वारा समाप्त कर दिये गये हैं ।

1.	चौकीदार	47
2.	हैड स्वीपर	10
3.	स्वीपर	129

नोट : 10 प्रतिशत प्रतिबंध के अतिरिक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की रिक्तियां, सेवा निवृति, स्वैच्छिक सेवा निवृति तथा वर्तमान में सरकार द्वारा प्रतिबंध होने के कारण 1996 से रिक्त हैं । चौकीदार/गेट मैन/ स्वीपर/ हैडस्वीपर के पदों का कार्य ठेके पर दे दिया गया है ।

घोषणाएं

(क) अध्यक्ष द्वारा —

(i) चेयरपर्सनज के नामों की सूची

Mr. Speaker : Hon'ble Members, under Rule 13(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following members to serve on the panel of Chairpersons :-

1. Shri Puran Singh Dabra, MLA
2. Shri Rajinder Singh Bisla, MLA
3. Shri Balbir Pal Shah, MLA
4. Smt. Veena Chhibbar, MLA

(ii) याचिका समिति

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I nominate the following members to serve on the Committee on Petitions under Rule 303 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

1.	Shri Gopi Chand Gahlot, Deputy Speaker	Ex-officio Chairperson
2.	Shri Puran Singh Dabra	Member
3.	Smt. Veena Chhibbar	Member
4.	Shri Rajinder Singh Bisla	Member
5.	Shri Zakir Hussain	Member

(ख) सचिव द्वारा—

(i) राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी

Mr. Speaker : Now, the Secretary will make announcement.

सचिव : माननीय, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने मार्च, 2003 में हुए सत्र में पारित किए थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर सदन के मेज पर रखता हूं :-

1. Chaudhry Devi Lal University Sirsa Bill, 2003.
2. The Kurukshetra University (Amendment) Bill, 2003.
3. The Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill, 2003.
4. The Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2003.
5. The Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana (Amendment) Bill, 2003.
6. The Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2003.
7. The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2003.
8. Guru Jambheshwar University Hisar (Amendment) Bill, 2003.
9. The Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill 2003.
10. The Revenue Recovery (Haryana Amendment) Bill, 2003.
11. The Haryana Appropriation (No.1) Bill, 2003.
12. The Haryana Appropriation (No.2) Bill, 2003.
13. The Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, 2003.
14. The Haryana Value Added Tax Bill, 2003.
15. The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill, 2003.

(ii) संविधान (पचानवेवां संशोधन) विधेयक, 2003

Mr. Secretary : I also beg to lay on the Table of the House a copy each of the following documents received from the Council of States regarding the ratification of the Constitution (Ninety-Fifth Amendment) Bill, 2003 :-

1. Letter dated the 17th June, 2003, received from the Secretary-General, Rajya Sabha, New Delhi;
2. The Constitution (Ninety-Fifth Amendment) Bill, 2003 (English and Hindi Versions), as introduced in the House of People;
3. The Constitution (Ninety-Fifth Amendment) Bill, 2003 (English and Hindi Versions), as passed by the House of Parliament;
4. Lok Sabha Debate on the Constitution (Ninety-Fifth Amendment) Bill, 2003 ; and
5. Rajya Sabha Debate on the Constitution (Ninety Fifth Amendment) Bill, 2003.

स्थगन प्रस्तावों/ ध्यानाकर्षण प्रस्तावों इत्यादि की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष : आप सब अपनी सीटों पर बैठें । आप सब एक एक करके बोलें । (शोर एवं व्यवधान) सब अपनी सीटों पर बैठें । राव इन्द्रजीत सिंह जी बोलें । (शोर एवं व्यवधान)

राव इन्द्रजीत सिंह : स्पीकर महोदय, आपका धन्यवाद । स्पीकर सर, हमने कनीना की तरफ से आपको एक एडजर्नमैंट मोशन दिया है कि किस तरह से वहां के दो पूर्व प्रधानों को जेलों में भर दिया गया है । जब कनीना के लोगों की बात नहीं सुनी गई थी तो उन्होंने दो बार इलैक्शंज का बॉयकाट किया था । इस सरकार ने जबरदस्ती वहां पर इलैक्शन करवाने चाहे थे । इलैक्शन करवाने के बाद 20 के 20 सदस्यों ने अपना रैजिगनेशन दे दिया था । वहां के लोग कहते हैं कि हम पंचायत नहीं बनवाना चाहते हैं, हम म्युनिसिपल कमेटी बनवाना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजुद भी उनकी बात नहीं सुनी गई । जो दो पूर्व प्रधान थे उनको जेल में 10-10 और 12-12 दिन तक रखा गया था, हमें उस बारे में यहां पर चर्चा करने की इजाजत दी जाए । स्पीकर सर, यह एडर्जनमैंट मोशन हम 5-7 एम०एल०एज० ने लिखकर दे रखा है।

श्री अध्यक्ष : आपने यह एडजर्नमैंट मोशन 1 बजकर 20 मिनट पर दिया है और यह अन्डर कंसीडरेशन है । (शोर एवं व्यवधान) आप सब बैठ जाएं । (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी कुछ मैम्बर्ज के साथ मिलकर बस फेयर बढ़ाए जाने के बारे में एडजर्नमैंट नोटिस दिया था, उसका क्या हुआ है । हम उस बारे में यहां पर चर्चा करना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : आपने यह एडजर्नमैंट मोशन 1 बजकर 20 मिनट पर दिया है और यह अन्डर कंसीडरेशन है । (शोर एवं व्यवधान), रघुबीर सिंह जी, आप क्या बोलना चाहते हैं ? (शोर एवं व्यवधान) यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपने 1 बजकर 20 मिनट पर दिया है । (शोर एवं व्यवधान) आप सब ने जो जो मोशंज दिए हुए हैं मैं ही आप सबको उनके बारे में बता देता हूं । आप बैठ जाएं । (शोर एवं व्यवधान) आपके आठ एडजर्नमैन्ट मोशंज 1.20 बजे मेरे ओफिस में

आये हैं। (विघ्न) आप सभी बैठिए । पहले आप आपस में सलाह कर लें । (शोर एवं व्यवधान) हुड्डा साहब, आप अपने मैम्बर्ज को समझाईये । हुड्डा साहब, आपके आठ एडजर्नमैन्ट मोशंज 1.20 बजे मेरे पास आये हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, मैंने बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में भी आपसे रिक्वैस्ट करी थी कि जब आप बी.ए.सी. की रिपोर्ट पेश करेंगे तो हम बोलेंगे इसलिए अब हमें बोलने का मौका दिया जाए । यह जीरो ऑवर है ।

Mr. Speaker : As such there is no provision of Zero hour. लेकिन कन्वैंशन है इसलिए आप डिसकशं कर रहे हैं और हम सुन रहे हैं । परन्तु कोई रूल नहीं है, कन्वैंशन ही है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : कन्वैंशन भी है और जीरो ऑवर तो हमेशा ही होता रहा है इसलिए आप हमारे मैम्बर्ज को अपनी बात कहने का मौका दें । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जीरो ऑवर है तभी तो आप बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं अदरवाइज हम बंद कर देते । जैसी कन्वैंशन है हम वैसा ही कर रहे हैं । मैं सभी को बताऊंगा इसलिए आप सभी बैठिए । (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह) : स्पीकर सर, मैं माननीय विपक्ष के नेता से निवेदन करूंगा कि जब आपने कह ही दिया है कि मैं एक एक मोशन के बारे में इनको बताऊंगा तो हुड्डा साहब को अपने मैम्बर्ज को कंट्रोल करना चाहिए ताकि एक एक मैम्बर अपनी बात कह दे और आप उसका जवाब दे दें । (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, जीरो ऑवर में एक मैम्बर ही एक समय में बोलेगा सारे थोड़े ही बोलेंगे । ये तो 6-6 खड़े हैं । इनको एक-एक करके अपनी बात कहनी चाहिए ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : एक एक सदस्य का नाम स्पीकर साहब बता दें वहीं मैम्बर अपनी बात कहेगा ।

श्री धर्मबीर सिंह : स्पीकर साहब, मैंने भी अपना एक काल अंटेशन मोशन दे रखा है । उसका क्या हुआ ।

श्री अध्यक्ष : आपने अपना मोशन कब दिया है ।

श्री धर्मबीर सिंह : आपने मेरा यह मोशन रिसीव कर रखा है । यह आपके पास है ।

श्री अध्यक्ष : आप टाईम पढ़कर बता दें कि आपने अपना मोशन कब दे रखा है । (शोर एवं व्यवधान) धर्मबीर जी, अब आप बैठिए ।

प्रो0 सम्पत सिंह : स्पीकर सर, इससे ही पता चलता है कि ये कितने सीरियस हैं ?

डा0 रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, मेरा भी एक काल अंटेशन मोशन है कि जब पिछले महीने मुख्यमंत्री जी 12-13 अगस्त को किलोई हल्के में गये थे तो इन्होंने कहा था कि मैं किलोई हल्के को डैड हल्का मानता हूं । इस तरह से मुख्यमंत्री जी ने अपनी कांस्टीच्यूशनल ओथ का उल्लंघन किया है । आप बताएं कि मेरे इस मोशन का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आपका यह मोशन अंडर कंसीडरेशन है इसलिए आप बैठिए । (शोर एवं व्यवधान)

वाक - आऊट

श्री धर्मबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक महीना हो गया । भिवानी जिले के कालेजिज देवीलाल यूनिवर्सिटी से जोड़े जाने के कारण वहां के बच्चों को 200 किलोमीटर तक जाना पड़ रहा है लेकिन आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं इसलिए मैं इसके विरोध में वाक आउट करता हूं ।

(इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के श्री धर्मवीर सिंह सदन से वाक आउट कर गए ।)

स्थगन प्रस्तावों / ध्यानाकर्षण प्रस्तावों इत्यादि की सूचनाएं (पुनरारम्भ)

डा० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, मेरा एक और काल अटेंशन मोशन है कि बेरी हल्के के 16 गावों की जो जमीन है जब वहां पर बरसात हुई तो उससे बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गयी ।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, जमीन को क्या हो गया ।

डा० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, जमीन का यह हो गया कि लौसिज ऑफ क्राप हो गया, वाटर लौगिंग हो गयी ।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, जमीन खराब हुई या फसल खराब हुई ।

डा० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, वहां पर किसान उजड़ गये लेकिन अगर वाटर लौगिंग के असर का आपको नहीं पता तो मुझे लगता है कि आप किसी दूसरे देश से आ रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : मुझे तो पता है लेकिन आपको नहीं पता है । कादियान साहब, आप बैठिए ।

डा० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप एक किसान के बेटे हैं । आपको पता है कि वहां पर किसानों की फसलें बर्बाद हो गयीं । किसान की रबी की फसल बोती हुई नजर नहीं आती । मेरा इस बारे में काल अटेंशन मोशन है आप बताएं उसका क्या हुआ ।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आप बताएं मैंने क्या करना है ।

डा० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, इसकी डी-वाटरिंग आपरेशन की बात है, कम्पनसेशन की बात है । वहां पर चार पांच गावों में बीमारी फैलने का डर है इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बारे में मिनिस्टर अपना रिप्लाई दें कि वहां पर डी-वाटरिंग करवायी जाएगी ।

श्री अध्यक्ष : लेकिन आप यह बताएं कि मैं क्या करूं मैंने करना क्या है ।

डा० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, मेरा इस बारे में काल अटेंशन मोशन है इसलिए यह तो आपने बताना है कि मेरे इस मोशन का क्या किया, क्या इसका फेट रहा ?

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : स्पीकर सर, आप भी पक्षपात करते हैं भाईचारा निभा रहे हैं क्योंकि आप बार बार पूछ रहे हैं कि क्या करना है लेकिन मैम्बर बता नहीं रहे हैं कि क्या करना है ।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, बेरी वालों की चिन्ता मुझे भी है इसलिए मैं आपके मोशन को मंजूर करता हूं ।

वाक - आऊट

चौ० जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, बरवाला के अंदर पिछले डेढ़ ..... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप किस विषय पर बोल रहे हैं ।

चौ० जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं जीरो ऑवर पर बोल रहा हूं और यह मेरा राइट है । ऐसी कंवैंशन है । अध्यक्ष महोदय, बरवाला के अंदर पिछले डेढ़ दो महीनों में इनैलो के कार्यकर्त्ताओं ने जमीन पर नजायज कब्जे किए हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइए । (शोर एवं व्यवधान)

चौ० जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं इसलिए मैं ऐज ए प्रोटैस्ट वाक आउट करता हूं ।

(इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य श्री जय प्रकाश बरवाला सदन से वाकआउट कर गए ।)

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव यह है कि भिवानी और जींद जिले के अंदर (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या आपने कोई नोटिस दिया है ।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, भिवानी और जींद जिले में जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं मैं उसके बारे में सुझाव देना चाहता हूं । वहां बच्चों की पढ़ाई खत्म हो रही है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने जो सुझाव देना हो लिखकर देना ।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, मुझे आप अपनी बात रखने का मौका नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं ऐज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक आउट करता हूं ।

(इस समय हरियाणा विकास पार्टी के एक सदस्य श्री राम किशन फौजी सदन से वाकआउट कर गए ।)

स्थगन प्रस्तावों/ ध्यानाकर्षण प्रस्तावों इत्यादि की सूचनाएं (पुनरारम्भ)

चौ० जगजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी सेवा में कालिंग अटैंशन मोशन दिया है । वह जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है उसके बारे में है ।

श्री अध्यक्ष : कौन सा नोटिस दिया है ।

चौ० जगजीत सिंह : सिरसा यूनिवर्सिटी के साथ भिवानी और जींद के कालेज जोड़ दिये हैं उनके बारे में है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किसके साथ दिया है ।

चौ० जगजीत सिंह : मैंने और कर्ण सिंह दलाल ने दिया है ।

श्री अध्यक्ष : दो बजे दिया है । अंडर कंसीडरेशन है ।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, रूल 273 के तहत मैंने 4 कालिंग अटैंशन मोशन दिये हैं एक तो हरियाणा की कैबिनेट ने जो हत्यारे हैं, मुजरिम हैं उनको जेल से छोड़ने के बारे में डिसीजन किया है ।

श्री अध्यक्ष : कब दिया है ।

कैप्टन अजय सिंह यादव : आज सुबह दिया है ।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास तो 1 बजकर 20 मिनट लिखा है ।

कैप्टन अजय सिंह यादव : आज सुबह नौ बजे दिया है । दूसरा मैंने सारथ हरियाणा के अंदर यूनिवर्सिटी खोलने के बारे में दिया । हमारे सदर्न हरियाणा में 4 जिले हैं मैंने सरकार से अनुरोध किया है कि हमारे यहां यूनीवर्सिटी खोली जाए । तीसरा मेरा कालिंग अटैंशन मोशन राइस मिलों के बारे में है । राइस मिलें शिफ्ट हो रही हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप बैठ जाएं । आपका अण्डर कंसीडरेशन है । अब आप बगैर परमीशन के न बोलें । कर्ण सिंह दलाल आप बोलें ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मैंने आपकी सेवा में दस दिन पहले एक कालिंग अटैंशन मोशन दिया था कि हरियाणा के किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है । खासकर हमारी पलवल की शुगर मिल में किसानों का गन्ने का 9 करोड़ रुपया सरकार की तरफ बकाया है ।

श्री अध्यक्ष : पहले आप अपना फेट तो सुन लें । आपने जो किसानों को गन्ने की बकाया पेमेंट के बारे में कालिंग अटैंशन मोशन दिया था उसको मैं एडमिट करता हूं । वैसे यह मोशन श्री रघुबीर सिंह कादयान जी का है ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी यह मोशन दस दिन पहले इस बारे में दिया था और सबसे पहले मैंने ही दिया है ।

श्री अध्यक्ष : यह मोशन श्री रघुबीर सिंह कादियान जी का है आप आपस में फैसला कर लें ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, ठीक है आप कादियान जी का ही कालिंग अटैंशन नोटिस एडमिट कर लें । मैंने दूसरा कालिंग अटैंशन मोशन बिजली की कमी के बारे में दिया है आज बिजली की कमी सबसे ज्यादा फरीदाबाद में और फरीदाबाद जिले के गावों में है जिसके कारण वहां पर पीने के पानी की बहुत कमी है ।

श्री अध्यक्ष : आपका यह कालिंग अटैंशन मोशन अण्डर कन्सीडरेशन है ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक कालिंग अटैंशन मोशन टिड्डी दल के बारे में दिया है । आज टिड्डी दल फरीदाबाद जिले में काफी फैला हुआ है, वे फसलों को चाटकर खा रहे हैं और लोगों के घरों में घुस रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : आपका यह कालिंग अटैंशन मोशन अण्डर कन्सीडरेशन है ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक और कालिंग अटैंशन मोशन बाजरे की खरीद पर जो केन्द्र सरकार ने रोक लगाई है उसके बारे में दिया है । इस बारे में हरियाणा के किसानों में काफी भय बना हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : आपके जो भी दूसरे कालिंग अटैंशन मोशन हैं वे सब अण्डर कन्सीडरेशन हैं। अब आप बैठ जायें। अब बिसला जी बोलेंगे।

वाक आउट

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, आप कह रहे हैं कि मेरे सभी कालिंग अटैंशन मोशंज अंडर कंसिडरेशन हैं लेकिन कल सैशन समाप्त हो जाएगा फिर उनके बारे में फैसला कब होगा ?

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाएं। (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : यदि आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं तो मैं एज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक आउट करता हूं।

(इस समय रिपब्लीकन पार्टी ऑफ इंडिया के माननीय सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल सदन से वाक आउट कर गए।)

स्थगन प्रस्तावों / ध्यानाकर्षण प्रस्तावों इत्यादि की सूचनाएं (पुनरारम्भ)

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक कालिंग अटैंशन मोशन एच.आई.वी. और ऐड्स के बारे में दिया है । अध्यक्ष महोदय, ये दोनों ही बीमारियां इस सदी की बहुत भंयकर बीमारियां हैं और इस सदी के लिए एक चैलैंज हैं Before whole of the humanity मेरा आपसे अनुरोध है कि इस कालिंग अटैंशन मोशन को कंसीडर करें और सरकार इस पर अपना पक्ष रखे। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मोशन है।

श्री अध्यक्ष : आपका यह कालिंग अटैंशन मोशन कल के लिए एडमिट कर लिया है ।

डा० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, पिछले महीने 12-13 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री महोदय किलोई हल्के के दौरे पर गये थे और उस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि मैं किलाई हल्के को डैड मानता हूँ।

श्री अध्यक्ष : आपका यह कालिंग अटेशन मोशन अण्डर कन्सीडीरिशेन है।

बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now I report the time table of various business fixed by the Business Advisory Committee.

"The Committee meet at 11.00 A.M. on Tuesday, the 9th September, 2003 in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs that Assembly, whilst in Session, shall meet on Tuesday, the 9th September, 2003 at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. without question being put. On Wednesday, the 10th September, 2003, the Assembly shall meet at 9.30 A.M. and adjourn after the conclusion of the Business entered in the List of Business for the day.

The Committee after some discussion further recommends that the Business on the 9th and 10th September, 2003 be transacted by the Sabha as follows :-

Tuesday, the 9th September, 2003 (2.00 P.M)	1. Obituary references 2. Question Hour 3. Presentation and adoption of First Report of the Business Advisory Committee. 4. Papers to be Laid/ Re-laid on the Table of the House 5. Presentation of four Preliminary Reports of the Committee of Privileges and extension of time for the presentation of final reports thereon. 6. Presentation Discussion and Voting on the Excess Demands Over Grants and Appropriations for the year 1999-2000 and 2000-2001. 7. (i) Presentation of Supplementary Estimates for the year 2003-2004 (First Instalment) and the Report of the Estimates Committee thereon.

	(ii) Discussion and Voting on Supplementary Estimates for the year 2003-2004 (First Instalment).
	8. Official Resolution
Wednesday, the 10th September, 2003 (9.30 A.M.)	1. Question Hour
	2. Motion under Rule-15 regarding Non-stop sitting.
	3. Motion under Rule-16 regarding adjournment of the Sabha *sine-die.*
	4. Papers to be laid.
	5. The Haryana Appropriation Bill, 2003 in respect of Excess Demands Over Grants and Appropriations for the years 1999-2000 and 2000-2001.
	6. The Haryana Appropriation Bill, 2003 in respect of Supplementary Estimates for the year 2003-2004 (First Instalment)
	7. Legislative Business.
	8. Any other Business.

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion that this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

> That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Motion moved —

> That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (किलोई) : अध्यक्ष महोदय, बी.ए.सी. की मीटिंग में मैंने भी कहा था और भाई कृष्ण पाल गुर्जर जी ने भी कहा था कि सैशन का समय बहुत कम रखा गया है। बहुत से एडजर्नमैंट मोशन आए हुए हैं, कई ज्वलन्त इशू आए हुए हैं जैसे बच्चों की फीसें बढ़ाई गई हैं, किरायों में वृद्धि की गई है, किसानों की पेमैंट नहीं हो रही है और ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जैसे कानून और व्यवस्था की बात है और कई हियूज ट्रजैडीज हो रही हैं, इस लिए सैशन का समय ज्यादा किया जाए। सैशन के लिए कम से कम 4 दिन का समय दिया जाए ताकि हमारे सभी साथियों को सभी मुद्दों पर चर्चा करने का समय मिल सके। 8-10 एडजर्नमैंट मोशन आए हुए

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

हैं, कालिंग अटैंशन मोशन आए हुए हैं, शार्ट डिस्कशन के नोटिस हैं इसलिए इन सबके लिए समय चाहिए।

चौ० भजनलाल (आदमपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमने सुना था कि सैशन होने जा रहा है, हमें बड़ी खुशी हुई लेकिन आज जब सैशन का प्रोग्राम सुना और पता चला कि डेढ़ दिन का सैशन है तो बड़ा अफसोस हुआ। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है और इससे ज्यादा धोखा और क्या हो सकता है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : जितना बिजनैस होगा, उतना ही तो सैशन का समय रखा जाएगा। (शोर)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, बिजनैस तो 10 दिन का है, कितने एडजर्नमैंट मोशन आए हैं और कितने कालिंग अटैंशन मोशन आए हुए हैं इसलिए सैशन का समय बढ़ाया जाये।

चौ० भजनलाल : अध्यक्ष महोदय, यह सैशन कम से कम शुक्रवार तक चलना चाहिए, इनको पता नहीं क्या तकलीफ है, इनको क्या खतरा है, इनको क्या डर है। इनको तो केवल एक ही डर है कि अपोजीशन के लोग इनकी सारी पोल खोल देंगें और सभी मैम्बर्ज को पता चल जाएगा। इस लिए डर रहे हैं। (शोर)

श्री अध्यक्ष : भजनलाल जी, आप बैठ जाएं। बिजनैस ही नहीं है तो आप सैशन के दिन बढ़ाकर क्या करोगे ?

चौ० भजनलाल : अध्यक्ष महोदय, हम हरियाणा की जनता की आवाज उठाएंगें कि उनको क्या-क्या तकलीफ है। सरकार के खिलाफ मुद्दों का मेरे पास बैग भरा हुआ है। इसलिए सैशन शुक्रवार तक चलना चाहिए।

कैप्टन अजय सिंह यादव (रिवाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, एस.वाई.एल. का मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

प्रो० सम्पत सिंह : बी.ए.सी. की रिपोर्ट पर बात चल रही है और ये एस.वाई.एल की बात ले आए। विपक्ष के नेता ने भी बी.ए.सी. की रिपोर्ट पर एतराज किया और इनकी पार्टी के अध्यक्ष ने भी एतराज किया। इन्होंने कहा कि सैशन का समय दो दिन की बजाय ज्यादा किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक महत्वपूर्ण सजैशन है ********

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह दलाल जी जो कुछ कह रहे हैं, वह रिकार्ड न किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह : दलाल साहब, कल हमने अखबार में पढ़ा है (आपने ब्यान दिया है कि आप और सांगवान साहब दोनों कांग्रेस में जा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, प्लीज आप बैठें। आपकी बात सुन ली गई है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, * * *

*** चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, प्लीज आप बैठें। आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, प्लीज आप बैठें। मैं आपको वार्निंग देता हूं ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं बैठता हूं लेकिन आप मेरी बात तो सुनें।

चौ० भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, दलाल साहब अपनी बात कहना चाहते हैं। आप उन्हें वार्न किस बात के लिए कर रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही बहुत सीनियर मैम्बर हैं। अभी इन दोनों ने एक बात शर्म, बेशर्म के बारे कहीं। पता नहीं क्या-क्या बात कह गये! (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, दो दिन का सैशन गवर्नमैंट बिजनैस को देखते हुए रखा गया है और जितना गवर्नमैंट बिजनैस है उस बारे बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले डिस्कशन हुआ था। हुड्डा साहब भी बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की मीटिंग में थे, कृष्णपाल जी भी थे और दूसरे मैम्बर भी थे और स्पीकर साहब आपकी अध्यक्षता में यह मीटिंग हुई थी।

चौ० भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, क्या हम उस समय दो दिन के सैशन से सहमत थे ?

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, उस समय हमने कहा कि गवर्नमैंट का बिजनैस दो दिन का है और ये हमें इस बिजनैस को स्ट्रैच करके बता दें कि तीन दिन या चार दिन में कैसे चाहते हैं। हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन गवर्नमैंट बिजनैस होगा तभी साथ में दूसरा बिजनैस होगा। जैसा आज गवर्नमैंट बिजनैस है, बीच में प्रश्नकाल भी आ गया और जीरो आवर भी आ गया। ऐज ट्रैडीशन है, कन्वैंशन है, जीरो आवर जिसमें सभी सदस्य अपनी-अपनी बातें कहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री धर्मबीर सिंह (तोशाम) : स्पीकर सर, जीरो आवर तो नहीं आया और ये कह रहे हैं कि जीरो आवर आ गया।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, यदि अपोजीशन वाले सही मायने में सीरियस होते तो जीरो आवर आता लेकिन ये सीरियस ही नहीं हैं । अपोजीशन वाले तो बाहर अखबारों में ब्यान देते रहते हैं। इन्होंने जो बातें यहां दो-दो लाईनों में कही वही बातें ये बाहर जाकर करते हैं और अपनी राजनीति करते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा का अधिवेशन है और इससे मूल्यवान समय कोई और नहीं होता। इससे बड़ा कान्सटीच्यूशनल प्लेटफार्म और कोई नहीं होता जहां अपनी बात कही जाये और जनता की समस्याओं को बताया जाये। ये जो आज इन्होने कालिंग अटैंशन मोशन और काम रोको प्रस्ताव या जो दूसरे प्रस्ताव दिये हैं ये प्रस्ताव इन ऐडवांस दिए होते तो हो सकता है कि आप उनमें से कुछ को आज के लिए ऐडमिट कर लेते और

*** चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[प्रो० सम्पत सिंह]

सरकार आज अपना रिप्लाई दे देती। लेकिन इन्होंने 1 बजकर 20 मिनट पर आपको ये प्रस्ताव दिए हैं और सदन बैठने का समय 2 बजे का था। मेरे कहने का मतलब यह है कि विपक्ष के साथी बिलकुल भी सीरियस नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, यदि ये अपनी बात कहना चाहें तो दो दिन का समय भी बहुत है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप सभी बैठ जायें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान) * * * * * *

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान) * * * * * *

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप सभी बैठिये। (शोर एवं व्यवधान) कालिंग अटैंशन मोशन कल के लिए एडमिट किए हैं । (शोर एवं व्यवधान)

चौ० जय प्रकाश (बरवाला) : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान) * * * * * *

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी प्लीज आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब की कोई बात रिकार्ड न की जाये ।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं तो दो दिन के सैशन की जस्टीफिकेशन दे रहा था कि दो दिन का सैशन क्यों रखा गया है। यदि ये चाहते तो आज के दिन का भी ये लोग इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ठीक ही कहते हैं कि यह हरियाणा प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहां विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : मेरी इजाजत बगैर जो भी माननीय सदस्य बोल रहे हैं उनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये।

चौ० भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, प्लीज आप बैठें। आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं की जा रही।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, दो दिन का बिजनैस था और आपने बड़ी फिराखदिली से तरीके से तीन कालिंग अटैंशन मोशन एक ही दिन के लिए एडमिट किए हैं और सरकार कल इनका जवाब देगी। ऐसा पहले कभी हरियाणा विधान सभा की असैम्बली में नहीं हुआ कि एक दिन के लिए ही तीन-तीन कालिंग अटैंशन मोशन एडमिट किए गये हों। विपक्ष के साथी चाहें तो रिकार्ड उठाकर देख लें। (शोर एवं व्यवधान) ये तीनों ही अहम मुद्दे हैं और सरकार कल जवाब देगी। अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल जी ने कहा कि हमारे को क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वह तो इन्होंने बेल आउट कर दिया और यह कह दिया कि सरकार नहीं गिरायेंगे। पहले ये कहते रहते थे कि एक महीने में सरकार गिरा दूंगा, दो या तीन महीने में सरकार गिरा दूंगा लेकिन अब इनको मालूम हो गया है कि ये अंगूर खट्टे हैं और कह दिया कि

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

ये सरकार नहीं गिरायेंगे। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक बैग का जिक्र किया कि ये बैग लेकर आया करते थे। मैं इनको इस बारे कहना चाहूंगा कि अब बैग वाला जमाना भी गया। अब इनका बैग उठाने वाला भी कोई नहीं बचा है। पहले वक्त था जब लोग इनका बैग ले लिया करते थे अब वह जमाना गया।

चौ० भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी की कोई बात रिकार्ड न की जाये। भजन लाल जी प्लीज आप बैठें।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि विपक्ष दो दिन का यूटीलाईजेशन भी पूरी तरह से नहीं कर पायेगा। इस तरह के इनके हालात आज ही लग रहे हैं। इनके पास हाउस की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए तो कुछ है नहीं ये तो केवल मात्र अखबारों की सुर्खियों में आने के लिए और वाक आउट करने के लिए इशू बना रहे हैं। अगर विपक्ष के साथी दो दिन का यूटीलाईजेशन पूरी तरह से कर लेंगे तो भी हम इनका धन्यवाद करेंगे और समझेंगे कि अपोजीशन ने वाकई में अपनी भूमिका निभाई है। इसलिए स्पीकर सर, बिजनैस ऐडवाईजरी कमेटी की जो रिपोर्ट है उसे पास किया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप सभी बैठें ।

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, हम दो दिन का समय नहीं मानते। (शोर एवं व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

आवाजें : इस समय बहुत सारे सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर साहब, भजन लाल जी ने तो पहले ही अखबारों में ब्यान दे दिया था कि हम वाक आऊट करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Question is—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

वाक आउट

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात नहीं मानते तो हम वाक आउट करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदन में उपस्थित सभी सदस्य तथा हरियाणा विकास पार्टी के सदस्य श्री रामकिशन फौजी, आर०पी०आई० के सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल, तथा नेशनेलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री जगजीत सिंह सांगवान सदन से वाक आउट कर गए।)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

सदन की मेज पर रखे गए/ पुन: रखे गए कागज पत्र

Mr. Speaker : Hon,ble members, now, Parliamentry Affairs Minister will lay/relay the papers on the table of the House.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to lay on the table—

The Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Ordinance, 2003. (Haryana Ordinance No. 2 of 2003).

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to relay on the table —

The Excise and Taxation Department Notification No. S.O.74/ H.A.20/1973/S.64/2002, dated the 17th September, 2002, regarding the Haryana General Sales Tax Rules, 1975, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to lay on the table —

The Excise and Taxation Department Notification No. S.O.21/ H.A.20/1973/S.64/2003, dated the 7th February, 2003, regarding the Haryana General Sales Tax Rules, 1975, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 32/ H.A.20/1973/S.64/ 2003, dated 11th March, 2003, regarding the Haryana General Sales Tax Rules 1975, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Table the Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 36/H.A.20/73/S.64/2003, dated 26th March, 2003, regarding the Haryana General Sales Tax Rules 1975, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Table the Education Department Notification No. G.S.R. 7/ H.A.12/99/S.24(1)/ 2003, dated 30th April, 2003, regarding the Haryana School Education Rules, 2003, as required under Section 24(3) of the Haryana School Education Act, 1995.

The Table the General Administration Department (Political Branch)Notification No. S.O. 57/H.A.3/1970/S.9/2003, dated the 7th April, 2003, regarding the Haryana Ministers Allowances Rules 1972, as required under Section 8(3) of the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Act, 1979.

The Table the General Administration Department Notification No. S.O. 58/ H.A.9/1979/S.8/2003, dated the 7th April, 2003, regarding the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Rules, 1979, as required under Section 8(3) of the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Act, 1979.

The Table the Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 79/H.A.6/ 2003/S.60/2003, dated 22nd May, 2003, regarding the Haryana value Added Tax Rules 2003, as required under Section 60(4) of the Haryana Value Added Tax Act, 2003.

The Table the General Administration Department Notification No. S.O. 90/ H.A.3/1970/S.9/2003, dated the 27th June, 2003, regarding the Haryana Minister Allowances Rules, 1972, as required under Section 8(3) of the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Act, 1979.

The Table the Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 98/H.A.6/ 2003/S.60/2003, dated the 11th July, 2003, regarding the Haryana General Sales Tax Rules 1975, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 2003.

The Table the Education Department Notification No. S.O. 105/ H.A.17/1969/ S.3/2003, dated the 11th August, 2003, regarding seeking exemption from the provisions of Haryana Official Language Act, 1969 in examination work of the Haryana Public Service Commission as required under Section 7 of the Haryana Official Language Act, 1969.

The 28th Annual Report of the Haryana Seeds Development Corporation Limited for the year 2001-2002, as required under Section 619-A(3) of the Companies Act, 1956.

The 28th Annual Report of the Haryana Land Reclamation and Development Corporation Limited for the year 2001-2002, as required under Section 619-A(3) of the Companies Act, 1956.

The 35th Annual Report and Accounts of the Haryana Agro Industries Corporation Limited for the year 2001- 2002, as required under Section 619-A(3) (b) of the Companies Act, 1956.

The Annual Report on the Working of Haryana Public Service Commission for the year 1996-97, as required under Article 323 (2) of the Constitution of India.

The Annual Report on the Working of Haryana Public Service Commission for the year 1997-98, as required under Article 323 (2) of the Constitution of India.

The Annual Report on the Working of Haryana Public Service Commission for the year 1998-99, as required under Article 323 (2) of the Constitution of India.

[Prof. Sampat Singh]

The Annual Report on the Working of Haryana Public Service Commission for the year 1999-2000, as required under Article 323 (2) of the Constitution of India.

The Annual Report on the Working of Haryana Public Service Commission for the year 2000-2001, as required under Article 323 (2) of the Constitution of India.

The Third Report of National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1994-95 and 1995-96 Volume II and Action Taken Report thereon, as required under Article 338 (7) of the Constitution of India.

The Fourth Report of National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the year 1996-97 and 1997-98 Volume II and Action Taken Report thereon, as required under Article 338 (7) of the Constitution of India.

विशेषाधिकार मामलों के संबंध में विशेषाधिकार समिति के प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना ।

(i) श्री जय प्रकाश बरवाला, एम०एल०ए० के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now, Shri Bhagwan Sahai Rawat, M.L.A., Chairperson, Committee of Privileges, will present the Fourth Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Puran Singh Dabra, M.L.A. and Sh. Padam Singh Dahiya, M.L.A. against Sh. Jai Parkash Barwala, M.L.A. regarding taking of mock chair in the well of the House and showing himself as Speaker of the Assembly, defying the orders of the Chair and challenging and protesting against the ruling of the chair constantly, thus, committing the contempt of the House/ breach of privilege etc. by Shri Jai Parkash Barwala, M.L.A. on 5th March, 2002 and will also move that the time for the presentation of the final report to the house be extended up to the first sitting of the next Session.

Shri Bhagwan Sahai Rawat (Chairperson, Committee of Privileges): Sir, I beg to present the Fourth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Puran Singh Dabra, M.L.A. and Sh. Padam Singh Dahiya, M.L.A. against Sh. Jai Parkash Barwala, M.L.A. regarding taking of mock Chair in the well of the House and showing himself as Speaker of the Assembly, defying the orders of the Chair and challenging and protesting against the ruling of the Chair constantly, thus, committing the contempt of the House/ breach of privilege etc. by Shri Jai Parkash Barwala, M.L.A. on 5th March, 2002.

Sir, I also beg to move—

That the time for the presentation of the final report to the house be extended up to the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion Moved-

> That the time for the presentation of the final report to the house be extended up to the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is—

> That the time for the presentation of the final report to the house be extended up to the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

(ii) श्री कर्ण सिंह दलाल, एम०एल०ए० के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now, Shri Bhagwan Sahai Rawat, M.L.A., Chairperson, Committee of Privileges, will present the Fourth Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Rajinder Singh Bisla, M.L.A. and Shri Ram Kuwar Saini, M.L.A. against Sh. Karan Singh Dalal, M.L.A. for obstructing and making uncalled for remarks against His Excellency, the Governor on 4th March, 2002 and helping greatly Shri Jai Parkash Barwala, MLA in taking mock Chair in the well of the House at the time when the Sabha was in Session on 5th March, 2002 thereby committing the contempt of the House/Breach of privilege etc. by Shri Karan Singh Dalal, MLA on 5th March, 2002 and will also move that the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Shri Bhagwan Sahai Rawat (Chairperson, Committee of Privileges): Sir, I beg to present the Fourth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Rajinder Singh Bisla, M.L.A. and Sh. Ram Kuwar Saini, M.L.A. against Sh. Karan Singh Dalal, M.L.A. obstructing and making uncalled for remarks against His Excellency, the Governor on 4th March, 2002 and helping greatly Shri Jai Parkash Barwala, MLA in taking mock Chair in the well of the House at the time when the Sabha was in Session on 5th March, 2002 thereby committing the contempt of the House/Breach of privilege etc. by Shri Karan Singh Dalal, MLA on 5th March, 2002.

Sir, I also beg to move—

> That the time for the presentation of the final report to the house be extended up to the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion Moved—

That the time for the presentation of the final report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is—

That the time for the presentation of the final report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

(iii) कैप्टन अजय सिंह यादव, श्री धर्मवीर सिंह तथा श्री जगजीत सिंह सांगवान, एम० एल०ए० के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now, Shri Bhagwan Sahai Rawat, M.L.A., Chairperson, Committee of Privileges, will present the Fourth Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Bhagi Ram, M.L.A. and Shri Pawan Kumar, M.L.A. for coming to/remaining in the well of the House in utter defiance of the Chair and continuously arguing with the Speaker, trying to manhandle with the Watch and Ward staff and throwing a book towards the Chair by Capt. Ajay Singh Yadav, MLA, breaking a light box while rushing to well of the House, causing damage to the Government property by Shri Dharambir Singh, MLA and using unparliamentary words and uncalled for remarks etc. in the House by Shri Jagjit Singh Sangwan, MLA and thereby committing the contempt of the House/breach of privilege etc. by Capt. Ajay Singh Yadav, MLA, Shri Dharambir Singh, MLA and Shri Jagjit Singh Sangwan, MLA on 5th March, 2002 and will also move that the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Shri Bhagwan Sahai Rawat (Chairperson, Committee of Privileges): Sir, I beg to present the Fourth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Bhagi Ram, M.L.A. and Sh. Pawan Kumar, M.L.A. for coming to/remaining in the well of the House in utter defiance of the Chair and continuously arguing with the Speaker, trying to manhandle with the Watch and Ward staff and throwing a book towards the Chair by Capt. Ajay Singh Yadav, MLA, breaking a light box while rushing to well of the House, causing damage to the Government property by Shri Dharambir Singh, MLA and using unparliamentary words and uncalled for remarks etc. in the House by Shri Jagjit Singh Sangwan, MLA and thereby committing the contempt of the House/breach of privilege etc. by Capt. Ajay Singh Yadav, MLA, Shri Dharambir Singh, MLA and Shri Jagjit Singh Sangwan, MLA on 5th March, 2002.

Sir, I also beg to move—

That the time for the presentation of the final report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion Moved—

That the time for the presentation of the final report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is—

That the time for the presentation of the final report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

(iv) डॉ० रघुवीर सिंह कादियान, एमएलएए के विरूद्ध

Mr. Speaker : Now, Shri Bhagwan Sahai Rawat, M.L.A., Chairperson, Committee of Privileges, will present the Fourth Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Dr. Sita Ram, M.L.A. and Shri Jasbir Mallour, M.L.A. against Dr. Raghubir Singh Kadian, M.L.A. for coming to/remaining in the well of the House, tearing the book of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, leading to grave misconduct and grave disorder, breaking a light box in the House thereby committing contempt of the House/ breach of privilege etc. by Dr. Raghubir Singh Kadian, MLA on 5th March, 2002 and will also move that the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Shri Bhagwan Sahai Rawat (Chairperson, Committee of Privileges) : Sir, I beg to present the Fourth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Dr. Sita Ram, M.L.A. and Shri Jasbir Mallour, M.L.A. against Dr. Raghubir Singh Kadian, M.L.A. for coming to/remaining in the well of the House, tearing the book of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, leading to grave misconduct and grave disorder, breaking a light box in the House thereby committing contempt of the House/ breach of privilege etc. by Dr. Raghubir Singh Kadian, MLA on 5th March, 2002

Sir, I also beg to move—

That the time for the presentation of the final report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion Moved—

That the time for the presentation of the final report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is—

That the time for the presentation of the final report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

सरकारी संकल्प

16.00 बजे **Mr. Speaker :** Now, a Minister will move the official resolution.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move that this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of clause (c) of the proviso to clause (2) of Article 368, proposed to be made by the Constitution (Ninety-fifth Amendment) Bill, 2003, as passed by both the Houses of Parliament.

Mr. Speaker : Motion moved—

That this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of clause (c) of the proviso to clause (2) of Article 368, proposed to be made by the Constitution (Ninety-fifth Amendment) Bill, 2003, as passed by both the Houses of Parliament.

Mr. Speaker : Question is—

That this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of clause (c) of the proviso to clause (2) of Article 368, proposed to be made by the Constitution (Ninety-fifth Amendment) Bill, 2003, as passed by both the Houses of Parliament.

The motion was carried.

वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगें प्रस्तुत करना, चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Finance Minister will present the Excess Demands over Grants and Appropriations for the year 1999-2000 and 2000-2001.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I present the Excess Demands over Grants and Appropriations for the year 1999-2000 and 2000-2001.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the discussion and voting on the Excess Demands over Grants and Appropriations for the year 1999-2000 and 2000-2001 will take place. As per past practice and in order to save the time of the House all the demands on the order paper will be deemed to have been read

and moved together. The Hon'ble Members, can discuss any demand but they are requested to indicate the demand number on which they wish to raise the discussion.

(i) वर्ष 1999-2000

(i) Demands for the year 1999-2000

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1,42,25,317/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1999-2000 in respect of Home.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 3,53,96,838/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1999-2000 in respect of Revenue.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 4,69,42,382/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1999-2000 in respect of Education.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 43,21,157/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1999-2000 in respect of Food and Supplies.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 4,23,23,986/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1999-2000 in respect of Animal Husbandry.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1,74,51,260/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1999-2000 in respect of Transport.

(ii) वर्ष 2000-2001

(ii) Demands for the year 2000-2001

That a grant of a sum not exceeding Rs. 2,69,446/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2000-2001 in respect of Vidhan Sabha.

That a grant of a sum not exceeding Rs.1,12,28,865/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2000-2001 in respect of Home.

(No Member rose to speak)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now I shall put various demands for the year 1999-2000 to the vote of the House.

Mr. Speaker : Question is —

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1,42,25,317/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1999-2000 in respect of Home.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 3,53,96,838/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1999-2000 in respect of Revenue.

The Motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a grant of a sum not exceeding Rs. 4,69,42,382/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1999-2000 in respect of Education.

The Motion was carried.

Mr. Speaker : Question is —

That a grant of a sum not exceeding Rs. 43,21,157/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1999-2000 in respect of Food and Supplies.

The Motion was carried.

Mr. Speaker : Question is —

That a grant of a sum not exceeding Rs. 4,23,23,986/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1999-2000 in respect of Animal Husbandry.

The Motion was carried.

Mr. Speaker : Question is —

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1,74,51,260/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1999-2000 in respect of Transport.

The Motion was carried.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now I shall put the various demands for the year 2000-2001 to the vote of the House.

Mr. Speaker : Question is—

That a grant of a sum not exceeding Rs. 2,69,446/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2000-2001 in respect of Vidhan Sabha.

The Motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1,12,28,865/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2000-2001 in respect of Home.

The Motion was carried.

वर्ष 2003-2004 के लिए अनुपूरक अनुमान (पहली किस्त) प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will present the Supplementry Estimates (First Instalment) 2003-2004.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to present the Supplementary Estimates (First Instalment) 2003-2004.

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Now, Shri Malik Chand Gambhir, Chairperson, Committee on Estimates, will present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (First Instalment) 2003-2004.

Shri Malik Chand Gambhir (Chairperson, Committee on Estimates): Sir, I beg to present the Report of the Committee on Estimates on the supplementary Estimates (First Instalment) 2003-2004.

वर्ष 2003-2004 अनुपूरक अनुमानों (पहली किस्त) पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the discussion and voting on the Supplementry Estimates (First Instalment) 2003-2004 will take place.

As per the past practice and in order to save the time of the House, demands on the order paper will be deemed to have been read and moved. Hon'ble

[Mr. Speaker]
Members, can discuss any demand. They are requested to indicate the demand number on which they wish to raise discussion.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 5,00,00,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2004 in respect of Demand No. 9— Education.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 110,00,00,000/ for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2004 in respect of Demand No. 25— Loans and Advances by the State Government.

(No member rose to speak)

Mr. Speaker : Now, the demands will be put to the vote of the House.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 5,00,00,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2004 in respect of Demand No. 9— Education.

The Motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 110,00,00,000/ for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2004 in respect of Demand No. 25— Loans and Advances by the State Government.

The Motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House is adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, the 10th September, 2003.

*16.07 Hrs (The Sabha then *adjourned till 9.30A.M. on Wednesday, the 10th September, 2003)

Haryana Vidhan Sabha Secretariat * Chandigarh * LIBRARY

37454—H.V.S.—H.G.P., Chd.